

दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2015-2016

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसंबर, December, 2015

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच 2015-2016.

वर्ष 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 68 अनुदान मांगे तथा 3 विनियोग है। ₹56,256.32 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹18,195.40 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹38,059.78 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेत् एक लाख रुपए सहित, ₹114 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2015-2016.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2015-2016 includes 68 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹56,256.32 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹18,195.40 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹38,059.78 crore. Besides, token provision of ₹114 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

					(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant N	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नक	नकद व्यय		sh O	utgo			
रस	यन और उर्वरक मंत्रालय	MI		TRY OF CHEMICALS AND RTILISERS			
8	उर्वरक विभाग	8	Dep	partment of Fertilisers			
	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड		Loa	in to Fertilizers and Chemicals Travancore			
	को ऋण (₹ 965.01 करोड़)।		Lin	nited (₹965.01 crore).	952.80	-	952.80
नाग	र विमानन मंत्रालय	MI	NIS'	TRY OF CIVIL AVIATION			
10	नागर विमानन मंत्रालय	10	Mi	nistry of Civil Aviation			
	(क) (i) गगन परियोजना और जम्मू हवाई अड्डा के लिए		(a)	For meeting additional (i) requirement			
	अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (₹ 1.66 करोड़);			for GAGAN project and Jammu Airport			
	और (ii) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए			(₹1.66 crore) and (ii) expenditure under			
	पूंजी आस्ति सृजन हेतु सहायता अनुदान के तहत			Grants for Creation of Capital Assets for			
	अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.34 करोड़)।			Airport Authority of India (₹0.34 crore)	1.66	-	1.66
	(ख) (i) विनिमय दर में विभिन्नता के कारण		(b)	For meeting additional expenditure on			
	एयरलाइन्स को भुगतान के लिए हज सब्सिडी			Haj subsidy for the payment to airlines			
	संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना।			due to variation in exchange rate.	-	27.66	27.66
	(ग) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i)		(c)	For meeting additional (i) requirement			
	चालू परियोजनाओं के लिए निवेश के रूप			towards Hotel Corporation of India as			
	में भारतीय होटल निगम में अतिरिक्त			investment for on-going projects (₹5			
	आवश्यकता पूरी करना (₹5 करोड़) और			crore) and (ii) expenditure for construction			
	(ii) विमानन प्रशिक्षण अकादमी और क्षेत्रीय			work of Aviation Training Academy and			
	कार्यालयों के निर्माण कार्य के लिए व्यय			Regional Offices (₹24.63 crore).	7.34	-	7.34
	(₹24.63 करोड़)।						
		3.41	NITO				

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डाक विभाग

(क) केरल के कलीकट स्थित पोस्टल स्टाक डिपो के भवनों के संबंध में (₹ 0.12 करोड़) और प.बंगाल के कोलकाता में (₹ 1.26 करोड़) के किराये के बकाया का भूगतान करने तथा पतनमथिता मुख्य डाक घर द्वारा

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

14 Department of Posts

(a) For meeting payments arising out of court orders for arrears of rent in respect of buildings of Postal Stock Depot at Calicut, Kerala (₹0.12 crore), Kolkata, West Bengal (₹1.26 crore) and arrears

			रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
बिजली प्रभार के बकाया (₹0.42 करोड़) का भुगतान के लिए न्यायालय के आदेश से उत्पन्न भुगतान पूरा करने हेतु।	of electricity charges by Pathanamthi Head Post Office (₹0.42 crore).	tta -	1.80	1.80
(ख) पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने और उसके लिए नेटवर्क एकीकरण के लिए व्यय पूरा करने हेतु। (ग) वराणसी, हैदराबाद और अहमदाबाद में भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण में न्यायालय के निर्णय के कारण भुगतान की राशि पूरी करने के	 (b) For meeting the expenditure toward setting up of Post Bank of India a Network Integration therefor. (c) For meeting payments arising out Court judgments in land acquisition construction of building at Varanas 	40.00 of on/	-	40.00
लिए। (घ) लंबित दावों के निपटान के लिए 'बैंकिंग और पोस्टल लाइफ इश्योरेंस सोल्युशन्स का विकास और कार्य पर लगाने' के अंतर्गत भुगतान करने के लिए।	Hyderabad and Ahmedabad. (d) For meeting the expenditure towar payment under "Development a Deployment of Banking and Postal L Insurance Solutions" for settlement	nd ife	-	0.14
15 दूर संचार विभाग पुनरुद्धार और वेतन के भुगतान हेतु आईटीआई	pending claims. 15 Department of Telecommunications For providing financial relief to ITI Limit	11.26 ed	-	11.26
लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	towards revival and payment of salary.	-	344.02	344.02
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 17 उपभोक्ता मामले विभाग निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) दालों के आयात पर हानि की सीमा बढ़ाना और (ii) स्कीम अविध के दौरान आयात की गई दाल।	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION To Department of Consumer Affairs For meeting additional expenditure towar reimbursement of the claims for (i) raising the limit of losses on import of Pulses a (ii) pulses imported during the scheroperiod.	rds ng nd	53.00	53.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय 19 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हेतु कार्यालयी स्थान की खरीद के लिए पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं को पूरी करने हेतु निधियों की अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 19 Ministry of Corporate Affairs (a) For meeting additional expendituunder the Grants for creation of Capital Assets for purchase of Office space Competition Commission of India. (b) For meeting additional expenditutowards infrastructure facilities for National Company Law Tribunal a National Company Law Appella Tribunal.	tal for - ire he	129.25 17.00	129.25 17.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
 रक्षा पेंशन (क) न्यायालय के आदेश के कारण भुगतान पूरा करने के लिए (ख) पेंशन और पेंशन वृद्धि संबंधी बढ़ी हुई सहायता दर के कारण व्यय पूरा करने के लिए। 	 Defence Pensions (a) For meeting payments arising out Court orders. (b) For meeting expenditure towar increased rate of relief on pensions a 	- ds	2.26	2.26
ŭ.	growth in pensions.	-	5735.74	5735.74
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AN SANITATION	ND		
30 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	30 Ministry of Drinking Water as Sanitation	nd		
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) भारतीय लोक लेखा में रखे गए स्वच्छ भारत उपकर	(a) For meeting additional expenditure for transferring the Swachh Bharat Co			

			ड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
का राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण, (₹ 2.40 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत अभियान पर, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	to Rashtriya Swachhata Kosh(RSK), kept in Public Account of India (₹2.40 crore) and (ii) on Swachh Bharat			
से पूरा किया जाएगा (₹ 2.40 करोड़)।	Abhiyan, which will be met from RSK (₹2.40 crore).	2.40	-	2.40
(ख) स्व्च्छ भारत अभियान के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए (₹2.40 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 60.20 करोड़)।	(b) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Swachh Bharat Abhiyan (₹240 crore) and National Rural Drinking Water Programme	240.00		240.00
(ग) व्यय पूरा करने हेतु (i) स्वच्छ भारत उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण के लिए (₹2395.20 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत अभियान संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 2155.20 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	(₹60.20 crore). (c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swachh Bharat Cess to RSK (₹2395.20 crore), (ii) for implementing the scheme on Swachh Bharat Abhiyan (₹2155.20 crore) and (iii) on NRDWP	240.00	-	240.00
पर (₹ 541.80 करोड़)। (घ) व्यय पूरा करने के लिए (i) भारतीय लोक लेखा में रखे गए स्वच्छ भारत उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण, (₹2.40 करोड़ (ii) स्वच्छ भारत अभियान के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	 (₹541.80 crore). (d) For meeting expenditure (i) for transfer of SBC of (₹2.40 crore) to RSK, kept in the Public Account in India, (ii) towards grants to UT Governments 	2,155.20	-	2155.20
अनुदान के लिए (₹2.40 करोड़)। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	under SBA (₹2.40 crore). MINISTRY OF FOOD PROCESSING	2.40	-	2.40
•	INDUSTRIES			
47 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) संस्थाओं और प्रशासन सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत एनआईएफटीईएम के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹9.92 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹10.08 करोड़) प्रदान करने के लिए।	47 Ministry of Food Processing Industries (a) For providing providing additional Grants-in-aid-Salaries (₹9.92 crore) and Grants-in-aid-General (₹10.08 crore) for NIFTEM under the Scheme for strengthening of Institutions and Administration.	-	19.10	19.10
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
एड्स नियंत्रण विभाग (क) औषधि, किट्स और सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए। (ख) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i)	 50 Department of AIDS control (a) For providing additional Grants for Procurement of Drug, Kits and materials. (b) For providing Grants-in-aid General to 	90.00	-	90.00
राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां (₹22 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां (₹ 31 करोड़)।	(i) State AIDS Control Societies (₹22 crore) and (ii) North East Region State AIDS Control Societies (₹31 crore).	22.00	-	22.00
(ग) निम्न लिखित प्रदान करने के लिए 1 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को सामान्य सहायता अनुदान (i) विश्व बैंक से ऋण (ईएपी घटक) (₹43 करोड़) और (ii) घरेलू बजटीय सहायता घटक (₹63 करोड़) और 2. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को सामान्य सहायता	(c) For providing 1.Grants-in-aid General to State AIDS Control Societies under (i) credit from World Bank (EAP Component) (₹43 crore) & (ii) Domestic Budgetary Support component (₹63 crore) and 2. Grants in Aid General to State			
अनुदान (₹ 59.50 करोड़)।	AIDS Control Societies (₹59.50 crore).	106.00	-	106.00
गृह मंत्रालय इ.स. गृह गुंबान्स	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 53 Ministry of Home Affairs			

53 Ministry of Home Affairs

(a) For meeting expenditure on Salaries in

respect of various schemes under

Official Language viz Regional

53 गृह मंत्रालय

(क) राजभाषा अर्थात क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

के तहत विभिन्न स्कीमों के संबंध में वेतन

पर व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.13 करोड़)

			गेड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (₹ 0.87 करोड़)। (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय खर्च (₹ 75 करोड़) (ii) वाईटल	Implementation Office (₹0.13 crore) and Central Hindi Training Institute (₹0.87 crore) (b) For meeting expenditure towards (i) Office expenses for implementation of National Population Register (₹75	1.00	-	1.00
स्टेटिस्टिक सिस्टम के सुधार के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1करोड़)। (ग) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात	crore) (ii) Professional Services under Improvement of Vital Statistics System (₹1 crore) (c) For meeting expenditure towards Grants	76.00	-	76.00
जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को भुगतान हेतु पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 218 करोड़)।	for creation of Capital Assets for	104.16		104.16
54 मंत्रिमण्डल	54 Cabinet	101.10		101.10
निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) प्रधानमंत्री के वायुयान के रखरखाव के लिए लंबित दावों का निपटान करना (₹ 144.30 करोड़); (ii) केबिनेट मंत्रियों के विदेश यात्रा खर्चों के कारण लंबित बिलों का भुगतान करना (₹ 54 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का गुप्त सेवा व्यय (₹ 1 करोड़)।	secret service expenditure of National Security Council Secretariat (₹1 crore).	-	196.28	196.28
55 पुलिस निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) वेतन (₹ 581 करोड़) (ii) राशन की लागत (₹ 760 करोड़) (iii) घरेलू यात्रा खर्च (₹ 185 करोड़) (iv) भूमि पत्तन प्राधिकरण का सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.50 करोड़) (v) भूमि पत्तन प्राधिकरण का सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Salaries (₹581 crore) (ii) Cost of Ration (₹760 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹185 crore) (iv) Grants in aid Salary of Land Port Authority (₹0.50 crore) (v) Grants in aid General of Land Port Authority (₹2 crore).	-	899.98	899.98
विधि और न्याय मंत्रालय 53 चुनाव आयोग भारत अंतरराष्ट्रीय प्रजातंत्र और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम जुटाने संबंधी ₹ 5 करोड़ अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 63 Election Commission For meeting additional expenditure of ₹5 crore on the mobilisation advance to Central Public Works Department towards construction of India International Institute of Democracy and Election Management			
65 विनियोग - भारत का सर्वोच्च न्यायालय व्यावसायिक सेवाओं तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के इतिहास का पता लगाना की परियोजना के लिए दिल्ली पुलिस हेतु अतिरिक्त	Campus 65 Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure towards Professional Services to Delhi Police for the project "Tracing History of Supreme Court	-	1.29	1.29
व्यय पूरा करने के लिए।	and High Courts.	-	13.52	13.52
वेद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77 विद्युत मंत्रालय (क) (i) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के लिए कार्यान्वयन स्कीम हेतु बिजली क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियों को अंतरण पीएसडीएफ से किया जाएगा (₹ 200.00 करोड़)। (ii) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्कीम	77 Ministry of Power (a) For (i) transfer of fund to the Power Sector Development Fund (PSDF) for implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity (₹200 crore); (ii) implementation of scheme for utilization of gas based power			

utilization of gas based power

generation capacity to be met from

का कार्यान्वयन पीएसडीएफ से किया जाएगा

(₹ 200.00 करोड़) और (iii) पारेषण तथा

		(करोड़ रुपए Rupee			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम के तहत ''सभी को बिजली'' के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 75.32 करोड़)।	PSDF (₹200 crore) and (iii) strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹75.32 crore). (b) For strengthening of transmission and	200.00	-	200.00	
का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत ''सभी को बिजली'' के लक्ष्य को हासिल करना	distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development				
(₹ 117.17 करोड़)। (ग) (i) पारेक्षण और वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुद्ढ़ीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 150.65 करोड़), और (ii) राष्ट्रीय जल विद्युत कारपोरेशन के तहत किशनगंज एचईपी और चुटक परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।	Scheme (IPDS) (₹117.17 crore). (c) For (i) strengthening of transmission and distribution network, metering and achieving the goal of "Power for all" under 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS) (₹150.65 crore) and (ii) meeting additional expenditure to Kishanganga HEP and Chutak projects under Nantional Hydro Power Corporation	28.52	-	28.52	
	(₹100 crore);	50.65	-	50.65	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप- राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT				
78 विनियोग - राष्ट्रपति के कर्मचारी, आवास और भत्ते भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम की वापसी सहित अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	78 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President For meeting additional establishment related expenditure including recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India.	-	3.38	3.38	
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84 ग्रामीण विकास विभाग	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT				
बढ़ाने के लिए।	 84 Department of Rural Development (a) For augmentation of provision under North Eastern Areas towards Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. 	300.00	-	300.00	
(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.	2,700.00	_	2700.00	
वस्त्र मंत्रालय 96 वस्त्र मंत्रालय भारत कपास निगम के एमएसपी संचालन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF TEXTILES 96 Ministry of Textiles For meeting additional expenditure for MSP operation of Cotton Corporation of India.	-	259.59	259.59	
शहरी विकास मंत्रालय 104 शहरी विकास विभाग (क) निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण के लिए (₹60 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (₹60 करोड़)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 104 Department of Urban Development (a) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for North Eastern Region under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹60 crore) and (ii) Swachh Bharat Mission (Urban) (₹60 crore) for North Eastern Areas.	60.00	_	60.00	

			रोड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
 (ख) निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण के लिए (₹464 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में बढ़ोत्तरी के लिए अंतरण (₹ 464 करोड़)। (ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण के लिए (₹76 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में बढ़ोत्तरी के लिए अंतरण (₹ 76 करोड़)। 	 (b) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹464 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹464 crore). (c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹76 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹76 crore). 	464.00 76.00	- -	464.00 76.00
1013 311(4) (1 70 4)(19)1	(Orban) (Cro crore).	70.00		70.00
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (क) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत सहायता के शर्तों में पोलवारम सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए। (ख) निम्न के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) वर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (₹ 1500 करोड़) (ii) वर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीएफएमपी) के तहत सरयू नगर राष्ट्रीय परियोजना (₹ 500 करोड़); और (iii) प्रधानमंत्री चृत्षि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'सीएडीएण्डडब्ल्यूएम' घटक (₹ 500 करोड़)।	 107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (a) For providing additional fund for Polavaram Irrigation Project in terms of support under Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. (b) For providing additional Grants for Creation of Capital Assets' under (i) 'Accelerated Irrigation Benefit Programme' (₹1500 crore), (ii) Saryu Nahar National Project (₹500 crore) under the scheme 'Accelerated Irrigation Benefit and Flood Management Programme (AIBFMP) and (iii) 'CAD&WM' component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY) (₹500 crore) 	300.00		300.00 2,500.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	10,491.53	7.703.87	18,195.40
	This Batch of Supplementary Demands for Gr	ŕ	ŕ	

पूरक अनुदान/विनियोग ₹ 38,059.78 करोड़ के प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों/वस्तियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की सामान बचत से पूरा किया जाता है। ये मदें निम्नानुसार हैं:

तकनीकी पूरक अनुदान मांगें रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

वेतन और अन्य आकस्मिक व्यय के कारण भुगतान के लिए हिंदुस्तान आर्गेनिक लिमिटेड को भारत

पूरक अनुदान मांगों के इस बैच में तकनीकी 3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹38,059.78 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

Technical Supplementary Demands for grants MINISTRY OF CHEMICALS AND **FERTILISERS**

7 **Department of Chemicals and Petrochemicals** For recoupment of Contingency Fund of India advance sanctioned in respect of Hindustan

		 आयोजना	रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	-
की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अि वापसी। 9 भेषज विभाग वेतन और अन्य आकस्मिक व्यय के कारण के लिए हिंदुस्तान एंटीबॉयोटिक लिमिन भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की वापसी।	dues on account of interest on bonds. 9 Department of Pharmaceuticals For recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India to Hindustan	-	24.61 12.75	24.61 12.75
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
नागर विमानन मंत्रालय निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के वि चालू परियोजनाओं के लिए निवेश के भारतीय होटल निगम में आवश्यकता (₹ 5 और (ii) विमानन प्रशिक्षण अकादमी और कार्यालयों के निर्माण कार्य के लिए व्यय (इ	10 Ministry of Civil Aviation For meeting additional (i) requirement towards Hotel Corporation of India as investment for on-going projects (₹5 crore) क्षेत्रीय and (ii) expenditure for construction work of Aviation Training Academy and			
करोड़)। 12 वाणिज्य विभाग निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीर्ज अतिरिक्त निवेश का व्यय पूरा करने के	लए। investment in Export Credit and	22.29	-	22.29
13 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग चेन्नई में बौद्धिक सम्पदा कार्यालय भवन के के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	Guarantee Corporation (ECGC). 13 Department of Industrial Policy and Promotion For meeting expenditure towards the construction of office building for Intellectual Property Office (IPO) at Chennai.	50.00 3.07	-	50.00 3.07
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
वितरण मंत्रालय 18 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के लिए खाद्य अनाज की खरीददारी नकद प्रवाह की जरूरते पूरी करने हेतु भारती निगम को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के	के लिए Food Corporation of India to meet cash flow requirements towards procurement of food	-	10,000.00	10,000.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
28 रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान पू के लिए।	28 Capital Outlay on Defence Services For meeting payment arising out of Court Orders.	-	43.15	43.15
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
29 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय नॉन लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के दि	29 Ministry of Development of North Eastern Region रुंद्रीय) For meeting additional expenditure under	60.00	-	60.00
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND			
30 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च				

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) के लिए, भारत के लोक लेखा में रखे गए, स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण के लिए (₹2.40 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत अभियान पर व्यय, जो आरएसके (₹2.40 करोड़) से पूर्वा किया जाएगा। (ख) स्वच्छ भारत अभियान (₹ 240 करोड़) और राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (₹ 60.20 करोड़) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए। (ग) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (हें 2395.20 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 2155.20 करोड़) और (iii) एसबीए के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान के लिए (₹ 541.80 करोड़)। (क) Rashtriya Swachhata Kosh(RSK), kept in Public Account of India (₹2.40 crore) and (ii) on Swachh Bharat Abhiyan, which will be met from RSK (₹2.40 crore). (b) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Swachh Bharat Abhiyan (₹240 crore) and National Rural Drinking Water Programme (₹60.20 crore). (c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swachh Bharat Cess to RSK (₹2395.20 crore), (ii) for implementing the scheme on Swachh Bharat Abhiyan (₹2155.20 crore) and (iii) on NRDWP (₹541.80 crore).	आयोजना Plan 2.40 60.20	आयोजना-भिन् <mark>न Non Plan</mark>	7 जोड़ Total 2.40 60.20
भारत के लोक लेखा में रखे गए, स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण के लिए (₹2.40 करोड़) तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के तहत क्षेत्र भारत उपकर कि राष्ट्रीय स्वच्छ नारत उपकर के लिए। (म) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (हें 2.395.20 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 2155.20 करोड़) और (iii) एसबीए के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान (₹541.80 crore). (kept in Public Account of India (₹2.40 crore) and (ii) on Swachh Bharat Abhiyan, which will be met from RSK (₹2.40 crore). (b) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Swachh Bharat Abhiyan (₹240 crore) and National Rural Drinking Water Programme (₹60.20 crore). (c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swachh Bharat Cess to RSK (₹2395.20 crore), (ii) for implementing the scheme on Swachh Bharat Abhiyan (₹2155.20 crore) and (iii) on NRDWP (₹541.80 crore).	60.20	-	
(₹60.20 crore). (ग) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत उपकर कि राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण के लिए, (₹ 2395.20 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 2155.20 करोड़) और (iii) एसबीए के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान (₹60.20 crore). (c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swachh Bharat Cess to RSK (₹2395.20 crore), (ii) for implementing the scheme on Swachh Bharat Abhiyan (₹2155.20 crore) and (iii) on NRDWP		-	60.20
9 ,	2,937.00	-	2027.00
 (घ) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत अभियान (₹ 2.40 करोड़) से राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण के लिए, भारत के लोक लेखा में रखे गए (ii) एसबीए के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान के लिए (₹ 2.40 करोड़)। (d) For meeting expenditure (i) for transfer of SBC of (₹2.40 crore) to RSK, kept in the Public Account in India, (ii) towards grants to UT Governments under SBA (₹2.40 crore). 	2.40	-	2937.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
32 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 32 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
निम्न प्रदान करने के लिए (i) पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता (उत्कृष्टता केंद्र) को Salaries to Environment Information, अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 4.90 करोड़) Education and Awareness (Centres of और (ii) जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के तहत अपिशष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए व्यवहार्य अंतरालिनिधियन हेतु ऊर्जा संयंत्र को 12 मेगावाट अपिशष्ट के लिए पूर्वी दिल्ली अपिशष्ट प्रक्रिया प्रसंस्करण कंपनी लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान, (₹120 करोड़)।	120.00	-	120.00
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE			
34 आर्थिक कार्य विभाग अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल निधियन के लिए सहायता के कारण 500 करोड का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए। 34 Department of Economic Affairs For providing additional grants of ₹500 crore on account of Assistance for Infrastructure Development Viability Gap Funding.	485.00		485.00
37 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण 37 Transfers to State and Union Territory	463.00	-	403.00
Governments राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए। Governments For providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities like hailstorm, unseasonal rain etc. from National Disaster Response Fund (NDRF).	-	2,989.00	2,989.00

					ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		rant l	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			TRY OF HEALTH AND FAMILY			
8 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			partment of Health and Family Welfare			
(क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए			For meeting expenditure towards 1.			
1. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर पुदुच्चेरी		. ,	Grants-in-aid General to Regional Post			
को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)			Graduate Centre, JIPMER, Puducherry			
2. निम्न स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों			(₹10 crore) 2. Grants for Creation of			
के सृजनार्थ अनुदान (i) आल इन्डिया			Capital Assets under the schemes (i) All			
इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंज नई दिल्ली			India Institute of Medical Sciences,			
(₹ 150 करोड़) (ii) क्षेत्रीय रनातकोत्तर केन्द्र			New Delhi (₹150 crore) (ii) Regional			
जिपमेर पुदुच्चेरी (₹140 करोड़)।			Post Graduate Centre, JIPMER,			
			Puducherry (₹140 crore)	300.00	-	300.00
(ख) जिले के अन्तर्गत नए मेडिकल कालिज/		(b)	For meeting expenditure towards			
रेफरल हास्पीटल की स्थापना के लिए राज्य			Grants for creation of Capital Assets for			
सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु पूंजीगत			financial assistance to State Govts. for			
आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा			estatlishment of New Medical Colleges			
करने के लिए।			attached with District/Referral Hospitals.	15.00	-	15.00
(ग) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध		(c)	For meeting expenditure towards (i)			
कराने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के			Grants for Creation of Capital Assets			
लिए अनुदान जिला/रेफरल अस्पतालों से			for providing financial assistance to			
सहबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की			State Governments: Establishment of			
स्थापना हेतु (₹135 करोड़)। (ii) राजकीय			New Medical Colleges attached with			
औषध विनियामक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण			District/Referral Hospitals (₹135			
की योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय औषध			Crores). (ii) Grants-in-aid General for			
प्रयोगाालाओं की स्थापना करने के लिए			providing financial assistance to State			
राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान			Government to set-up state level Drug			
करने के लिए सामान्य सहायता-अनुदान (₹50			Laboratories (₹50crore) under the			
करोड़)।			Scheme of Strengthening of State Drug	125.00		125.00
		(4)	Regulatory System.	135.00	-	135.00
(घ) निम्न को अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु 1. अस्पताल के पुर्नाविकास - मशीनरी उपकरण		(a)	For meeting additional expenditure on			
अस्पताल के युनाविकास - मशानश उपकरण (₹ 50 करोड़), प्रमुख निर्माण कार्य (₹100 करोड़)			redevelopment of hospital – Machinery Equipment (₹50 crore), Major works			
पर व्यय की पूर्ति करने के लिए सफदरजंग			(₹100 crore) to Safdarjung Hospital,			
अस्पताल, नई दिल्ली एम्स को मशीनरी और			New Delhi for meeting expenditure,			
उपकरण (₹ 175 करोड़) और मुख्य निर्माण			Machinery Equipment (₹175 crore) and			
कार्य (₹50 करोड़) सीजीएचएस (₹40.74			Major works (₹50 crore) to AIIMS,			
करोड़), डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को			CGHS (40.74 crore), Machinery			
मशीनरी और उपकरण (₹ 10.90 करोड़), लेडी			Equipment (₹10.90 crore) to Dr. Ram			
हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी			Manohar Lohia Hospital, Machinery			
अस्पताल के लिए मशीनरी और उपकरण (₹0.70			Equipment (₹0.70 crore) for Lady			
करोड़), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के लिए			Hardinge Medical College & Smt. S.K.			
प्रमुख निर्माण कार्य (₹37.19 करोड़) और केन्द्रीय			Hospital, Major Works (₹37.19 crore)			
औषधि मानक नियंत्रण संघटन के लिए प्रमुख			for National Centre for Disease Control			
निर्माण कार्य (₹50 करोड़) का व्यय पूरा करने			and Major Works (₹50 crore) for Central			
हेतु।			Drugs Standards Control Organisation.	150.00	-	150.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI		TRY OF HEALTH AND FAMILY			
 	= ^		ELFARE			
50 एड्स नियंत्रण विभाग		_	partment of AIDS control			
निम्नलिखित के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण			providing 1.Grants-in-aid General to			
सोसायटियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान			re AIDS Control Societies under (i) credit			
की आवयकता है (i) विश्व बैंक से ऋण के तहत			m World Bank (EAP Component) (₹43			

crore) & (ii) Domestic Budgetary Support

(ईएपी घटक) (₹43 करोड़) और (ii) घरेलू बजटीय

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सहायता घटक (₹63 करोड़) और 2. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को सामान्य सहायता अनुदान (₹59.50 करोड़)।		49.50	-	49.50
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग (क) कचार पेपर मिल (सीपीएम), की अतिरिक्त व्यय के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु सामान्य	51 Department of Heavy Industry(a) For meeting expenditure towards Grant-			
सहायता अनुदान (₹ 101.87 करोड़)। (ख) एफएएमई - इंडिया स्कीम की अतिरिक्त		51.87	-	51.87
आवयकता को पूरा करने के लिए। (ग) 2015-16 की अवधि के लिए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	144.54	-	144.54
के भाग के रूप में गारंटी शुल्क सब्सिडी।	Ltd. as revival package.	-	2.53	2.53
गृह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत राज्य सरकारों के भुगतान के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु सहायत अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹ 218 करोड़)	creation of Capital Assets for payment to State Governments under National Cyclone	14.20	_	14.20
55 पुलिस निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) वायुयान का ग्राउंड हैंडलिंग प्रभार और बीएसएफ वाय् संकध द्वारालंबित बिलों/देनदारियों का निपटान करने के लिए (₹ 55.36 करोड़), (ii) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को एकीकृत चेक पोस्त बनाने के लिए पूंजी आस्तियों सृजन हेतु अनुदान	handling charges of Aircraft and clearing pending bills/liabilities by BSF Air Wing (₹55.36 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Land Port Authority of India and for creating Integrated Check	70.2 6		70.04
(₹ 15 करोड़)। 56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय न्यायालय के आदेश के कारण अशोक पेपर मील के कर्मचारियों की देनदारियों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु।	C 1	70.36	44.45	70.36 44.45
ू सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय (क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण संगीत और नाटक प्रभाग के वेतन और भत्तों के बकाया भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकत निधि से प्राप्त अग्रिम की वापसी के लिए।	of India advance sanctioned for making	-	73.70	73.70
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय "अवसंरचना सुविधाओं का सुद्दबीकरण औ डीजीएमएस के प्रमुख कार्यों की स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹3 करोड़) औ डीजीएफएसएलआई संगठन का सुद्दबीकरण और फैक्टियों का पन्तन और गोदी में सरक्षा और स्वास्थ्य	62 Ministry of Labour and Employment For meeting additional expenditure under the schemes of 'Strengthening of Infrastructure facilities and core functions of DGMS (SOCFOD)' (₹3 crore) and			

'Strengthening of DGFASLI Organisation

फैक्ट्रियों का पत्तन और गोदी में सुरक्षा और स्वास्थ्य

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
(₹3 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	and Occupational Safety and Health in Factories Ports and docks' (₹3 crore).	6.00	-	6.00
विधि एवं न्याय मंत्रालय 63 विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत अंतरराष्ट्रीय प्रजातंत्र और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम जुटाने संबंधी ₹ 5 करोड़ अतिरिक्त	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 63 Election Commission For meeting additional expenditure of ₹5 crore on the mobilisation advance to Central Public Works Department towards			
व्यय पूरा करने के लिए।	construction of India International Institute of Democracy and Election Management Campus.	-	3.71	3.71
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (i) ग्रिंड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹400 करोड़)। (ii) ग्रिंड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी कोरीडोर के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 200 करोड़) (iii) ऑफ ग्रिंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेट्रलाइज्ड रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹153.37 करोड़)। (iv) ऑफ ग्रिंड डिस्ट्रीब्य्यूटेड एंड डिसेट्रलाइज्ड रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सब्सिडी (₹246.63 करोड़)।	For providing 1. 'Grants-in-aid General' under the scheme (i) Grid Interactive and Distributed Renewable Power for Solar Power (₹400 crore) (ii) 'Grid Interactive and Distributed Renewable Power' for Green Energy Corridors (₹200 crore) (iii) Off-Grid/Distributed and Decentralised Renewable Power for Solar Power (₹153.37 crore) 2. Subsidy for Solar Power under the scheme 'Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power(₹246.63 crore).	1,000.00	-	1000.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (₹ 1.21 करोड़) और (ii) लोक शिकायतों हेतु प्रशासनिक	 73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For meeting expenditure for (i) Department of Personnel & Training (₹1.21 crore) and (ii) Administrative Reforms of Public 			
सुधार (₹ 0.42 करोड़)। (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए वयय	Grievances (₹0.42 crore). (b) For meeting expenditure for Central	-	1.63	1.63
पूरा करना। (ग) कर्मचारी चयन आयोग की मजदूरी के लिए	Administrative Tribunal. (c) For meeting expenditure for wages of	-	1.90	1.90
व्यय पूरा करना। (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का व्यय पूरा करना।	Staff Selection Commission. (d) For meeting meeting expenditure of	-	0.23	0.23
(ड) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) केन्द्रीय सूचना आयोग (₹ 1.53 करोड़) और (ii) सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (₹0.35 करोड़)।	 CBI. (e) For meeting expenditure for (i) Central Information Commission (₹1.53 crore) & (ii) Public Enterprise Selection Board 	-	1.96	1.96
	(₹0.35 crore).	-	1.88	1.88
योजना मंत्रालय 76 योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING 76 Ministry of Planning			

		आयोजना आयोजना	ोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	<i>ात ७७७७)</i> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	त संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items		Non Plan	जाड़ Total
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77 विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
(क) (i) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के	(a) For (i) transfer of fund to the Power			
लिए कार्यान्वयन स्कीम हेतु बिजली क्षेत्र	Sector Development Fund (PSDF) for			
विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियों को	implementation of scheme for			
अंतरण के लिए (₹200 करोड़) और (ii)	utilization of gas based power			
पीएसडीएफ से गैस आधारित बिजली उत्पादन	generation capacity (₹200 crore); (ii)			
क्षमता के उपयोग की स्कीम का कार्यान्वयन	implementation of scheme for			
(₹200 करोड़) और (iii) पारेषण तथा वितरण	utilization of gas based power			
और मीटरिंग नेटवर्क का सुद्दब़ीकरण और	generation capacity to be met from			
एकीकृत बिजली विकास स्कीम के तहत	PSDF (₹200 crore) and (iii)			
"सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल	strengthening of transmission and			
करने के लिए (₹75.32 करोड़)।	distribution network & metering and			
	achieving the goal of "Power for all"			
	under Integrated Power Development	200.00		200.00
(-)	Scheme (IPDS) (₹75.32 crore).	200.00	_	200.00
(ख) पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क	(b) For strengthening of transmission and			
का सुद्दब़ीकरण और एकीकृत बिजली स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली"	distribution network & metering and			
के लक्ष्य को हासिल करने के लिए (₹117.17	achieving the goal of "Power for all"			
क लक्ष्य का हासिल करन के लिए (र 117.17 करोड़)।	under Integrated Power Development	41.05		41.05
(ग) (i) पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क	Scheme (IPDS) (₹117.17 crore). (c) For (i) strengthening of transmission and	41.03	-	41.03
का सुद्दबीकरण और एकीकृत बिजली विकास	distribution network, metering and			
स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को	achieving the goal of "Power for all"			
बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना	under 'Integrated Power Development			
(₹150.65 करोड़); और (ii) राष्ट्रय जल	Scheme' (IPDS) (₹150.65 crore) and (ii)			
विद्युत कार्पोरेशन के तहत किशनगंगा एचईपी	meeting additional expenditure to			
और चुटक परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त	Kishanganga HEP and Chutak projects			
व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।	under National Hydro Power Corporation			
	(₹100 crore);	200.00	-	200.00
***	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION			
राष्ट्रपति का सचिवालय	PUBLIC SERVICE COMMISSION			
	AND THE SECRETARIAT OF THE			
	VICE PRESIDENT			
79 लोक सभा	79 Lok Sabha			
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के घरेलू यात्रा व्ययों के	For meeting additional expenditure towards			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	Domestic Travel Expenses of Speaker and		0.21	0.21
	Deputy Speaker.	-	0.21	0.21
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
(i) केन्द्रीय सड़क निधि को पेट्रोल व डीजल पर लगाए	For meeting expenditure towards (i) transfer			
.,	of additional road cess levied on petrol and			
गए अतिरिक्त संडक उपकर का अंतरण (र. 5528 56	diesel to Central Road Fund (₹5528.56 crore),			
गए अतिरिक्त सड़क उपकर का अंतरण (₹ 5528.56 करोड)। (ii) विजयवाड़ा के रांची सड़क में वर्तमान दो				
करोड़)। (ii) विजयवाड़ा के रांची सड़क में वर्तमान दो				
	(ii) two new works in Vijaywada - Ranchi Road.			
करोड़)। (ii) विजयवाड़ा के रांची सड़क में वर्तमान दो नए निर्माण कार्यों हेतु (₹150 करोड़)। (iii) बामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना	(ii) two new works in Vijaywada - Ranchi Road.(₹150 crore), (iii) new works under Tribal Area			
करोड़)। (ii) विजयवाड़ा के रांची सड़क में वर्तमान दो नए निर्माण कार्यों हेतु (₹150 करोड़)। (iii) बामपंथी	(ii) two new works in Vijaywada - Ranchi Road.			

		आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय 84 ग्रामीण विकास विभाग (क) केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त जरूरत पूरा करने हेतु ।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 84 Department of Rural Development (a) Transfers to Central Road Fund. (b) For meeting additional expenditure for UTs under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.	8,968.41 6.00	-	8968.41 6.00
पोत परिवहन मंत्रालय 89 पोत परिवहन मंत्रालय हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियरिग लि. के कर्मचारियों को (i) सांविधिक देय (₹ 12.45 करोड़) और (ii) कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के क्रियान्वयन के लिए (₹ 70.26 करोड़)।	MINISTRY OF SHIPPING 89 Ministry of Shipping For payment of (i) statutory dues (₹12.45 crore) and (ii) implementation of improved Voluntary Retirement Scheme (₹70.26 crore) to the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Ltd.	-	40.23	40.23
शहरी विकास मंत्रालय 104 शहरी विकास विभाग (क) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय के लिए राष्ट्रीय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 104 Department of Urban Development (a) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya			
सवच्छता कोष हेतु स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण हेतु (₹ 60 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (₹60 करोड़) के अतिरिक्त व्यय हेतु।	Swachhata Kosh for North Eastern Region under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹60 crore) and (ii) Swachh Bharat Mission (Urban) (₹60 crore) for North Eastern Areas.	60.00	_	60.00
 (ख) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 464 करोड़)। (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान की वृद्धि (₹464 करोड़) के अतिरिक्त व्यय हेतु। 	(b) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹464 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat	464.00		464.00
(ग) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 76 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 76 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	Mission(Urban)(₹464 crore). (c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹76 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹76 crore).	76.00	_	76.00
शहरी विकास मंत्रालय 105 लोक निर्माण कार्य न्यायालय के आदेशानुसार मै. ईस्ट इंडिया होटल लि. को भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम को वापस करना (₹ 6.15 करोड़) और (ii) लंबित मध्यस्थता पंचाट का भुगतान करना (₹ 4.89 करोड़)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 105 Public Works For (i) recoupment of CFI advance sanctioned for making payment to M/s. East India hotel Ltd. due to Court orders (₹6.15 crore) and (ii) payment of pending Arbitration awards (₹4.89 crore).			

		(क ⁻	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय मध्यस्थता पंचाट के संबंध में ₹2 करोड़ की अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation For providing additional fund of ₹2 crore in connection with arbitration award.	1.95	-	1.95
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
108 महिला और बाल विकास मंत्रालय (क) एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के तहत किए गए प्रावधान	 108 Ministry of Women and Child Development (a) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Grants-in-aid General under Integrated Child 			
में वृद्धि। (ख) एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सामान्य अनुदान देने के लिए (संशोधित लागत बंटवारा अनुपात के कारण)।	Development Scheme. (b) For providing Grants-in-aid General under Integrated Child Development Scheme (due to revised cost sharing ratio).	355.00 3,193.00	-	355.00 3193.00
कुल तकनीकी	Total Technical	ŕ	13,252.98 38	

निम्नलिखित मदों के संबंध में भी एक-एक लाख रूपए के पूरक अनुदान प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जिसके समक्ष दिया गया व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पुंजी भाग, जैसा भी मामला हो, में बचतों के विनियोग से किया जाएगा।

Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

क. (i) कुषोन्नति योजना राज्य आयोजना के अन्तर्गत "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना" के तहत सामान्य सहायता अनुदान में अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (₹ 0.25 करोड़)। (ii) जिला सिंचाई योजनाओं की तैयारी (₹ 30 करोड़) और प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना-अन्य उपाय के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 60 करोड़)। 2. कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विस्तार संबंधी उप-मिशन के तहत सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 0.80 करोड़)।

(ख) कृषि विपणन संस्थान, जयपुर को सौर विद्युत ऊर्जा करने के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।

Token Supplementary Demands for grants MINISTRY OF AGRICULTURE

Department of Agriculture and Cooperation

(a) For providing 1. additional Grants-inaid-General (i) under "National Project on Management of Soil Health and Fertility and for 'Organnic Value Chain Development for NE Region' under Krishonnati Yojna – State Plan" (₹0.25 crore) (ii) for preparation of district irrigation plans (₹30 crore) and for Advertisement & Publicity (₹60 crore) under Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojna – Other Interventions. 2. Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad for providing solar power energy under Sub-Mission on Agricultural Extension under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹0.80 crore). (b) For providing Grants for Creation of

Capital Assets to Institute of Agricultural Marketing, Jaipur for providing solar power energy.

91.05 91.05

1.08 1.08

				्रायोजना आयोजना	ोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	<i>ा। ७,७,८)</i> जोड़
अनुदा	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	जाड़ Total
	(ग) (i) विभिन्न प्रशासनिक प्रयोजन शीर्ष विज्ञापन	(c)	For providing (i) grants under 'Organic			
	और प्रचार, व्यावसायिक सेवाओं के तहत		Value Chain Development for NE			
	"कार्बनिक मूल्य श्रृंखला विकास" के तहत		Region' under Krishomati Yojana'			
	अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान के		below various administrative object-			
	अंतर्गत (₹ 43.11 करोड़) और पूंजी आस्ति		heads, advertising & publicity,			
	के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20.77 करोड़),		professional services and Grants-in-aid			
	(ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक		General (₹43.11 crore) and Grants for			
	योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान		Creation of Capital assets (₹20.77 crore),			
	प्रदान करने के लिए (₹ 16.90 करोड़) और		(ii) Grants in aid-General (₹16.90 crore)			
	पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.85		and Grants for Creation of Capital Assets			
	करोड़), और (iii) सामान्य सहायता अनुदान		(₹1.85 crore) under Special Component			
	और (₹ 22 करोड़) और पूंजी आस्ति के		Plan for Scheduled Castes, and (iii)			
	सृजन हेतु अनुदान (₹ 8.37 करोड़) प्रदान		Grants in aid-General (₹22 crore) and			
	करने के लिए।		Grants for Creation of Capital Assets			
			(₹8.37 crore) under Tribal Area Sub-Plan.	113.00	-	113.00
	(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुच्चेरी संघ	(d)	For providing Grants-in-aid General for			
	राज्य क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना		implementation of Paramparagat Krishi			
	के क्रियान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान		Vikas Yojna in Union Territories of			
	प्रदान करने के लिए (₹3 करोड़)।		NCT Delhi and Puducherry (₹3 crore).	3.00	-	3.00
	(ड) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रक्षिण केन्द्र के	(e)	For meeting expenditure for providing			
	लिए सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए		solar power energy to National Seeds			
	(₹ 0.80 करोड़) और राष्ट्रीय जैविक कृषि		Research and Training Centre (₹0.80			
	संवर्धन परियोजना के लिए (₹ 0.80 करोड़)।		crore) and National Project on Promotion			
			of Organic Farming (₹0.80 crore)	1.60	-	1.60
3.	म्शुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3 De	partment of Animal Husbandry,			
		Da	irying and Fisheries			
	(क) राज्य सहकारी डेरी परिसंघ को सहायता के	(a)	For meeting additional demand in the			
	लिए नई स्कीम में अतिरिक्त मांग पूरी करना।		new scheme for supporting State			
			Cooperative Dairy Federarion.	50.00	_	50.00
	(ख) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित	(b)	For meeting expenditure towards			
	हैः मात्सियकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस और		Grants-in-aid General to Central Marine			
	भौगोलिक सूचना प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम		Fisheries Research Institute, Kochi			
	के अन्तर्गत केन्द्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान		under the scheme strengthening of			
	संस्थान, कोची को सहायता अनुदान हेतु		Database and Geographical Information			
	व्यय पूरा करने हेतु।		System for fishery sector.	3.30	-	3.30
	गु ऊर्जा विभाग	DEPAR	RTMENT OF ATOMIC ENERGY			
	वरमाणु ऊर्जा	4 Ato	omic Energy			
	(क) राष्ट्रीय विज्ञान क्षिा और अनुसंधान संस्थान	(a)	For providing additional Grants-in-aid			
	को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान		Salaries to National Institute of Science			
	करना।		Education & Research.	-	8.00	8.00
	(ख) डीएई, कलपाक्कम काम्पलेक्स को सुरक्षा	(b)	For meeting the additional expenditure			
	बढ़ाने के लिए मशीनरी और उपस्कर के		towards enhancement of security at			
	तहत (₹0.50 करोड़), प्रमुख निर्माण कार्यों		DAE, Kalpakkam Complex under			
	(₹1.95 करोड़) और तीव्र रिएक्टर ईंधन		Machinery & Equipment (₹0.50 crore),			
	चक्र सुविधा को मीनरी और उपकरण के		Major works (₹1.95 crore) and Fast			
	तहत (₹35 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य (₹35		Reactor Fuel Cycle Facility under			
	करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।		Machinery & Equipment (₹35 crore),			
			Major works (₹35 crore).	72.45	-	72.45
	(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं	(c)	For various capital projects of Department			
	के लिए - निर्माण कार्य (₹0.02 करोड़)।		of Atomic Energy (₹0.02 crore)	42.06	-	42.06
	•		 · · · · ·			

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
6 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) (i) अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की बढ़ी हुई लागत (₹ 12.10 करोड़) के मुगतान के लिए और (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे को कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य को भुगतान करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान स्कीम के तहत (₹7.66 करोड़)।	Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH) For providing Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, (i) All India Institute of Homoeopathy for making payment to Delhi Development Authority towards the enhanced cost of land (₹12.10 crore) and (ii) National Institute of Naturopathy (NIN), Pune for making payment to Revenue Department Maharashtra State for acquiring land for the construction of office building (₹7.66 crore).	19.76	-	19.76
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
9 भेषज विभाग महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंघान संस्थानों की स्थापना करने के लिए प्रत्येक को ₹ 1 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	9 Department of Pharmaceuticals For providing Grants-in-aid General ₹1 crore each for establishment of three National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPERs) in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh	3.00	-	3.00
_	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
नागर विमानन मंत्रालय इंडियन कैरियर्स, सूचना और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग की कारगरता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त आवयकता पूरी करना।	10 Ministry of Civil Aviation For meeting additional requirement for Enhancing Effectiveness of Indian Carriers, Information & Technology Networking and Capacity Building.	2.00	-	2.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
(i) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सब्सिडी (₹15 करोड़) (ii)भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़) (iii) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद हेतु पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान के लिए (₹10 करोड़), (iv) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 375 करोड़) (v) बाजार तक पहुंच की पहल के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़) (vi) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (₹2 करोड़) और (vii) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (₹0.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय हेतु।	12 Department of Commerce (a) For meeting the additional expenditure towards (i) subsidies to Marine Products Export Development Authority (MPEDA) (₹15 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) (₹5 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets towards Leather & Leather Product (₹10 crore), (iv) Grants-in-aid General to National Export Insurance Account (NEIA) (₹375 crore), (v) Grants-in-aid General to Market Access Initiative (MAI) (₹50 crore), (vi) Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) ₹2 crore) under other Administrative Expenses and (vii) Director General of Foreign Trade (DGFT) (₹0.50			

crore) under other Administrative Expenses.

457.50

457.50

					ड़ रुपए Rupees	
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
दूर	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINIS	STRY OF COMMUNICATIONS AND			
•		IN	FORMATION TECHNOLOGY			
15	दूर संचार विभाग	15 De	epartment of Telecommunications			
	जीवन पर मोबाइल टावर और हैंडसेट से विकिरण	Fo	or meeting expenditure towards R&D			
	के संभावित प्रभाव के अध्ययन के लिए अनुसंधान	pre	oject for studying the possible impact of			
	और विकास परियोजना हेतु।	rac	diation, exposure from mobile towers and			
		ha	ndsets on life.	4.95	-	4.95
16	इलेक्ट्रानिक्स एंव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	16 D	epartment of Electronics and			
		In	formation Technology			
	(क) 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' के तहत सामान्य	(a)) For providing Grants-in-aid General			
	सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) इलेक्ट्रानिक	un	der "Digital India Programme" (i) for the			
	अभिशासन की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के	Ex	sternally Aided Project of Electronic			
	लिए(₹25 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग	Go	overnance (₹25 crore) and (ii) for National			
	मिशन परियोजना के लिए (₹25 करोड़)।	Su	percomputing Mission Project (₹25 crore).	50.00	-	50.00
उपः	भोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
			DOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18	•		epartment of Food and Public Distribution			
	(क) त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश में गोदाम के	(a) For meeting expenditure towards			
	निर्माण के व्यय हेतु।		construction of godowns in Tripura	6.61		6.61
	(1) 	4.3	and Arunachal Pradesh.	6.61	-	6.61
	(ख) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में संबद्ध एनालिटिकल उपकरण के साथ किण्वन और	(b _i	For meeting expenditure towards setting-			
			up fermentation and distillation unit along			
	आसवन इकाई की स्थापना के व्यय हेतु (₹1 करोड़)।		with associated analytical equipment in	1.00		1 00
	(६१ कराङ्)।		National Sugar Institute, Kanpur.	1.00	-	1.00
संस	कृति मंत्रालय	MINIS	STRY OF CULTURE			
20	संस्कृति मंत्रालय	20 M	inistry of Culture			
	(क) "कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह	(a)) For meeting additional expenditure			
	अन्य (अभियान, स्कीम और स्वायत संगठन)"		under the Scheme "Art and Culture and			
	के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा		Centenary Celebrations - Others			
	करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान -		(Missions, Schemes and Autonomous			
	स्कीम की विभिन्न संघटक इकाइयों के लिए।		Organizations)" towards Grants-in-aid			
			General to various constituent units of			
			the scheme.	37.90	=	37.90
	(ख) (i) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के	(b)) For meeting additional expenditure			
	लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) संगीत		towards 1.Grants-in-aid General to (i)			
	नाटक अकादमी (₹ 1.05 करोड़) (ii) साहित्य		Sangeet Natak Akademi (₹1.05 crore)			
	अकादमी (₹ 3.32 करोड़) (iii) गांधी स्मृति		(ii) Sahitya Akademi (₹3.32 crore) (iii)			
	और दर्शन समिति (₹ 0.27 करोड़) (iv)		Gandhi Smriti and Darshan Smiti (₹0.27			
	इलाहाबाद संग्राहलय (₹ 0.22 करोड़)। (i)		crore) (iv) Allahabad Museum (₹0.22			
	संगीत नाटक अकादमी (₹1.90 करोड़) (ii)		crore) 2. Grants-in-aid Salaries to (i)			
	सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई		Sangeet Natak Akademi (₹1.90 crore)			
	दिल्ली को वेतनों हेतु (₹ 0.10 करोड़)।		(ii) Centre for Cultural Resources and			
			training, New Delhi (₹0.10 crore).	-	6.86	6.86
	(ग) कला और संस्कृति तथा शताब्दी समारोह	(c)	For meeting additional expenditure			
	अन्य (मिशन, अभियान, स्कीमें तथा स्वायत		under the Scheme "Art and Culture and			
	संगठन) स्कीम के अन्तर्गत को संगीत नाटक		Centenary Celebrations - Others			
	अकादमी को वेतन सहायता अनुदान का		(Missions, Schemes and Autonomous			
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Organizations)" towards Grants-in-aid			
	311111111111111111111111111111111111111		Salaries to Sangeet Natak Akademi.	0.38		0.38

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
28 रक्षा सेवाओं पर पूंजीपरिव्यय	28 Capital Outlay on Defence Services			
थल सेना के निर्माण कार्य के तहत अतिरिक				
आवश्यकता पूरी करना।	Construction Works of Army.	-	1,588.00	1588.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
29 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	29 Ministry of Development of North			
(-) "	Eastern Region			
(क) "विश्व बैंक सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र जीविक				
परियोजना" स्कीम के अन्तर्गत अनुदान प्रदा				
करना।	Region Livelihood Project with World	20.00		20.00
(-) (i)	Bank Assistance".	30.00	-	30.00
(ख) (i) "कारबी अंगलोंग स्वायत प्रादेशिक परिष	1 0			
क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज	1			
स्कीम के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन वे लिए ₹6 करोड़) और (ii) दीमा हसाओं स्वायन	1			
प्रादेशिक परिषद को विशेष पैकेज के तहत	1			
पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान दे ^र				
दूर्वां सर्वे करोड़)। हेत्। (₹4 करोड़)।	Dima Hasao Autonomous Territorial			
લ્યું! ((4 વર્ગાવ)!	Council" (₹4 crore).	10.00	-	10.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
युट्या विज्ञान नेत्रालय 31 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	31 Ministry of Earth Sciences			
(क) (i) भारतीय नौवहन निगम को भुगतान हे				
अपूर्व स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदा				
(₹27 करोड़) और (ii) ओ-स्टोर्म्स स्कीम वे				
तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदार				
्रेट (₹6 करोड़) अतिरिक्त प्रदान करना।	Creation of Capital Assets (₹6 crore)			
	under the Scheme O-STORMS.	33.00	_	33.00
(ख) रीचआउट स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायत				
अनुदान प्रदान करने हेतु।	General under the Scheme REACHOUT.	6.00	-	6.00
(ग) (i) एक्रास स्कीम के तहत सामान्य सहायत	(c) For providing additional (i) Grants-in-			
अनुदान (₹68.30 करोड़) और (ii) सेज स्की	The state of the s			
के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लि	Scheme ACROSS and (ii) Grants for			
अनुदान (₹२ करोड़) अतिरिक्त प्रदान कररे	Treation of Capital Assets (₹2 crore)			
हेतु।	under the Scheme SAGE.	70.30	-	70.30
(घ) लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए मुख	(d) For meeting additional expenditure			
निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूर	under Major Works towards payment			
करना।	of pending liabilities.	4.00	-	4.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE			
32. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
32. पदावरण, वन आर जलवायु पारवरान नेत्रालय	32 Ministry of Environment, Forests &			
(क) (i) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थाओं अर्थात	Climate Change (a) For providing additional (i) Grants-in-			
भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिष				
को (₹4.90 करोड़) और भारतीय वन प्रबंध	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
संस्थान को (₹0.40 करोड़) सामान्य सहायत				
अनुदान; (ii) भारतीय वन प्रबंध संस्थान क	•			
पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹4.50				
करोड़) और (iii) वन्य प्राणी प्रभाग सुदृढ़ीकरण	_			
अर्थात केंदीय पाणी उद्यान पाधिकरण क				

Institute of Forest Management (₹4.50

अर्थात केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को

		(करो	ड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	न जोड़ Total
सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और वन्य प्राणी संबंधी अपराध नियंत्रण (₹1.15 करोड़) को अतिरिक्त राशि देना।	crore) and (iii) Grants-in-aid General to Stengthening of Wildlife Divisions viz Central Zoo Authority (₹2 crore) and Control of Wildlife Crime (₹1.15 crore		-	12.95
(ख) ईएपी घटक के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	 (b) For providing Grants for creation of Capital Assets to National River Conservation Plan under EAP Component 		_	5.00
(ग) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सिविल इंजीनियरिग विंग के तहत मुख्य निर्माण कार्यों	(c) For meeting expenditure towards Major Works under Civil Engineering Wing			2.00
के लिए व्यय पूरा करना।	for construction of office building.	3.00	-	3.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
33. विदेश मंत्रालय (क) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (i) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए दूतावासों और मिशन (₹276.02 करोड़) (ii) 'विशेष डिप्लोमेटिक व्यय' (₹1014 करोड़) और (iii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (₹917.31 करोड़)।	 Ministry of External Affairs (a) For providing additional funds under (i) 'Embassies and Missions' to meet establishment related expenditure (₹276.02 crore), (ii) 'Special Diplomatic Expenditure' (₹1,014 crore) and (iii) 'Central Passport Organisation' 		2 207 22	0.007.00
(ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत विदेशों को निधियां प्रदान करना (i) नेपाल को सहायता (₹500 करोड़) (ii) म्यांमार को सहायता। (₹275 करोड़) (iii) अफ्रीकी देशों को सहायता (₹571.53 करोड़) और अफगानिस्तान को सहायता	(₹917.31 crore); (b) For providing funds to foreign countries under the schemes (i) 'Aid to Nepal' (₹500 crore), (ii) 'Aid to Myanmar' (₹275 crore), (iii) 'Aid to African Countries' (₹571.53 crore) and			2,207.33
(₹463.67 करोड़)।	'Aid to Afghanistan' (₹463.67 crore).	-	1,810.20	1,810.20
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
34. आर्थिक कार्य विभाग (क) व्याप करीम शुरू करने के विपा विनास	34 Department of Economic Affairs (a) For meeting additional expanditure			
(क) स्वर्ण स्कीम शुरु करने के लिए विज्ञापन और प्रचार प्रसार की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।	(a) For meeting additional expenditure towards advertisement and publicity for the launch of Gold Schemes	-	3.20	3.20
(ख) प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) के लिए आईडीबीआरडी द्वारा किए गए संवितरण के संबंध में (i) किराए, दरों और करों के लिए (₹0.95 करोड़) और (ii) किराए पर ली गई परामर्श सेवाएं जमा न किए गए रूपए के समतुल्य भुगतान के लिए (₹0.46	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Rent, Rates and Taxes (₹0.95 crore) and (ii) payment of hired consultancy services-Non Deposit Rupee equivalent in respect of disbursement made by IBRD for Security Appellate			
करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना। (ग) 'सरकारी खातों के लिए दावा न की गई प्रतिभूतियों संबंधी भुगतान' के लिए एकमुश्त प्रावधान हेतु अतिरिक्त खर्च पूरा करना।	Tribunal (SAT) (₹0.46 crore). (c) For meeting additional expenditure for lumpsum provision towards Payment in connection with Unclaimed Securities	-	1.41	1.41
(घ) आईएफएडी संसाधनों की 10वीं पूर्ति के लिए अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान और विनिमय में	credited to Government Accounts'. (d) For meeting expenditure towards Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) on		0.10	0.10
परिवर्तन के कारण खर्च पूरा करना। (ड) अधिक डीजल कर संग्रहण के कारण केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण और रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए रेलवे को जारी करने के लिए	account of exchange variation to 10th Replenishment of the IFAD Resource (e) For meeting additional expenditure towards transfer to Central Road Fund on account of higher collection of diesel	ò	19.00	19.00
अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए।	cess and further release to Railways for Railways Safety Works.	1724.00	-	1724.00

				आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड़
मुदान र	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grai	nt No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
(च)	निम्नलिखित की अतिरिक्त जरूरत हेतु (i)	(:	f) For meeting additional expenditure			
()	अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीएफ) को अंशदान	`	towards (i) subscription to African			
	(₹36.26 करोड़) (ii) विशेष आहरण अधिकारों		Development Fund (AfDF) (₹36.26			
	के प्रशासन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक		crore) (ii) Assessment charges payable			
	निधि को देय मूल्यांकन प्रभार (₹0.22 करोड़)		to International Monetary Fund in			
	(iii) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय न्यास		regard to Administration of Special			
	निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान के लिए		drawing Rights (₹0.22 crore) (iii)			
	व्यय पूरा करना (₹3.25 करोड़) और (iv)		Contribution to South-South Experience			
	प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय		Exchange Trust Fund (SEETF) (₹3.25			
	विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अंशदान		crore) and (iv) Contributions to			
	(₹13.40 करोड़)।		International Development Association			
	(C13.40 47(19)1		(IDA) (₹13.40 crore).		53.13	53.13
(c x)	निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(g) For meeting additional expenditure	=	33.13	33.1.
(8)	(i) एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक	(
	***		towards (i) Contribution to the Global			
	निधि में अंशदान (₹1.52 करोड़) (ii)		Fund for AIDS, TB and Malaria (₹1.52			
	टीकाकरण और प्रतिरक्षण (जीएवीआई) के		crore) (ii) Contribution to Global Alliance			
	लिए वैश्विक गठजोड़ को अंशदान (₹0.53		for Vaccination and Immunization		2.05	2.05
()	करोड़)।		(GAVI) (₹0.53 crore)	-	2.05	2.05
(ज)	निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	()	h) For meeting additional expenditure (i)			
	(i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निवासी		Expenses of Resident Representative of			
	प्रतिनिधि का व्यय (₹0.98 करोड़) (ii) विनिमय		United Nations Development			
	दर में परिवर्तन की वजह से वैश्विक पर्यावरण		Programme (₹0.98 crore) (ii)			
	सुविधा न्यास निधि को अंशदान (₹1.71		Contributions to Global Environment			
	करोड़)।		Facility Trust Fund (₹1.71 crore) on			
			account of exchange rate variation.	-	2.69	2.69
(耔)		(i) For recoupment of CFI advance			
	(एनआईआईएफ) के सृजनार्थ चुकाई गई		sanctioned for paid up capital for			
	पूंजी के लिए स्वीकृत सीएफआई अग्रिम के		creation of National Investment &			
	रिकूपमेंट के लिए (₹0.02 करोड़) और राष्ट्रीय		Infrastructure Fund (NIIF) (₹0.02 crore)			
	निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड		and National Investment &			
	(₹0.02 करोड़)।		Infrasturcture Fund Trustee Limited			
			(₹0.02 crore)	-	0.04	0.04
(퍼)	(i) (क) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत	(j) For meeting additional expenditure			
	पूरी करना (i) सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई)		towards (i) Payment of General Capital			
	का भुगतान (₹6.27 करोड़) (ii) सामान्य		Increase (GCI) (₹6.27 crore) (ii)			
	पूंजी वृद्धि के तहत 1744 अतिरिक्त शेयरों		allotment of 1,744 additional shares			
	के आबंटन के लिए (विनिमय दर में परिवर्तन		under General Capital Increase (₹5.19			
	के लिए (₹5.19 करोड़ + ₹0.43 करोड़)		crore + ₹0.43 crore towards exchange			
	(iii) ब्रिक्स-न्यू डेवलपमेंट बैंक को अंशदान		rate variation) (iii) Subscription			
	का भुगतान (₹70.00 करोड़)।		payment to BRICS- New Development			
			Bank (₹70 crore).	-	81.89	81.89
विर्त्त	ोय सेवा विभाग	35 I	Department of Financial Services			
(क)	भारत स्विस सहयोग के तहत नाबार्ड के		a) Subsidy for settlement of pending			
. ,	लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी।	,	claims of NABARD under Indo Swiss			
	3		Co-operation.	_	5.39	5.39
(ख)	हाउसिंग लोन के लिए 1 प्रतिशत ब्याज माफी	(b) Subsidy for settlement of the pending claims			
(' ')	स्कीम के तहत लंबित दावों के निपटान हेतु	(under 1% interest Subvention Scheme for			
	सब्सिडी (₹85 करोड़) 'ब्याज विभेदक निधि'		Housing Loans (₹85 crore), Grants-in-aid			
	के तहत जमा किए गए आईसीआईसीआई		for reimbursement of funds to ICICI Bank			
	बैंक को निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता		deposited under Interest Differential Fund			
	अनुदान (₹37.74 करोड़); और स्ट्रेस एसेट्स		_			
	सटेबिलाईजेशन निधि (एसएएसएफ) को निर्गमित		(₹37.74 crore) and additional expenditure			
			(₹150 crore) towards redemption of			
	प्रतिभूतियों के उन्मोचन के लिए (₹150 करोड़)		securities issued to Stressed Assets		272.74	272.7
	अतिरिक्त व्यय।		Stabilization Fund (SASF).	-	272.74	272.7

			(करें	ोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant N	o. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) गरीबों की मदद के लिए परामर्श समूह में भारत की सदस्यता (सीजीएपी) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	I A	For meeting expenditure towards India's Membership in Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). For providing additional loans to	-	0.62	0.62
को अतिरिक्त ऋण प्रदान करना। (ङ) राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (एनएचबी) को ऋण। (च) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	(e) I	NABARD. Loans to National Housing Bank (NHB). Loans to Small Industries Development	190.00	0.02	0.02 190.00
को ऋण।	I	Bank of India (SIDBI).	-	49.82	49.82
वित्त मंत्रालय 43 राजस्व विभाग दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना।	43 Depa For p	RY OF FINANCE nrtment of Revenue providing CST compensation to UTs elhi and Puducherry.	-	1845.65	1845.65
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		CRY OF FOOD PROCESSING USTRIES			
47 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान और विकास और संवर्धानात्मक क्रियाकलापों की स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹5.01 करोड़)।	For p Gene	stry of Food Processing Industries providing additional Grants-in-aid-tral (₹5.01 crore) under the scheme for ity Assurance, R&D and Promotional vities.	5.01	_	5.01

रवास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

48. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(क) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवयकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान; 1.वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.85 करोड़) 2. चितंरजन नेशनल केंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 0.64) करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹70 करोड़) 4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो साइसेंज बैंगलोर (₹9.71 करोड़) 5. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एवं हियरिंग, मैसूर (₹ 1.42 करोड़) 6. रनातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (₹22.10 करोड़) 7. क्षेत्रीय रनातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर, पुदुच्चेरी (₹ 43 करोड़) 8. लाला राम स्वरूप टी.बी. एंव सम्बद्ध रोग संस्थान नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़) 9. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (₹ 2 करोड़) (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवयकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान वेतन 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.50 करोड़) 2. चितंरजन नेानल केंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 2.76 करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹ 200 करोड़) 4. रनातकोत्तर चिकित्सा क्षाि और अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ (₹ 160 करोड़) 5. क्षेत्रीय रनातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर पुदुच्चेरी (₹25 करोड़)।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

48 Department of Health and Family Welfare

(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹0.85crore) 2. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹0.64 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹70 crore) 4. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹9.71crore) 5. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹1.42crore) 6. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹22.10crore) 7. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹43 crore) 8. Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (₹0.08 crore) 9. Rashtriya Arogya Nidhi (₹2 Crores) (ii) Grants-in-aid Salaries under the Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹0.50 crore) 2. Chittaranjan national Cancer Institute, Kolkata (₹2.76 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹200 crore) 4. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹160 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹25 crore).

- 538.06 538.06

		(करोड़ रुपए Rupees in Cro			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
 (ख) जनशक्ति की अधिप्राप्ति आपूर्ति, सेवा, सूचना िक्षा एवं संचार (आईइसी) कार्यकलापों और अन्य स्थापना सम्बद्ध अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. गर्भ निरोधक का सामाजिक विपणन (₹ 50 करोड़) - गर्भ निरोधकों की आपूर्ति संबंधी 2. परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री की निशुल्क आपूर्ति (₹100 करोड़) 3. सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (₹50 करोड़)। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। 	 (b) For meeting additional expenditure towards procurement of Manpower, Supplies, Services, Information Education & Communication (IEC) activities and other Establishment related expenditure under 1. Social Marketing of Contraceptives (₹50 Crore) 2. Free Supply of Family Planning Material (₹100 Crore) 3. Information, Education and Communications (₹50 Crore). (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under National Institute of Health & Family Welfare, 	200.00	-	200.00	
(घ) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई के प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय पूरा करना।	New Delhi. (d) For meeting expenditure under Major Works in Family Welfare Training and	-	1.50	1.50	
3.4	Research Centre, Mumbai.	0.99	-	0.99	
(क) (1) निम्नलिखत स्कीमों के तहत अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय चिकित्स अनुसंघान परिषद (₹ 164.65 करोड़) (ii) नई, स्वीकृत फैलोशिप के लिए औषधि और में अनुसंघान (₹ 1.80 करोड़) (iii) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप के संबंध में अपेक्षाएं पूरी करने के लिए महामारियों के प्रकोप की रोकथाम हेतु उपकरणों का विकास (₹ 9 करोड़) और (iv) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप संबंधी व्यय पूरा करने के लिए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (₹4.50 करोड़) (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹37 करोड़) और (3) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 35 करोड़) (ii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 35 करोड़) (ii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वितन सहायता अनुदान (₹45 करोड़) का व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for the Schemes (i) Indian Council of Medical Research (₹164.65 crore),(ii) Research in Medicine & Health for newly sanctioned fellowship (₹1.80 crore),(iii) Development of Tools to Prevent Outbreak of Epidemics to meet requirement on outbreak of Epidemics, Dengue, H1N1 (₹9 crore) and (iv) Management of Natural Calamities for meeting expenditure on outbreaks of Epidemics, Dengue, H1N1(₹4.50 crore), 2. Grants for Creation of Capital Assets for Indian Council of Medical Research (₹37 crore) and 3. Grants-in aid Salaries for ICMR (₹129 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Medical Research (₹35 crore) and (ii) Grant-in-aid Salaries to Indian Council of Medical Research (₹45 crore).	345.95	80.00	345.95 80.00	
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों व सिकिक्म हेतु प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(c) For augmentation of provisions for NER & Sikkim.	43.73	-	43.73	
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग (क) नेपा लिमिटेड में पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में अतिरिक्त निवेश पूरा करने के लिए	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES 51 Department of Heavy Industry (a) For meeting additional investment in NEPA Limited as a part of revival package.	53.59	_	53.59	
गृह मंत्रालय 55 पुलिस (क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) कार्यालय भवन (₹517.55 करोड़) (ii) रिहायशी भवन (₹430.42 करोड़) (iii) सीमा चौकी (₹36.27	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 55 Police (a) For meeting expenditure for (i) Office Building (₹517.55 crore), (ii) Residential Building (₹430.42 crore),				

		(कर	ोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करोड़) (iv) भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य (₹49 करोड़) (v) भारत-पाक सीमा में कंटीले तार लगाना (₹10 करोड़) और (vi) बीएसएफ वायु स्कंध की मशीनरी और उपस्कर (₹55.87 करोड़)।	(iii) Border Out Posts (₹36.27 crore), (iv) Indo-China Border Works (₹49 crore), (v) Barbed wire fencing works in Indo-Pak Border (₹10 crore) and (vi) Machinery & Equipments of BSF Air Wing (₹55.87 crore)	1,099.11		1099.11
(ख) बीएसएफ द्वारा 3 एमआई 17 वी-5 हेलीकॉप्टर	(b) For meeting expenditure for procurement	1,099.11		
की खरीद के लिए व्यय पूरा करना। 56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	of three MI 17 V-5 Helicopters by BSF. 56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	-	37.74	37.74
भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि घेराबंदी करार 1975 और इसके प्रोटोकाल 2011 के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards implementation of the Land Boundary Agreement 1975 and its protocol 2011 between India and Bangladesh.	-	50.00	50.00
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under the scheme Credit Linked Subsidy Scheme.	180.00		180.00
(ख) संस्थागत विकास समावेशी अभिशासन स्कीम के अंतर्गत सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अध्ययन आदि का आयोजन करने के लिए सामान्य	(b) For providing Grant-in-aid for conducting conferences, workshops, studies, etc. under the scheme of Institutional		-	
सहायता अनुदान प्रदान करना। (ग) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम (₹20 करोड़) (ii) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्कीम के तहत शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं (₹8 करोड़) और स्लम विकास परियोजना (₹2 करोड़)।	Development inclusive Governance (c) For meeting expenditure under (i) the scheme Credit Linked Subsidy Scheme (₹20 crore) (ii) Basic Services to Urban Poor (₹8 crore) and Integrated Housing and Slum Development Project (₹2 crore) under the scheme of Jawahar Lal	4.79	-	4.79
(घ) जापानी एनसेफेलीटिस और एक्युट एनसेफेलीटिस सिंड्रोम स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करने के	Nehru National Urban Renewal Mission (d) For meeting expenditure under the scheme Japanese Encephalitis and Acute	30.00	-	30.00
लिए। (ड.) एकीकृत आवास और स्लम विकास परियोजना स्कीम के तहत अनुदान प्रदान करने के	Encephalitis Syndrome (e) For providing grants under the scheme Integrated Housing and Slum Development	15.00	-	15.00
लिए।	Project	2.00	-	2.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
 रकूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (क) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए भिन्न केन्द्रीय सरकारी लोक क्षेत्र उद्यमों को भुगतान करने के लिए। (ख) (i) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान 	 59 Department of School Education and Literacy (a) For making payment to the various Centreal Govt. PSUs towards Grants-in-aid General under the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). (b) For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme of Strengthening of 	15.42	-	15.42
(₹45.31 करोड़) (ii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹1.12 करोड़) देने के लिए।	Teacher Training Institutions (₹45.31 crore); (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of Strengthening of Teacher Training Institutions (₹1.12 crore).	46.43	-	46.43

		(क ¹	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(क) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1. निम्न स्कीमों के तहत समान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान (₹13 करोड़)(ii) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹2 करोड़) (iii) उच्चतर शिक्षा में निःशक्त व्यक्ति को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल (₹3 करोड़) और (iv) पुस्तकों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थाएं (₹5 करोड़); 2. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के लिए पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹230 करोड़)।	60 Department of Higher Education (a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the schemes (i) Grants for Promotion of Indian Languages (₹13 crore) (ii) National University of Education Planning and Administration(NEPA) (₹2 crore) (iii) National initiative on inclusion of person with disability in higher educaion (₹3 crore) and (iv) National Book Trust/Institutions for Book Promotion (₹5 crore); 2. Grants for Creation of Capital Assets for the scheme Grants to Central Universities (₹230 crore).	253.00	_	253.00
(ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1. निम्न के तहत समान्य सहायता अनुदान (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (₹50 करोड़) और (ii) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (₹20 करोड़) 2. निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय खान स्कूल धनबाद (₹20 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंध संस्थान (₹80 करोड़) (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंस्थान संस्थान (₹50 करोड़), (iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹75 करोड़), और (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹78 करोड़)।	(t250 crore). (b) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General to (i) All India Council for Techinical Education (₹50 crore) and (ii) Technical Education Quality Improvement Project (₹20 crore); 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Indian School of Mines, Dhanbad (₹20 crore), (ii) Indian Institutes of Management (₹80 crore), (iii) Support to Indian Institute of Science and Indian Institute of Science, Education and Reserach (₹50 crore), (iv) Indian Institutes of Technology (₹75 crore) and (v) National Institutes of	233.00		233.00
(ग) निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹31.58 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹15 करोड़) (iii) भारतीय प्रबंधन संस्थान (₹10 करोड़)।	Technology (₹78 crore). (c) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Grants to Central Universities (₹31.58 crore) (ii) National Institutes of Technology (₹15 crore) (iii) Indian Institutes of Management (₹10 crore).	373.00 56.58	-	373.00 56.58
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
61. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (क) विकास संप्रेषण और सूचना प्रसारण के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	BROADCASTING 61 Ministry of Information and Broadcasting (a) For meeting the expenditure under Development Communication and Information Dissemination.	131.00	-	131.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय 62. श्रम और रोजगार मंत्रालय (क) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत सामान्य घटक (₹13.50 करोड़) और टीएसपी (₹33.50 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 62 Ministry of Labour and Employment (a) For meeting the expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for General component (₹13.50 crore) and TSP (₹33.50 crore) under the scheme of Skill Development Mission	47 00		47.00
	_	47.00	-	

		<i>(क</i> र	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66. सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
 (क) निम्न की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) तकनीकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता के लिए "सब्सिडियां" (₹232 करोड़); (ii) "ऋण सहायता स्कीम के लिए अंशदान (₹50 करोड़); (iii) अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन अनुदान, (₹15 करोड़); (iv) इंडिया इंक्लुसिव इनोवेशन फंड के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹0.45 करोड़)। (ख) "खादी अनुदान" के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि पूरी करना 	(a) For meeting the additional expenditure towards (i) Subsidies (₹232 crore) for Quality of Technology Support Institutions & Programme (ii) Contribution (₹50 crore)to Credit Support Programme (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹15 crore) under Infrastructure Development and Capacity Building (iv) Grants-in-Aid General (₹0.45 crore) under India Inclusive Innovation Fund. (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under "Khadi	297.45	-	297.45
अनुदान हतुं आतारक्त साश पूरा करना	Grant".	-	11.98	11.98
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय नई मंजिल' स्कीम के लिए व्यय	68 Ministry of Minority Affairs For expenditure of the scheme 'New Manjil'.	0.01	-	0.01
नवीन और अक्षत ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69. नवीन और अक्षत फर्जा मंत्रालय घरेलू यात्रा व्यय के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना।	69 Ministry of New and Renewable Energy For providing grant-in-aid for Regional offices for Domestic Travel Expenses.	0.03	-	0.03
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार के लिए सहायता अनुदान (₹0.59 करोड़) और (ii) ईएपी- यूएनडीपी- सरकारी प्रशासन और शासन का सुदृढ़ीकरण (₹0.56 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid under "Propagation of RTI Act" (₹0.59 crore) & (ii) EAP-"UNDP Strengthening of Public Administration & Governance (₹0.56 crore).	1.15		1.15
तुर्वृक्षिपरस्य (१०.५० परसङ्)।	((0.50 Clore).	1.13	-	1.13
विद्युत मंत्रालय 77. विद्युत मंत्रालय पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए।	 MINISTRY OF POWER 77 Ministry of Power For strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all". 	58.59	-	58.59
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
"अनुसंघान और विकास"के तहत अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए।	For other administrative expenses under "Research and Development".	1.00	-	1.00

				ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MI	NISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	86	Department of Science and Technology			
(क) निम्न के लिए अतिरिक्त प्रदान करने के		(a) For providing additional (i) Grants-in-			
लिए (i) सहबद्ध और अनुसंधान एवं विकास		aid General for Alliance & R&D			
मिशन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (प्रेरणा					
		Mission (Inspire Awards) (₹27.50			
पंचाट) (₹27.50 करोड़), सामाजिक आर्थिक		crore), S&T Programme for Socio			
विकास के लिए एस एंड टी कार्यक्रम(एस		Economic Development (S&T			
एंड टी उद्यमिता विकास) (₹13 करोड़) और		Entrepreneurship Development) (₹13			
राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम(₹7		crore), and State Science & Technology			
करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास		Programme (₹7 crore) and (ii) Grants for			
सहायता के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु		creation of capital assets for Research			
अनुदान (₹45 करोड़), सामाजिक आर्थिक		& Development Support (₹45 crore),			
विकास के लिए एसएंडटी कार्यक्रम (एसएंडटी		S&T Programme for Socio Economic			
उद्यमिता विकास)(₹7 करोड़) और राज्य		Development (S&T Entrepreneurship			
विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹3 करोड़)।		Development) (₹7 crore) and State Science			
विशा । भाषा विभावभाषा (१० वर्गाप्)।		& Technology Programme (₹3 crore)	102.50		102.50
(म) मौनोपिनी विकास कोर्न के टिपा अधिका			102.30	-	102.30
(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए अतिरिक्त		(b) For providing additional Grants-in-aid			
सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के		General for Technology Development		• • • • •	• • • • •
लिए।		Board	-	20.00	20.00
88. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	88	Department of Biotechnology			
(क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए		(a) For meeting additional expenditure of (i)			
(i) स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाओं		Grants-in-aid General (₹10 crore), Grants for			
को सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) पूंजीगत		creation of Capital Assets (₹45.17 crore) and			
आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹45.17		Grants-in-aid Salary (₹15 crore) to			
करोड़) सहायता अनुदान वेतन (₹15 करोड़)		Autonomous R& D Institutions; (ii) Grants-			
(ii) मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य		in-aid General (₹20 crore) towards Human			
सहायता अनुदान (₹20 करोड़) (iii) अनुसंधान		Resource Development (iii) Grants-in-aid			
और विकास के लिए सहायता हेतु सामान्य सहायता		General (₹30 crore) towards Assistance for			
अनुदान (₹30 करोड़) (iv) उत्कृष्ठता और नवोन्मेष		Research & Development (iv) Grants-in-aid			
हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹५ करोड़) और		General (₹5 crore) and Grants for creation of			
पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹5 करोड़)		Capital Assets (₹5 crore) towards Programme			
(v) जैव-प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए हेतु सामान्य		for promotion of Excellence and Innovation			
सहायता अनुदान (₹5 करोड़)।		and (v) Grants-in-aid General (₹5 crore) for			
		Biotech facilities.	135.17	-	135.17
नौवहन मंत्रालय		NISTRY OF SHIPPING			
89. नौवहन मंत्रालय	89	Ministry of Shipping			
(क) अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थता के लिए विधिक फर्म		(a) For balance payment to law firm for			
को शेष का भुगतान।		International Arbitration.	-	6.53	6.53
(ख) सागरमाला परियोजना की अतिरिक्त मांग		(b) For meeting additional expenditure for			
पूरी करना।		Sagarmala Project.	49.30	-	49.30
(ग) अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में अवतरण		(c) For meeting expenditure under major			
सुविधा और घाटों के प्रमुख निर्माण कार्यों		works for construction of landing			
के तहत व्यय पूरा करना।		facilities and jetties in Andaman			
9		Lakshadweep Harbour Works.	22.48	_	22.48
(घ) जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के तहत		(d) Loan Visakhapatnam Port Trust under	22.10		22.10
विशाखापटनम पोर्ट दुस्ट को ऋण।		of Japan International Cooperation			
विशाखायटाम याट दूरेट की ऋगी		Agency Project.	5.87	-	5.87
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND			
		EMPOWERMENT			
91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	91	Department of Social Justice and Empowerment			
निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) अनुसूचित		For meeting expenditure of (i) National			

			आयोजना	शेड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड़
नुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (₹10		Overseas Scholarship for Scheduled Castes			
करोड़) तथा (ii) अनुसूचित जातियों के लिए		(₹10 crore) and (ii) Top Class Education for			
शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹10 करोड़)।		Scheduled Castes (₹10 crore);	20.00	-	20.00
2. निशक्तता मामले विभाग	92	DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS			
राष्ट्रीय पुर्नवास विज्ञान और अशक्त अध्ययन विश्व-		For meeting expenditure towards 'Grant-in-			
विद्यालय में सामान्य राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण		aid General' for up-gradation of National			
(एचआईएसएच) संस्थान के उन्नयन के लिए		Institute of Speech and Hearing (HISH) into			
सहायता-अनुदान' का व्यय पूरा करना।		National University of Rehabilitation			
		Science and Disability Studies.	1.00	-	1.00
तरिक्ष विभाग	DE	PARTMENT OF SPACE			
3. अंतरिक्ष विभाग	93	Department of Space			
(क) सामान्य सहायता अनुदान के लिए सेमी		(a) For meeting the additional expenditure			
कंडकटर लेबोरेटरी के अंतर्गत अतिरिक्त		under Semi-conductor Laboratory			
व्यय पूरा करने के लिए।		towards Grants-in-aid General.	42.47	-	42.47
(ख) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के लिए (₹3.26		(b) For meeting the additional expenditure			
करोड़) और फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी के		of Grants-in-aid Salaries for Semi-			
लिए (₹3.85 करोड़) हेतु सहायता अनुदान		conductor Laboratory (₹3.26 crore)			
वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के		and Physical Research Laboratory			
लिए।		(₹3.85 crore).	-	7.11	7.1
(ग) इनसैट-4 उपग्रह (₹3.93 करोड़), जीसैट-		(c) For meeting the additional expenditure			
16 उपग्रह (₹4.12 करोड़) और जीसैट-19		of Machinery and Equipment Under			
उपग्रह (₹2.39 करोड़) के तहत मशीनरी		INSAT-4 Satellites (₹3.93 crore), GSAT-			
और उपस्कर का अतिरिक्त व्यय को पूरा		16 Satellites (₹4.12 crore) and GSAT-19			
करने के लिए।		Satellites (₹2.39 crore).	10.44	-	10.44
(घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा		(d) For meeting the additional expenditure of			
करना (i) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को		(i) Vikram Sarabhai Space Centre towards			
मशीनरी और उपस्कर (₹42.20 करोड़) और		Machinery and Equipment (₹42.20 crore)			
मुख्य निर्माण कार्य (₹15 करोड़); (ii) मुख्य		and Major Works (₹15 crore); (ii) Polar			
निमार्ण कार्य हेतु पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल		Satellite Launch Vehicle towards Major			
(₹3.28 करोड़); (iii) मुख्य निर्माण कार्य		Works (₹3.28 crore); (iii) ISRO Satellite			
हेतु इसरो सैटेलाइट केंद्र (₹20 करोड़); (iv)		Centre towards Major Works (₹20 crore);			
मुख्य निर्माण कार्य के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक		(iv) Laboratory for Electro Optics System			
लेबोरेटरी (₹2.45 करोड़); (v) मशीनरी और		towards Major Works (₹2.45 crore); (v)			
उपस्कर के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र		Satish Dhawan Space Centre towards			
(₹18.05 करोड़); (vi) मुख्य निर्माण कार्य		Machinery and Equipment (₹18.05 crore)			
के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास		(vi) Semi Cryogenic Engine Development			
(₹15.54 करोड़); (vii) मुख्य निर्माण कार्य		towards Major Works (₹15.54 crore); (vii)			
के लिए इसरो प्रोपल्सन कांप्लैक्स (₹14.70		ISRO Propulsion Complex towards Major			
करोड़); (viii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हेतु		Works (₹14.70 crore); (viii) Machinery			
मशीनरी और उपस्कर (₹37.29 करोड़) और		and Equipment towards Space			
मुख्य निर्माण कार्य (₹1 करोड़); (ix) विकास		Applications Centre (₹37.29 crore) &			
और शिक्षा संचार यूनिट हेतु मशीनरी और		Major Works (₹1 crore); (ix) Machinery			
उपस्कर (₹0.45 करोड़); (x) राष्ट्रीय रिमोट		and Equipment towards Development &			
सेंसिंग केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य		Educational Communication Unit (₹0.45			
(₹6.02 करोड़); (xi) आपदा प्रबंधन सहायता		crore); (x) Major Works towards National			
हेतु मशीनरी और उपस्कर (₹9.43 करोड़)		Remote Sensing Centre(₹6.02 crore); (xi)			
और (xii) चंद्रयान-1 और 2 हेतु मशीनरी		Machinery and Equipment towards			
और उपस्कर (₹7.30 करोड़)।		Disaster Management Support (₹9.43			
		crore) and (xii) Machinery and Equipment			
		towards Chandrayaan-1&2(₹7.30 crore).	192.71	-	192.71

		(क	in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
94. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	94 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) सांख्यिकी सुदृढीकरण स्कीम के तहत अतिरिक्त	(a) For providing additional Grants-in-aid-			
सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	General under the Scheme Support for			
	Statistical Strengthening.	23.62	-	23.62
(ख) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान	(b) For providing Grants-in-aid-General			
प्रदान करने के लिए (i) क्षमता विकास	under the Scheme (i) Capacity			
(₹10.25 करोड़) (ii) सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण	Development (₹10.25 crore) (ii) Statistical	50.56		50.56
(₹40.31 करोड़)।	Strengthening (₹40.31 crore).	50.56	-	50.56
(ग) सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत	(c) For providing additional Grants-in-aid-			
अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	General under the Scheme Support	5.04		5.04
करन क ।लए।	for Statistical Strengthening.	5.94	-	5.94
कपड़ा मंत्रालय 96. कपडा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96. कपड़ा मत्रालय(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा	96 Ministry of Textiles(a) For meeting additional expenditure			
करना 1. निम्न स्कीमों के तहत सामान्य	towards 1. Grants-in-aid General under			
सहायता अनुदान (i) (i) राष्ट्रीय हथकरघा	the Schemes (i) National Handloom			
विकास कार्यक्रम (₹6.66 करोड़) (ii)	Development Programme (₹6.66 crore)			
हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण (₹1.66	(ii) Handloom Weavers Comprehensive			
करोड़) (iii) रेशे आपूर्ति मिल गेट मूल्य	Welfare (₹1.66 crore) (iii) Yarn Supply/			
(₹43 करोड़) और (iv) बीज संगठन (₹0.53	Mill Gate Price (₹43 crore) & (iv) Seed			
करोड़) 2. व्यापार सुविधा केन्द्र और हस्तशिल्प	Organization (₹0.53 crore); 2.			
संग्रहालय के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाएं	Professional Services under Trade			
(₹0.90 करोड़) और 3. निम्न स्कीमों के	Facilitation Centre and Craft Museum			
तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान	(₹0.90 crore) and 3. Grants for creation			
(i) प्रोद्योगिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी पहल	of Capital Assets under the Schemes (i)			
का अनुसंधान और प्रशिक्षण अंतरण (₹4.24	R&D Training Transfer of Technology			
करोड़) और (vi बीज संगठन (₹0.47 करोड़)।	and IT Initiative (₹4.24 crore) & (ii) Seed			
	Organization (₹0.47 crore).	57.46	-	57.46
(ख) राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान के अन्तर्गत	(b) For meeting additional expenditure			
पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के	towards Grants for creation of Capital			
लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	Assets under National Institute of			
	Fashion Technology.	12.00	-	12.00
पयर्टन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
(क) रिहायशी अवसंरचना को प्रोत्साहन के रूप	(a) For providing capital subsidy as incentive	0.70		0.70
में पूंजी सब्सिडी प्रदान करना।	to accommodation infrastructure	0.50	-	0.50
(ख) जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत 'पर्यटन	(b) For meeting expenditure towards			
सर्किट' के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना	'Tourism Circuits' under Tribal Area	17.00		17.00
जनजातीय मामले मंत्रालय	Sub Plan MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS	17.00	-	17.00
98. जनजातीय मामले मंत्रालय	98 Ministry of Tribal Affairs			
निम्न के लिए 1. स्कीम के तहत निम्न के तहत	For 1. providing Grants-in-aid General under			
सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए	the Scheme (i) Research Information & Mass			
(i) अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय	Education, Tribal Festivals and Others (₹1			
उत्सव और अन्य (₹1 करोड़) और (ii) गौण वन	crore) and (ii) Minimum Support Price for			
उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य(₹3 करोड़) 2.	Minor Forest Produce (₹3 crore) 2. meeting			
अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय	additional requirment under the Scheme			
उत्सव और अन्य (₹8.14 करोड़)।	"Reserach Information & Mass Education,			
3 3 3. 4 (10.14 4.19)1	Tribal Festivals and Others (₹8.14 crore)	12.14	_	12.14
	((0,11,010)			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा सहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
102. दमन और दीव	102 Daman and Diu			
(क) दीव जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फीएस्टा डी दीव 2015 समारोह के लिए विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त व्यय	(a) For meeting additional expenditure towards Advertising & Publicity for celebration of Fiesta De Diu-2015 for			
पूरा करने के लिए। (ख) दीव में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा	promoting tourism in Diu District. (b) For meeting expenditure towards payment to Airport Authority of India	8.00	-	8.00
करने (₹16 करोड़)। (ग) दमन जिले में पुलिस क्वार्टर और आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण	at Diu (₹16 crore).(c) For meeting expenditure under Major Works towards construction of Police	16.00	-	16.00
कार्य के तहत व्यय पूरा करने के लिए। (घ) दीव में कॉलेज भवन और पोलीटेक्नीक के	Quarters & internal roads in Daman District.	2.56	-	2.56
(व) दाव न कालज नवन आर पालाटक्नाक के निर्माण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यय पूरा करना। (इ) दीव में सरकारी अस्पताल के निर्माण के लिए	 (d) For meeting expenditure under Major Works towards construction of College Building & Polytechnic College at Diu. (e) For meeting expenditure under Major 	5.00	-	5.00
निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यय पूरा करने के लिए (₹5.10 करोड़)।	Works towards construction of Government Hospital at Diu (₹5.10 crore).	5.10	-	5.10
शहरी विकास मंत्रालय 104. शहरी विकास विभाग निम्न के निर्माण का व्यय पूरा करने के लिए (i) केबी ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण (₹1 करोड़)। (ii) गाचीबावली, हैदराबाद में होलीडेहोम का निर्माण (₹1 करोड़) और (iii) डीघा, पटना में सामान्य पूल रियाहशी आवास का निर्माण (₹5 करोड़)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 104 Department of Urban Development For meeting expenditure towards construction of (i) residential quarters at KB Block, Salt Lake City, Kolkata(₹1 crore), (ii) Holiday Home at Gachibawli, Hyderabad (₹1 crore) and (iii) General Pool Residential Accommodation at Digha, Patna (₹5 crore).	7.00	-	7.00
शहरी विकास मंत्रालय (क) निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु 1. निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, परिसर, रायपुर के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करना। (रा करोड़) (ii) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष का पुनः प्रतिरूपण करना। (रा करोड़), और (iii) महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, आईएनए, नई दिल्ली की आंतरिक	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 105 Public Works For meeting the expenditure towards (i) construction of boundary wall around Field Training Centre, Geological Survey of India Training Institute Campus, Raipur. (₹1 crore); (ii) remodelling of conference halls in Vigyan Bhawan, New Delhi (₹4 crore) and (iii) interior furnishing of Office of Controller General of Accounts, INA, New Delhi (₹8.90 crore).	13.90	_	13.90
साज-सज्जा। (₹8.90 करोड़)। 106. लेखन- सामग्री और मुद्रण प्रशिक्षुओं की बढ़ी हुई छात्रवृद्धि दर का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए	106 Stationery and Printing For meeting the expenditure towards increased stipend rate of Apprentices.	-	1.20	1.20
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REGUVENTATION 107 Ministry of Water Resources Biver			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिकिक्म के तहत प्रावधान की	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation For augmentation of provisions under North			

			रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
108 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	108 Ministry of Women and Child Development			
(क) निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के तहत 500 स्थानों के चाइल्ड लाईन इंडिया फाउन्डेशन (सीआईएफ) (₹37.77 करोड़) (ii) प्रियदर्शिनी स्कीम के तहत नाबार्ड (₹2.08 करोड़) और (iii) देख-रेख और संरक्षण के जरुरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम (₹4 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid General to (i) Childline India Foundation (CIF) for 500 locations under Integrated Child Protection Scheme(ICPS) (₹37.77 crore), (ii) NABARD under the Scheme Priyadarshini (₹2.08 crore), (iii) Scheme for Welfare of Working Children in	43.85	-	43.85
(ख) निम्निलिखित प्रदान करने के लिए 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) (₹0.12 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग को (₹0.18 करोड़) 2. निम्निलिखित स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (i) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) (₹0.90 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹0.35 करोड़)।	under the Scheme (i) Central Adoption Resource Authority(CARA) (₹0.12 crore) and (ii) National Commission for Women (₹0.18 crore) 2. Grants-in-aid Salary under the Scheme(i) Central	-	1.55	1.55
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND			
109 युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए 1. पुनः अभिमुखीकरण अनुसंधान केन्द्र के लिए राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, वेतन, समयोपिर भत्ता आदि (₹6.06 करोड़), और (ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹20 करोड़)।	Grants in Aid General (₹6.06) under National Service Scheme for Reorientation Research Centre, Salary, OTA etc. and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Urban	26.06	-	26.06
कुल सांकेतिक	Total Token	0.83	0.31	1.14
 तत्काल आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल ₹118,73,00,000 के छह अग्रिमों की स्वीकृति मिल गई थी। 		ent. These v	vill be recoup	
कुल योग	GRAND TOTAL	35,299.16	20,957.16 5	6,256.32
निवल नकद प्रवाह तकनीकी पूरक सांकेतिक पूरक	Net Cash Outgo Technical Supplementary Token Supplementary	10,491.53 24,806.80 0.83	7,703.87 1 13,252.98 3 0.31	8,195.40 8,059.78 1.14

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in c			
				राजस्व	। पूंज	ी जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	e Capita	l Total	Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1 कृषि और सहकारिता		1. Department of Agriculture					
विभाग	स्वीकृत	and Cooperation	Voted	0.04	0.01	0.05	1-2
3. पशु पालन और डेयरी कार्य	र्प	3. Department of Animal Husbandry,					
तथा मात्रियकी विभाग	स्वीकृत	Dairying and Fisheries	Voted	0.02		0.02	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY	Y				
4 परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	0.01	0.02	0.03	4-5
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चि	कित्सा,	MINISTRY OF AYURVEDA,					
यूनानी, सिद्धा		YOGA & NATUROPATHY,					
तथा होम्योपैथी		UNANI, SIDDHAAND					
विभाग (आयुष)		HOMOEOPATHY (AYUSH)					
6. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक	n चिकित्सा,	6. Ministry of Ayurveda, Yoga &					
यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपै	ोथी विभाग	Naturopathy, Unani Siddha and					
(आयुष)	स्वीकृत	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01		0.01	6
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERT	TLIZERS				
7. रसायन और पैट्रोरसायन		7. Department of Chemicals and					
विभाग	स्वीकृत	Petrochemicals	Voted		24.61	24.61	7
8. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8. Department of Fertilizers	Voted		952.80	952.80	8
9. भेषज विभाग	स्वीकृत	9. Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	12.75	12.76	9
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
10 नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Civil Aviation	Voted	29.33	29.63	58.96	10-11
वाणिज्य और उद्योग		MINISTRY OF COMMERCE					
मंत्रालय		AND INDUSTRY					
12. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	12. Department of Commerce	Voted	0.01	50.00	50.01	12
13. औद्योगिक नीति तथा		13. Department of Industrial Policy					
संवर्धन विभाग	स्वीकृत	and Promotion	Voted		3.07	3.07	13
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	_	MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
मंत्रालय		AND INFORMATION TECHNOL	OGY				
14. डाक विभाग	स्वीकृत	14. Department of Posts	Voted	40.00	11.26	51.26	14
	भारित		Charged	1.80	0.14	1.94	
15. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	15. Department of Telecommunications	Voted	344.03		344.03	15
16. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना	_	16. Department of Electronics and					
प्रौद्योगिकी विभाग		Information Technology	Voted	0.01		0.01	16
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS	,				
सार्वजनिक वितरण मंत्राल	लय	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUT	ION				
17. उपभोक्ता मामले विभाग		17. Department of Consumer Affairs	Voted	53.00		53.00	17
18. खाद्य और सार्वजनिक वि	तरण	18. Department of Food and					
विभाग	स्वीकृत	Public Distribution	Voted	0.01	10000.01	10000.02	18
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	C	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIR					
19. कारपोरेट कार्य मंत्रालय		19. Ministry of Corporate Affairs	Voted	129.25	17.00	146.25	19
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
20. संस्कृति मंत्रालय		20. Ministry of Culture	Voted	0.03		0.03	20-21
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
22. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	22. Defence Pensions	Voted	5735.74		5735.74	22
	भारित		Charged	2.26		2.26	
28. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव		28. Capital Outlay on Defence Services	Voted		0.01	0.01	23
	भारित		Charged		43.15	43.15	_5
	HIM		Juigen	•••	13.13	13.13	

(करोड़ रुपए Rupees in crore) राजस्व पुंजी जोड पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Capital **Total** Revenue Page पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास MINISTRY OF DEVELOPMENT OF मंत्रालय NORTH EASTERN REGION 29. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास 29. Ministry of Development of मंत्रालय स्वीकृत North Eastern Region Voted 0.02 60.00 60.02 24-25 पेयजल एवं MINISTRY OF DRINKING स्वच्छता मंत्रालय WATER AND SANITATION 30. पेयजल एवं 30. Ministry of Drinking Water खच्छता मंत्रालय स्वीकृत and Sanitation 5402.00 5402.00 26-27 Voted पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES 31. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत 0.03 0.01 0.04 28 31. Ministry of Earth Sciences Voted पर्यावरण, वन और जलवायु MINISTRY OF ENVIRONMENT, परिवर्तन मंत्रालय FORESTS AND CLIMATE CHANGE पर्यावरण, वन और जलवाय् 32. Ministry of Environment, परिवर्तन मंत्रालय Forests and Climate Change Voted 120.02 0.01 120.03 29-30 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 33. विदेश मंत्रालय स्वीकृत 33. Ministry of External Affairs Voted 0.02 0.02 31 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE 34. आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत Voted 0.08 485.02 485.10 32-34 34. Department of Economic Affairs वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत 35. Department of Financial Services Voted 0.03 0.03 0.06 35-36 राज्य और संघ शासित 37. Transfers to State and 2989.00 सरकारों को अंतरण स्वीकृत 2989.00 37 Union Territory Governments Voted 43. राजस्व विभाग 43. Department of Revenue Voted 0.01 0.01 38 खाद्य प्रसंस्करण MINISTRY OF FOOD उद्योग मंत्रालय PROCESSING INDUSTRIES 47. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत 19.11 19.11 39 47. Ministry of Food Processing Industries Voted स्वास्थ्य एवं परिवार MINISTRY OF HEALTH AND कल्याण मंत्रालय **FAMILY WELFARE** 48. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 48. Department of Health and विभाग स्वीकृत Family Welfare 450.03 150.01 600.04 40-42 Voted 49. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग Voted 0.03 0.03 43-44 49. Department of Health Research एडस नियंत्रण विभाग स्वीकृत 50. Department of AIDS Control Voted 267.50 267.50 45 ... भारी उद्योग और सरकारी उद्यम MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES मंत्रालय AND PUBLIC ENTERPRISES भारी उद्योग विभाग 51. Department of Heavy Industry 198.94 0.01 198.95 51 Voted 46 गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS गृह मंत्रालय स्वीकृत 53. Ministry of Home Affairs 195.36 195.36 47 53. Voted स्वीकृत मंत्रिमंडल 54. Cabinet Voted 196.28 196.28 48 54 ... पुलिस स्वीकृत 55. Police Voted 970.34 0.02 970.36 49-50 55. गृह मंत्रालय के 56. 56. Other Expenditure of the अन्य व्यय स्वीकृत Ministry of Home Affairs Voted 0.01 0.01 51 भारित 44.45 Charged 44.45 आवास और शहरी गरीबी MINISTRY OF HOUSING AND उन्मूलन मंत्रालय URBAN POVERTY ALLEVIATION 58. आवास और शहरी गरीबी 58. Ministry of Housing and स्वीकृत उन्मूलन मंत्रालय Urban Poverty Alleviation Voted 0.05 0.05 52-53 मानव संसाधन MINISTRY OF HUMAN विकास मंत्रालय RESOURCE DEVELOPMENT स्कृली शिक्षा और 59. Department of School साक्षरता विभाग स्वीकृत 0.02 0.02 54 Education and Literacy Voted 60. उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत 60. Department of Higher Education Voted 0.03 0.03 55-56 सुचना तथा MINISTRY OF INFORMATION प्रसारण मंत्रालय AND BROADCASTING 0.01 61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत 61. Ministry of Information and Broadcasting Voted 0.01 57 भारित Charged 73.70 73.70

nd	राजस्व Revenue	पूंजी Capital		पृष्ट Page
unloyment Voted	0.01	6.00	6.01	58
	0.01	0.00	0.01	30
		5.00	5.00	59
				60
	13.32	•••	13.32	00
	0.02		0.02	61
	0.02	•••	0.02	0.
	0.01		0.01	62
is voice	0.01	•••	0.01	02
V				
1				
Voted	1000.01		1000.01	63-64
	1000.01	•••	1000.01	03 0
	7.61		7.61	65-66
	7.01	•••	7.01	03-00
		34.00	34.00	67
voica	•••	3 1.00	3 1.00	07
Voted	400.01	320.22	720.23	68-69
	100.01	320.22	720.23	00 07
ehold and				
	3 38		3 38	70
O				71
Shan gear	V.21	•••	V. - 1	, -
GHWAYS				
	0.01	5528.56	5528.57	72-73
	11974.41		11974.41	74-75
d Technology Voted	0.02		0.02	76
				77
- 6)				
Voted	40.25	0.02	40.27	78-79
STICE				
T				
Voted	0.01		0.01	80
	0.01		0.01	81
Voted	0.02	0.02	0.04	82-83
	Voted Voted Voted MENT, ICE HE GE chold and ent Charged Charged Charged Voted Velopment Voted Voted	USTICE Voted Pourt of India Charged 13.52 IALL RPRISES and Voted 0.02 AFFAIRS ITS Voted 0.01 Y Voted 1000.01 CL, SAND PENSIONS blic Voted 7.61 Voted 400.01 MENT, ICE HE IE ehold and Int Charged 3.38 Charged 0.21 GHWAYS It Voted 0.01 VELOPMENT dopment Voted 11974.41 dd Technology Voted 0.02 ogy Voted 0.01 Voted 40.25 STICE T ice Voted 0.01 Affairs Voted 0.01 Voted 0.01 Affairs Voted 0.01	Voted	Voted 5.00 5.00

				(करोड़ रुपए Rupees in crore			
				राजस्	व पूंर	नी जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenu	e Capit	al Total	Page
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 94. सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 94. Ministry of Statistics and	ON				
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Programme Implementation	Voted	0.03		0.03	84
वस्त्र मंत्रालय	रपापट्टरा	MINISTRY OF TEXTILES	voicu	0.03	•••	0.03	04
96. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Textiles	Voted	259.61		259.61	85
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
97. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Tourism	Voted	0.02		0.02	86
जनजातीय कार्य मंत्रालय	c	MINISTRY OF TRIBALAFFAIRS					
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.01		0.01	87
संघ राज्य क्षेत्र	Č	UNION TERRITORIES					
(विधान-मंडल रहित)		(WITHOUT LEGISLATURE)					
102.दमन और दीव	स्वीकृत	102. Daman and Diu	Voted	0.01	0.04	0.05	88-89
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMEN	NT				
104. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	104. Department of Urban Development	Voted	1200.00	0.01	1200.01	90-91
105. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	105. Public Works	Voted		0.01	0.01	92
	भारित		Charged	11.04		11.04	
106. लेखन सामग्री और मुद्रण	स्वीकृत	106. Stationery and Printing	Voted	0.01		0.01	93
जल संसाधन, नदी विकास और		MINISTRY OF WATER RESOURCES,					
गंगा संरक्षण		RIVER DEVELOPMENT AND					
मंत्रालय		GANGA REJUVENATION					
107. जल संसाधन, नदी विकास		107. Ministry of Water Resources,					
और गंगा संरक्षण मंत्रालय		River Development and					
	स्वीकृत	Ganga Rejuvenation	Voted	2800.01	•••	2800.01	94-95
	भारित		Charged	1.95		1.95	
महिला और बाल		MINISTRY OF WOMEN AND					
विकास मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
108. महिला और बाल विकास		108. Ministry of Women and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Child Development	Voted	3548.02		3548.02	96-97
युवा मामले और		MINISTRY OF YOUTH					
खेल मंत्रालय		AFFAIRS AND SPORTS					
109. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	109. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	0.01		0.01	98
कुल जोड़		GRAND TOTAL			17733.45		
	भारित		Charged	152.31	43.29	195.60	
	स्वीकृत		Voted	38370.56	17690.16	56060.72	

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupees in Croi	
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	16959.36		44.99	17004.35
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		2.75	2.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.01	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		16959.44		47.75	17007.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के I	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the follo	wing Ma	ajor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	(কa)		0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत:	2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(घd)		0.01
सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.04			0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 4401 - फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4401 - Capital Outlay on Crop	Voted:	0.01	(ङ e)		0.01
•	ŭ	Husbandry					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.05			0.05
	C						

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) कृषोन्नित योजना-राज्य आयोजना के अंतगर्त "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता प्रबंधन परियोजना" के तहत सामान्य सहायता में अतिरिक्त अन्दान प्रदान करना (₹ 0.25 करोड़)।
 - (ii) कृषोन्नति योजना-के केन्द्रीय क्षेत्र के अंतगर्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "जैविक मूल्य शृंखला विकास" नामक नई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त प्रावधान करना।
 - (iii) जिला सिंचाई योजनाओं की तैयारी और प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना-अन्य उपाय (₹ 30 करोड़) के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 60 करोड़)।
 - (iv) कृषोन्नित योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विस्तार संबंधी उप-मिशन के तहत सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हैदराबाद में

- (i) providing additional Grants in aid-General under "National Project on Management of Soil Health and
 - Fertility under Krishonnati Yojna State Plan" (₹ 0.25 crore).
 - (ii) making appropriate provision for implementation of new scheme "Organic Value Chain Development for NE Region" under Krishonnati Yojna – Central Sector.
 - (iii) providing Grants-in-aid General (₹ 30 crore) for preparation of district irrigation plans and for Advertisement & Publicity (₹ 60 crore) under Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojna – Other Interventions.
 - (iv) providing Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Agricultural Extension Management,

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 0.80 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) कृषि विपणन संस्थान जयपुर को सौर वियुत ऊर्जा प्रदान करने के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेत् अन्दान प्रदान करना (₹ 1.08 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) कृषोन्नित योजना - केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत "पूर्वोर्त्तर क्षेत्र के विकास के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास" नामक नई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु नए शीर्ष खोलना और उपयुक्त प्रावधान करना। निम्निलिखित हेतु निधियों की आवश्यकता है:- (i) विभिन्न प्रशासनिक वस्तु शीर्ष विज्ञापन और प्रचार, व्यावसायिक सेवाएं और सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (₹ 43.11 करोड़) और पूंजी आस्ति के मृजन हेतु अनुदान (₹ 20.77 करोड़), (ii) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 16.90 करोड़) और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.85 करोड़), (iii) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 22 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 8.37 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए (₹ 0.80 करोड़) और राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना के लिए (₹ 0.80 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Hyderabad for providing solar power energy under Sub-Mission on Agricultural Extension under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹ 0.80 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing Grants for Creation of Capital Assets to Institute of Agricultural Marketing, Jaipur for providing solar power energy (₹ 1.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) opening of new heads and making appropriate provision for implementation of new scheme "Organic Value Chain Development for NE Region" under Krishonnati Yojna – Central Sector. Funds are required (i) under various administrative object-heads, advertising & publicity, professional services and Grants in aid General (₹ 43.11 crore) and Grants for Creation of capital assets (₹ 20.77 crore), (ii) for providing Grants in aid-General (₹ 16.90 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.85 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes, and (iii) for providing Grants in aid-General (₹ 22 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 8.37 crore) under Tribal Area Sub-Plan.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) providing Grants in aid General for implementation of Paramparagat Krishi Vikas Yojna in Union Territories of NCT of Delhi and Puducherry (₹ 3.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) providing solar power energy for National Seeds Research and Training Centre (₹ 0.80 crore) and for National Project on Promotion of Organic Farming (₹ 0.80 crore).

पश् पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये) (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2120.22		15.94	2136.16
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		4.45	4.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2120.25		20.39	2140.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत:	2404 -Dairy Development	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत:	2405 -Fisheries	Voted:	0.01	(खb)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राज्य सहकारी डेरी परिसंघ को सहायता के लिए नई स्कीम में अतिरिक्त मांग पूरी करना (₹ 50 करोड़)।
 - अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) यह पूरक अनुदान निम्निलिखित हेतु अपेक्षित है: डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को मजबूत करने की स्कीम के अन्तर्गत मात्सियकी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय मात्सियकी अनुसंधान संस्थान, कोची को सहायता अनुदान जारी करना (₹ 3.30 करोड़)।
 - अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional demand in the new scheme for Supporting State Cooperative Dairy Federations (₹ 50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) releasing Grants-in-aid General to Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi under the scheme Strengthening of Database and Geographical Information System for fishery sector (₹ 3.30 crore).

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये) (See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.00		0.50		1.50
	स्वीकृत:		Voted:	7583.51		4500.43		12083.94
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.02		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		7584.52		4500.97		12085.49
	भारित:		Charged:	1.00		0.50		1.50
	स्वीकृत:		Voted:	7583.52		4500.47		12083.99
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के 3 ³	iतर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco						
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत:	3401 -Atomic Energy Research	Voted:			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर	स्वीकृत:	4861 - Capital Outlay on Atomic	Voted:	0.01	(खb)			0.01
पूंजी परिव्यय		Energy Industries						
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत:	5401 - Capital Outlay on Atomic	Voted:	0.01	(गc)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		Energy Research						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02				0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03
	Ţ.							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) मशीनरी और उपस्कर के तहत (₹ 0.50 करोड़) प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 1.95 करोड़) और तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा को मशीनरी और उपकरण के तहत (₹ 35 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य (₹ 35 करोड़)डीएई कलपाक्कम काम्पलेक्स को सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

 (a) providing additional Grants-in-aid Salaries to National Institute of Science Education & Research (₹ 8 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure towards enhancement of security at DAE, Kalpakkam Complex under Machinery & Equipment (₹ 0.50 crore), Major works (₹ 1.95 crore) and Fast Reactor Fuel Cycle Facility under Machinery & Equipment (₹ 35 crore), Major works (₹ 35 crore).

इंदिरा गांधी भारतीय अनुसंधान केंद्र और निर्माण सेवाएं और संपदा प्रबंधन (ग) निदेशालय का अतिरिक्त खर्च पूरा करना (i) फास्ट रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग के लिए प्रकिया, उपकरण और प्रणाली के विकास हेत् स्विधाओं में बढ़ोतरी (मुख्य निर्माण कार्य- ₹ 0.5 करोड़) (ii) आईजीसीएआर में इलेक्ट्रीकल और संप्रेषण प्रणाली की साज-सज्जा और अवसंरचना विकास (म्ख्य निर्माण कार्य- ₹ 1 करोड़) (iii) उन्नत कोटिंग और सेंसरों के लिए नैनो सामग्री और नैनो संरचनाएं (मशीनरी और उपकरण ₹ 3 करोड़) (iv) एफबीटीआर का स्रक्षा उन्नयन (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 2.5 करोड़) (v) द्रव्य धात्एं और सेंसर का रसायन शास्त्र (मशीनरी और उपकरण ₹ 1.93 करोड़) (vi) आईजीसीएआर में वातान्कूलन और वातायन संरचनाओं की साज-सज्जा और स्थापना (मुख्य निर्माण कार्य़- ₹ 0.62 करोड़) (vii) कल्पक्कम टाउनिशप में अवसंरचना स्विधाओं में बढ़ोतरी (प्रम्ख निर्माण कार्य ₹ 2.38 करोड़) (viii) डीएई काम्प्लेक्स कल्लपक्कम में स्रक्षा स्विधाओं की बढ़ोतरी (प्रम्ख निर्माण कार्य- ₹ 1.7 करोड़) (ix) आईजीसीएआर के भीतर डीएई संयंत्र साइट और उड्डैयूर क्षेत्र के पश्चिमी ओर अवसंरचनाओं का विकास और स्विधाओं में स्धार (प्रम्ख निर्माण कार्य-₹ 1.84 करोड़) (x) अन्परम टाउनशिप में आवास सरकारी भवनों और अन्य अवसंरचना स्विधाओं का निर्माण (प्रम्ख निर्माण कार्य- ₹ 2.1 करोड़) (xi) उन्नत डिजीटल इंस्ड्रमेंटेशन का विकास (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.40 करोड़) और (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.14 करोड़) (xii) आरसीएल प्रचालन, रक्षा और सुरक्षा अवसंरचना की बढ़ोतरी (मशीनरी और उपकरण ₹ 2.02 करोड़) और (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.35 करोड़) (xiii) जलापूर्ति और सीवेज का उन्नयन (प्रम्ख निर्माण कार्य- ₹ 6.00 करोड़) (xiv)स्वास्थ्य भौतिक सेवाओं की बढ़ोतरी और कैलीब्रेशन, सिम्लेशन, एक्सीडें, डोजीमिट्री, रेडिएशन स्रक्षा और अनुसंधान संबंधी विकास गतिविधियां (मशीनरी और उपकरण ₹ 2.93 करोड़) (xv) औद्योगिक स्रक्षा और पर्यावरणीय अन्संधान (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.27 करोड़) और (प्रम्ख निर्माण कार्य- ₹ 0.37 करोड़) (xvi) सोडियम प्रौद्योगिकी कम्प्लेक्स (प्रमुख निर्माण कार्य ₹ 10.44 करोड़) (xvii) बीएफबीआर के लिए घटकों का परीक्षण (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.95 करोड़) (xviii) सोडियम सिस्टम के लिए इंजीनियरिंग अन्संधान और विकास (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.60 करोड़) और (प्रम्ख निर्माण कार्य- ₹ 0.02 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

meeting additional expenditure of Indira Gandhi Centre for Atomic Research and Directorate of Construction Services and Estate Management (i) augmentation of facilities for process, equipment and system development for Fast Reactor Fuel Reprocessing (Major Works - ₹ 0.50 crore), (ii) Refurbishment and infrastructure development of electrical and communication system at IGCAR (Major Works ₹ 1 crore), (iii) Nanomaterials to nanostructures for improved coatings and sensors (Machinery and Equipment ₹ 3 crore), (iv) Safety up-gradation of FBTR (Major Works ₹ 2.50 crore), (v) Chemistry of liquid metals and sensors (Machinery and Equipment ₹ 1.93 crore), vi) Refurbishment and Establishment of Air-conditioning and ventilation infrastructure at IGCAR (Major Works ₹ 0.62 crore), (vii) augmentation of infrastructure facilities at Kalpakkam Township (Major Works ₹2.38 crore), (viii) Enhancement of Security Services at DAE Complex, Kalpakkam (Major Works crore), (ix) Development of Infrastructure and improvement to facilities within IGCAR, on the western side of DAE Plant site and Edaiyur area (Major Works ₹1.84 crore), (x) Construction of Housing, Public buildings and Infrastructure facilities at Anupuram Township (Major Works ₹ 2.10 crore), (xi) Development of advanced instrumentation (Machinery and Equipment ₹ 0.40 crore) and (Major Works ₹ 0.14 crore), (xii) Augmentation of infrastructure for RCL Operation, Safety and Security (Machinery and Equipment ₹ 2.02 crore) and (Major Works ₹ 0.35 crore).(xiv) Up-gradation of water Supply & Sewage (Major Works ₹ 6.00 crore) (xv) Augmentation of Health Physics Services and Activities related to Calibration, Simulation, Development Accident Dosimetry, Radiation safety and Research (Machinery and Equipment ₹ 2.93 crore) (xvi) Industrial safety & environmental research (Machinery and Equipment ₹ 0.27 crore) and (Major Works ₹ 0.37 crore) (xvii) Sodium technology complex (Major Work ₹ 10.44 crore) (xviii) Testing of components for CFBR(Major Work ₹ 0.95 crore) (xix) Engineering R&D for sodium systems Machinery and Equipment ₹ 0.60 crore) and (Major Works ₹ 0.02 crore)

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					(/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	00 0.0.0)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1197.00	17.00	1214.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	V			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1197.02	17.00	1214.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्ष के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for under th	ne following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(i) अखिल भारतीय होम्योपैथी (एआईआईएच) योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की बढ़ी हुई लागत (₹ 12.10 करोड़) के भुगतान के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (ii) राष्ट्रीय प्राकृति चिकित्सा (एनआईएन), पुने के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य को भुगतान करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.66 करोड़)।

(i) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, All India Institute of Homoeopathy(AIIH) for making payment to Delhi Development Authority towards the enhanced cost of land (₹ 12.10 crore). (ii)Grants for creation of Capital Assets under the Scheme National Institute of Naturopathy (NIN), Pune for making payment to Revenue Department Maharashtra State for acquiring land for the construction of office building (₹ 7.66 crore).

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुदान की आवश्यकता है।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये।	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	223.15	32.03	255.18
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	17.00		17.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		24.61	24.61
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		240.15	56.64	296.79
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	र्भ के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted to	for under th	ne following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों	स्वीकृत:	6857 - Loans for Chemical and	Voted:		24.61	(कa) 24.61
के लिए ऋण		Pharmaceutical Industries				

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) भारत की आकस्मिकता निधि से बांडों पर ब्याज के कारण देनदारियों के भुगतान के लिए हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लि. को ऋण के रूप में स्वीकृत ₹ 24.61 करोड़ के अग्रिम की वापसी।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अरिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

 recoupment of an advance of ₹ 24.61 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Organic Chemicals Limited for payment of dues on account of interest on bonds;

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	77097.76	50.04	77147.80
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT	r:			
	स्वीकृत:		Voted:	2.80		2.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of t	he amount now			
अनुमान:		required:				
-	स्वीकृत:		Voted:		952.80	952.80
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementa	ary)	77100.56	1002.84	78103.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब वि	नेम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Gran	t will be accounted for under	the following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6855 - उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत:	6855 - Loans for Fertilizer Ir	ndustries Voted:	952.80		952.80
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:		The supplementary grant is	s required for:		
एफएसीटी को आयोजना ऋण (₹. 965	.01)		Plan Loan to Fertilizers	and Chemica	ls Travancore L	td. (FACT)
			(₹ 965.01).			
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु.	12.21 कर	ोड़ की बचत को देखते हुए इसमें	Taking into account savir	ngs of ₹ 12.21	crore available in	n the same
₹ 952.80 करोड़ का निवल नकद व्यय	ा होगा।	J	section of the Grant, this w	ill entail net cash	n outgo of ₹ 952.8	0 crore.

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये ।	Rupees i	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	258.94		0.08		259.02
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		11.50		11.51
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now						
पूरक अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		12.75		12.76
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		258.96		24.33		283.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया र	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under	the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(कa)			0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6857 - रसायन और भेषज	स्वीकृत:	6857 - Loans for Chemical and	Voted:			12.75	(खb)	12.75
उद्योगों के लिए ऋण		Pharmaceutical Industries						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		12.75		12.76
	-							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने के लिए प्रत्येक को ₹ 1.00 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 3.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) वेतन और अन्य आकस्मिक खर्चों के कारण देयताओं का भुगतान करने के लिए हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड को ऋण के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि से ₹ 12.75 करोड़ स्वीकृत अग्रिम की वापसी।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अरिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) providing 'Grants-in-aid General' of ₹ 1.00 crore each for establishment of three National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPERs) in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh (₹ 3.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- recoupment of an advance of ₹ 12.75 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as Ioan to Hindustan Antibiotics Limited for payment of dues on account of salaries and other contingency expenses;
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	813.34		2528.20		3341.54
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	20.05		800.00		820.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	29.33		29.63		58.96
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		862.72		3357.83		4220.55
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for und	er the follo	wing Maj	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक								
0101 (11-1-11(14) 0111-11)	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	0.01	(क a)			0.01
सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	0.01	(कa)			0.01
	स्वीकृत: स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services 3053 -Civil Aviation	Voted:	0.01 1.66	(कa) (खb)	27.66	(गc)	0.01 29.32
सेवाएं					` ,		(गc)	
सेवाएं 3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:	1.66	` ,	27.66	(गc)	29.32
सेवाएं 3053 - नागर विमानन जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation Total (Revenue Section)	Voted:	1.66	` ,	27.66	(गс)	29.32
सेवाएं 3053 - नागर विमानन जोड़ (राजस्व भाग) <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	Voted:	1.66	` ,	27.66	(गc)	29.32
सेवाएं 3053 - नागर विमानन जोड़ (राजस्व भाग) <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	स्वीकृत: स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted: Voted:	1.66 1.67	(खb)	27.66 27.66	(गс)	29.32 29.33
सेवाएं 3053 - नागर विमानन जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 5053 - नागर विमानन पर पूंजी	स्वीकृत: स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted: Voted:	1.66 1.67	(खb)	27.66 27.66	(गс)	29.32 29.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

 (क) इंडियन कैरियर्स, सूचना और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग की कारगरता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.00 करोइ);

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) गगन परियोजना और जम्मू हवाई अड्डा के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (₹ 1.66 करोड़);
 - (ii) भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के लिए पूंजी आस्ति सृजन हेतु सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.34 करोइ);

चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.34 करोड़ की बचत उपलब्ध है इससे ₹ 1.66 करोड़ नकद व्यय होगा। meeting additional requirement for Enhancing Effectiveness of Indian Carriers, Information Technology Networking and Capacity Building (₹ 2.00 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting additional requirement for GAGAN project and Jammu Airport (₹ 1.66 crore);
- (ii) meeting additional expenditure under Grants-in-aid for creation of Capital Assets for Airport Authority of India (₹ 0.34 crore):

As the savings of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 0.34 crore is available in the same section of the Grant, this will entail cash outgo of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 1.66 crore.

- (ग) विनिमय दर में विभिन्नता के कारण एयरलाइन्स को भुगतान के लिए हज सब्सिडी संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 30.00 करोइ)।
 - चूंकि अनुदान के भाग में ₹ 2.34 करोड़ की बचत उपलब्ध है, उपर्युक्त में ₹ 27.66 करोड़ नकद व्यय होगा।
- (घ) (i) चालू पिरयोजनाओं के लिए निवेश के रूप में भारतीय होटल निगम में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 5.00 करोइ) और (ii) विमानन प्रशिक्षण अकादमी और क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य के लिए व्यय पूरा करना (₹ 24.63 करोड)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 22.29 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 7.34 करोड़ निवल नकद व्यय होगा।

- (c) meeting additional expenditure on Haj subsidy for the payment to airlines due to variation in exchange rate (₹ 30.00 crore);
 - As the saving of \ref{eq} 2.34 crore is available in the section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of \ref{eq} 27.66 crore.
- (d) (i) meeting additional requirement in Hotel Corporation of India as investment for on-going projects (₹ 5.00 crore) and (ii) meeting expenditure for construction work of Aviation Training Academy and Regional Offices (₹ 24.63 crore);
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 22.29 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 7.34 crore.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये) (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					<i>(</i> ā	जरोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	4990.01		101.50	5091.51
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		•••	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		50.00	50.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4990.03		151.50	5141.53
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया र	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	er the follow	ing Majo	r Heads:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	आयोजना	ing Majo	आयोजना-	जोड़
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde		ing Majo		जोड़ Total
राजस्व भाग		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	आयोजना	ing Majo	आयोजना- भिन्न	•
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		,, ,	ed for unde	आयोजना	ing Majo	आयोजना- भिन्न	•
	स्वीकृत:	REVENUE SECTION	ed for unde	आयोजना	ing Majo (कa)	आयोजना- भिन्न	•
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	•	आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	•	आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3453 -Foreign Trade and Export Promotion		आयोजना Plan	•	आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत: स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3453 -Foreign Trade and Export Promotion CAPITAL SECTION		आयोजना Plan	•	आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3453 -Foreign Trade and Export Promotion CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted:	आयोजना Plan 0.01	(कa)	आयोजना- श्रिन्न Non-Plan 	Total 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्निलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना(i) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹ 15 करोड़) (ii)भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु (₹ 5 करोड़) (iii) पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान के लिए चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (₹ 10 करोड़), (iv) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (₹ 375 करोड़) (v) बाजार तक पहुंच की पहल के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) (vi) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (₹ 2 करोड़) (vii) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को हिसाब में लेते हुए सांकेतिक प्राक मांगा गया है।

(ख) निर्यात ऋण और गारंटी निगम में अतिरिक्त निवेश (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional expenditure towards (i) subsidies to Marine Products Export Development Authority (MPEDA) (₹15 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) (₹ 5 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets towards Leather & Leather Product (₹ 10 crore), (iv) Grants-in-aid General to National Export Insurance Account (NEIA) (₹ 375 crore), (v) Grants-in-aid General to Market Access Initiative (MAI) (₹ 50 crore), (vi) Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) (₹ 2 crore) under other Administrative Expenses and (vii) Director General of Foreign Trade (DGFT) (0.50 crore) under other Administrative Expenses.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) additional investment in Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC) (₹50 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:	2613.58	2.61	2616.19
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRAN	IT:				
	स्वीकृत:			Voted:	100.00		100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	f the amount now				
अनुमान:		required:					
-	स्वीकृत:			Voted:		3.07	3.07
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplemen	ntary)		2713.58	5.68	2719.26
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य ६	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Gra	nt will be accounte	d for under tl	ne following Ma	ajor Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Pเ	ublic Works	Voted:	3.07		3.07
परिव्यय							
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अ	पेक्षित है:		The supplement	ary grant is re	equired for:		
चेन्नई में बौद्धिक सम्पदा कार्यालय भव	न के निर्माण	के लिए (₹ 3.07 करोड़।	construction of	office buildin	g for Intellectu	ual Property Offi	ce (IPO) at
			Chennai (₹ 3.07				
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ब	वचतों के अभ	यर्पण को देखते हुए इसमें नकद	Taking into acco	unt the savin	ıgs available in	the Revenue Se	ection of the
व्यय नहीं होगा।		3	Grant, this exper				
			, , ,			•	

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Ru	ipees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.20		0.20
	स्वीकृत:		Voted:	19494.06	336.65	19830.71
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	1.80	0.14	1.94
	स्वीकृत:		Voted:	40.00	11.26	51.26
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		19536.06	348.05	19884.11
	भारित:		Charged:	2.00	0.14	2.14
	स्वीकृत:		Voted:	19534.06	347.91	19881.97
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्ब II. This Supplementary Grant/Appropriat	निलिखित मुख्य ion will be acc	शीर्षों के अंतर्गत दिर counted for under	ब्राया जायेगा: ⁻ the following Major H	eads:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				

		,,,		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3201 - डाक सेवाएं	भारित:	3201 - Postal Services	Charged:			1.80	(कa)	1.80
	स्वीकृत:		Voted:	40.00	(खb)			40.00
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		40.00		1.80		41.80
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी	भारित:	5201 - Capital Outlay on Postal	Charged:	0.14	(गc)			0.14
परिव्यय		Services						
	स्वीकृत:		Voted:	11.26	(घd)			11.26
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		11.40				11.40
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		51.40		1.80		53.20
	भारित:		Charged:	0.14		1.80		1.94
	स्वीकृत:		Voted:	51.26				51.26

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) केरल के कलीकट स्थित पोस्टल स्टाक डिपो के भवनों के संबंध में ₹ 0.12 करोड़) और प.बंगाल के कोलकाता में (₹ 1.26 करोड़) के किराये के बकाया का भुगतान करने तथा पतनमथिता मुख्य डाक घर द्वारा बिजली प्रभार के बकाया (₹ 0.42 करोड़) का भुगतान करने के लिए। से भुगतान न्यायालय के निर्णय से देने पड़ रहे हैं।
- (ख) पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने और उसके लिए नेटवर्क एकीकरण के लिए। (₹ 40 करोड़)।
- (ग) वराणसी, हैदराबाद और अहमदाबाद में भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण में न्यायालय के निर्णय के कारण भुगतान की राशि पूरी करने के लिए।
- (घ) लंबित दावों के निपटान के लिए "बैंकिंग और पोस्टल लाइफ इश्योरेंस सोल्युशन्स का विकास और कार्य पर लगाने" के अंतर्गत भुगतान करने के लिए (₹ 11.26 करोड़) उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) towards payment of arrears of rent in respect of buildings of Postal Stock Depot at Calicut, Kerala (₹ 0.12 crore), Kolkata, West Bengal (₹ 1.26 crore) and payment of arrears of electricity charges by Pathanamthitta Head Post Office (₹ 0.42 crore). These payments are arising out of Court judgments.
- (b) towards setting up of Post Bank of India (₹ 40 crore)and Network Integration therefor.
- (c) towards meeting payments arising out of Court judgments in land acquisition/construction of building at Varanasi, Hyderabad and Ahmedabad.
- (d) towards making payment under "Development and Deployment of Banking and Postal Life Insurance Solutions" for settlement of pending claims (₹ 11.26 crore)

The above expenditures will entail cash outgo.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	,	जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
, •	स्वीकृत:		Voted:	13284.10		2590.50		15874.60
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	93.64				93.64
	स्वीकृत:		Voted:	9.01				9.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	344.03				344.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		13730.78		2590.50		16321.28
	भारित:		Charged:	93.64		***		93.64
	स्वीकृत:		Voted:	13637.14		2590.50		16227.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित ग्	नुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखायाः	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for und	der the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	0.01	(कa)			0.01
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत:	3275 -Other Communication Services	Voted:			344.02	(खb)	344.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		344.02		344.03
	हेत् अपेक्षित	है: The	supplementar	y grants are	required	for:		
(-)		मेट से विकिरण के संभावित प्रभाव के (a)	tauranda D	0D	f.,	مادات المادات	:-:	:
• •						dying the p		
अध्ययन के लिए अनुस	ाधान आर ।वर	कास परियोजना हेतु (₹ 4.95 करोड़)।	radiation, e (₹ 4.95 cror	•	m mobile	e towers and	nands	ets on life
अनुदान के इसी भाग में	में उपलब्ध बन्	यतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा	Taking into	account the	savings	available in tl	ne same	e section of
जाता है।			the Grant, a	token suppl	ementary	y is sought.		

providing financial relief to ITI Limited (₹ 344.02 crore) towards

revival and payment of salary.

This will entail cash outgo.

पुनरूद्धार और वेतन के भुगतान हेतु आईटीआई लिमिटेड को (₹ 344.02 (b)

करोड़) की वितीय सहायता प्रदान करना।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख)

इलेक्ट्रोनिकी ओर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	2482.85	147.15	2630.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2482.86	147.15	2630.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for under th	ne following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) इलेक्ट्रानिक अभिशासन की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए(`25 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन परियोजना के लिए(₹25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General under "Digital India Programme" (i) for the Externally Aided Project of Electronic Governance (₹25 crore) and (ii) for National Supercomputing Mission Project (₹25 crore).

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Revenue Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 256.07 20.70 276.77 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 53.00 53.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 309.07 20.70 329.77 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2408 - खाद्य भंडारण और स्वीकृत: 53.00 53.00 2408 -Food Storage and Warehousing Voted: भाणडागारण

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा निम्नलिखित का अनुमोदन करने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 53 करोड़)(i) दालों के आयात पर हानि की सीमा 15% से बढ़ाकर 20% करना और (ii) स्कीम अविध के दौरान आयातित दालों के दावे और स्कीम समास होने के बाद 6 माह तक अर्थात 30.09.2011 तक बिक्री की गई।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement (₹ 53.00 crore) to reimburse the claims of the PSUs on account of CCEA approval of (i) raising the limit of losses on import of Pulses from 15% to 20% and (ii) claims for pulses imported during the scheme period and sold upto 6 months after the expiry of the Scheme i.e. till 30.09.2011.

The above expenditure will entail a cash outgo.

खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये) (See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुप	ाये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	125950.30		10587.25		136537.55
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	650.02				650.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		10000.01		10000.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		126600.33		20587.26		147187.59
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted fo	or under the fo	llowing Maj	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan		
मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				Non-Plan		
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(क a)	Non-Plan		0.01
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	0.01				0.01
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01				0.01
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2552 -North Eastern Areas CAPITAL SECTION	Voted:	0.01				0.01
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	·	MAJOR HEAD 2552 -North Eastern Areas CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			(कа)			
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष 4408 - खाद्य भंडारण और	·	MAJOR HEAD 2552 -North Eastern Areas CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4408 - Capital Outlay on Food			(कa) (ख b)		(गट)	
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2552 -North Eastern Areas CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4408 - Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(कa) (ख b)		(गс)	0.01
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4408 - खाय भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय 6408 - खाय भंडारण और	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2552 -North Eastern Areas CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4408 - Capital Outlay on Food Storage and Warehousing 6408 - Loans for Food, Storage and	Voted:	0.01	(कa) (खb)		(गट)	0.01
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय 6408 - खाद्य भंडारण और भान्डागारण के लिए ऋण	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2552 -North Eastern Areas CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4408 - Capital Outlay on Food Storage and Warehousing 6408 - Loans for Food, Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(कa) (खb)		(गट)	0.01

(b)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- क) त्रिप्रा और अरूणाचल प्रदेश में गोदाम का निर्माण (₹ 6.61 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपबर्ल्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए पूरक मांगा
- (ख) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, के कानपुर में संबद्ध एनालिटिकल उपकरण के साथ किण्वन और आसवन इकाई की स्थापना (₹ 1.00 करोड़)
 - अनुदान के उसी भाग में उपबल्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए पूरक मांगा गया है।
- (ग) भारतीय खाय निगम को लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाय अनाज की खरीददारी के लिए नकद प्रवाह की जरूरते पूरी करने हेतु भत्ते और अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करना। (₹ 10000.00 करोड़).
 - चूंकि चालू वित्त वर्ष में ही अर्थोपाय अग्रिम की राशि चुकानी है, तकनीकी प्रक मांगा गया है जिसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) construction of godowns in Tripura and Arunachal Pradesh (₹ 6.61 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - setting-up fermentation and distillation unit along with associated analytical equipment in National Sugar Institute, Kanpur (₹ 1.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet cash flow requirements towards procurement of food grains for Targeted Public Distribution System (₹ 10000.00 crore).

As the amount of Ways and Means Advance is to be repaid during the current financial year itself, a technical supplementary is sought which will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 19 कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(See page 19 of the Demands in	or Oranto	5. 55. a.a. 55. 5	,				
					(करोड़ रुपये।	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
, •	स्वीकृत:		Voted:	242.78	29.10		271.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	129.25	17.00		146.25
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		372.03	46.10		418.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for und	er the following	ng Major Heads	3:	
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
				*** *** ***	*** *** **		•
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		*** *** ***	भिन्न		•
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		*** *** ***	भिन्न		•
	स्वीकृत:		Voted:	*** *** ***	भिन्न	(कa)	•
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	*** *** ***	भिन्न Non-Plan	(कa)	Total
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	*** *** ***	भिन्न Non-Plan	(क a)	Total
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services CAPITAL SECTION	Voted:	*** *** ***	भिन्न Non-Plan	(कa) (खb)	Total
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services CAPITAL SECTION MAJOR HEAD		Plan 	भिन्म Non-Plan 129.25	` ,	Total 129.25
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ		MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5475 - Capital Outlay on Other General		Plan 	भिन्म Non-Plan 129.25	` ,	Total 129.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) हेतु पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली में एनबीसीसी की परियोजना में 80,000 वर्ग फीट कार्यवली स्थान की खरीद के लिए निधियों की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 129.25 करोइ)।

उपरोक्त व्यय में नकद नहीं देना होगा।

(ख) देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और विधिक अपीलीय अधिकरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं को पूरी करने हेतु निधियों की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 17.00 करोड़)।

उपरोक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional requirement of funds towards purchasing of 80,000 sq. ft. Office space in the project of NBCC in East Kidwai Nagar, New Delhi for Competition Commission of India (CCI) under the 'Grant for Creation of Capital Assets (₹ 129.25 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

neeting the additional requirement of funds towards completing the infrastructure facilities for the National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal at different locations in the country (₹ 17.00 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये) (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2091.50		77.50		2169.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	30.02		0.01		30.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2121.55		77.51		2199.06
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accoun	nted for und	ler the follow	wing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क)

"कला और संस्कृ-ति और शताबदी समारोह के अन्तर्गत ₹ 37.90 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अन्दान -स्कीम की निम्न संघटक इकाइयों के संबंध में : अन्य (अभियान, स्कीम और स्वायत संगठन)" (i) बंगिया साहित्य परिषद, कोलकाता, ग्रंथसंग्रह अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (ii) गांधी स्मृति परिसर के विकास और प्रदर्शनी के पुनः विकास हेत् गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 7.45 करोड़) (iii) संगीत नाटक अकादमी को अकादमी प्रकाशन के 8 शीर्षकों का पुनः मुद्रण, पंडित रामनाथ अन्संधान केन्द्र, प्ने, कथक केन्द्र नई दिल्ली, क्टियातम केन्द्र, थिरुवंथपुरुम, मेघदूत सिनेमा परिसर, रितु परवा, बी.आर अम्बेडकर की 150वीं जंयती समारोह, पंडित रवि शंकर का समारोह, स्गंम संगीत, छात्रवृत्ति और प्रस्कार, व्याकरण केन्द्र, वाराणसी (₹ 9.35 करोड़) को सुदृढ़ करना, (iv) विदेशों में भारतीय साहित्य के लिए साहित्य अकादमी, ई-भाष्कर (साहित्य) राष्ट्रीय मिशन, वाराणसी विद्यालय परियोजना, परियोजना मौसम (₹ 3.00 करोड़) (v) ब्द्धा पूर्णिमा दिवस के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ब्धिष्ट परिसंघ संवाद पर 'संवाद कॉफी टेबल बुक' के रात्री भोज का खर्च, वेंन की 150वीं जंयती समारोह, अंगरीका धर्मपाला, दिसम्बर में अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा (₹ 4.50 करोड़) (vi) नाटक कार्यशाला आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, लघ् अवधि के अद्यापन पाठ्यक्रम, परम्परागत समूहों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम, थियेटर उत्सव प्रदर्शनी, हरिदे और प्रसाद परियोजना, वाराणसी आदि, भारत रंग महोत्सव के साथ-साथ थियेटर संस्थान को उत्सव - 2016, नये पाठ्यक्रम आदि चलाने के लिए संविदा आधार पर स्टॉफ की आवश्यकता;

The supplementary grants are required for:

Grants in Aid General, for meeting total additional requirements of ₹ 37.90 crore towards the Scheme "Art and Culture and Centenary Celebrations - Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations)" in respect of the following constituent units of the scheme: (i) Bangiya Sahitya Parishad, Kolkata, for Corpus Grant (₹ 10.00 crore) (ii) Gandhi Smriti and Darshan Samiti for development of Gandhi Smriti premises and re-development of exhibition (₹ 7.45 crore) (iii) Sangeet Natak reprint of 8 titles of Akademi publication, Akademi for of Pandit Ramnath Research Center, Pune, strengthening Kathak Kendra New Delhi; Kutiyattam Kendra, Thiruvananthapuram, Meghdoot Theatre Complex, Ritu Parava, Celebration of 150th Anniversary of Dr. Ambedkar, Celebration of Pandit Ravi Shankar, Sugam Sangeet, Fellowship & Award, Vyakhayan Kendra, Varanasi (₹ 9.35 (iv) Sahitya Akademi for Indian Literature Abroad, E-Bhasha (Sahitya) National Mission, Varanasi Vidhyalaya Pariyojna, Project Mausam (₹ 3.00 crore) (v) International Buddhist Confederation on account of International Buddha Purnima Diwas, Expenditure on dinner for Coffee Table Book on 'Samvad'; 150th Birth Anniversary celebration of Ven. Angarika Dharmapala, International Seminar to be held in December एनएसडी बंगलुरु केन्द्र, (एक वर्ष का अध्यापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम; भारतीय लौकिक थियेटर में प्रशिक्षण; अनुश्रुतियां, ए-इलकाजी पीठ, रेंजिडेंस स्कीम में कलाकार (₹ 3.60 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (I) ₹ 4.86 करोड़ के कुल अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) संगीत नाटक अकादमी को पेंशन के संशोधन का भुगतान और सेवानिवृत कर्मचारियों को अवधिक लाओं हेतु (₹ 1.05 करोड़) (ii) साहित्य अकादमी को सेवानिवृत कर्मचारियों को पारीवारिक पेंशन सिहत पेंशन के भुगतान के लिए (₹ 3.32 करोड़) (iii) गांधी स्मृति और दर्शन समिति को बिजली, पानी, टेलीफोन बिलों और मंहगाई भतों के भुगतान हेतु (₹ 0.27 करोड़) (iv) इलाहाबाद संग्रालय को, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान, सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान, इन्टरनेट कर्नेशन के इन्स्टालेशन आदि हेतु (₹ 0.22 करोड़)। (II) निम्न के लिए ₹ 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता वेतन (i) संगीत नाटक अकादमी को वेतन और भते तथा मंहगाई भतों के भुगतान के लिए (₹ 1.90 करोड़) (ii) सांस्कृतिक संसाधनों और प्रशिक्षण के लिए केन्द्र, नई दिल्ली को वेतनों हेतु (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) सहायता अनुदान वेतन, कला और संस्कृति तथा शताब्दी समारोह (अन्य, अभियान, स्कीमें तथा स्वायत संगठन) स्कीम के अन्तर्गत को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वेतनों के व्यय हेत् (₹ 0.38 करोड़)।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(₹ 4.50 crore) (vi) National School of Drama for organizing theatre work shops; short term teaching courses; collaborative programmes with traditional groups, theatre festivals exhibitions, Hriday & Prasad project at Varanasi etc; festival of theatre institutes along side the Bharat Rang Mahotsav – 2016; staff requirement on contractual basis for introduction of new courses etc.; NSD Bangaluru Centre (One year teaching and training programme);training in Indian Classical Theatre, Legends, E-ELKAZI Chair; Artist in Residence schemes. (₹ 3.60 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(I) Grants-in-Aid General for meeting additional requirements of ₹ 4.86 crore to (i) Sangeet Natak Akademi for payment of revision of pension and terminal benefits to retiring employees (₹ 1.05 crore) (ii) Sahitya Akademi, for payment of Pension including family pension of retired employees (₹ 3.32 crore) (iii) Gandhi Smriti and Darshan Smiti for payment of electricity, water, telephone bills and DA etc. (Rs 0.27 crore) (iv) Allahabad Museum for payment of medical reimbursement payment to retiring employees, installation of Internet connections, etc (₹ 0.22 crore) (II) Grants in Aid Salaries, for meeting total additional requirements of ₹ 2.00 crore towards (i) Sangeet Natak Akademi for pay & Allowances and DA (₹ 1.90 crore) (ii) Centre for Cultural Resources and training, New Delhi, for salaries (₹ 0.10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants in Aid Salaries, for meeting additional requirements under the scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations for meeting expenditure on salaries by Sangeet Natak Akademi)(₹ 0.38 crore).

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.74			0.74
	स्वीकृत:		Voted:	54499.26			54499.26
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	2.26			2.26
	स्वीकृत:		Voted:	5735.74			5735.74
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		60238.00			60238.00
	भारित:		Charged:	3.00			3.00
	स्वीकृत:		Voted:	60235.00			60235.00
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	लिखित मुख्य शी	ार्ष के अंतर्गत दिख	व्राया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	on will be acco	unted for unde	r the following M	lajor Hea	ad:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2071 - पेंशन और अन्य	भारित:	2071 - Pensions and other Retirement	Charged:		2.26	(कa)	2.26
सेवानिवृत्ति		Benefits					
	स्वीकृत:		Voted:	•••	5735.74	(खb)	5735.74

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय के आदेश के कारण भुगतान पूरा करने के लिए (₹ 2.26 करोड़)

(ख) पेंशन और पेंशन वृद्धि संबंधी बढ़ी हुई सहायता दर के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 5735.74 करोड़)

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting payments arising out of Court orders (₹ 2.26 crore)
- (b) additional requirement due to increased rate of relief on pensions and growth in pensions(₹ 5735.74 crore)

The above expenditures will entail a cash outgo.

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये) (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

							(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
						राजस्व	पूंजी		जोड़
						Revenue	Capital		Total
।. मूल	अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
		भारित:			Charged:		136.50		136.50
		स्वीकृत:			Voted:		94451.50		94451.50
पूरक अ	भनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
		भारित:			Charged:		0.11		0.11
इस सम	नय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the	e amount					
पूरक अ	ननुमान:		now required:						
		भारित:			Charged:		43.15		43.15
		स्वीकृत:			Voted:		0.01		0.01
जोड़ (मूर	्ल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary	<i>(</i>)			94631.27		94631.27
		भारित:			Charged:		179.76		179.76
		स्वीकृत:			Voted:		94451.51		94451.51
		· ·	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का f	हिसाब निम्नलिखि	त म्ख्य शीर्ष	के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
			II. This Supplementary Grant/A		•			lajor Hea	ıd:
						आयोजना	आयोजना-		जोड़
						Plan	भिन्न		Total
							Non-Plan		
पूंजी भ			CAPITAL SECTION						
मुख्य १	शीर्ष		MAJOR HEAD						
4076 - परिव्य	- रक्षा सेवाओं पर पूंजी य	भारित:	4076 - Capital Outlay on Defer	nce Services	Charged:		43.15	(क a)	43.15
		स्वीकृत:			Voted:	•••	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूर	(क)	· ·	Total (Supplementary)				43.16		43.16
		भारित:			Charged:		43.15		43.15
		स्वीकृत:			Voted:		0.01		0.01
यह पूर	क अन्दान निम्नलिखित ह	हेत् अपेक्षित है:		The supplem	nentary gra	nt/appropriatio	n is required fo	r:	
(क)	J	J	पूरा करना (₹ 43.15 करोड़)।	(a) meeti	ng paymen	its arising out	of Court orders	(₹ 43.15	crore)
	2	. 1)		Table	_ :_4		: - - - - -	\ / - 4 1	0
	जनुदान के स्वाकृत मार्ग नहीं होगा।	। म उपलब्द ब	चितों को देखते हुए, इसमें नकद व्यय			ill not entail ca	s available in th sh outgo.	ie voted	Section of
(ख)	थल सेना के निर्माण (₹ 1588 करोड़)।	कार्य के तहत	न अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना	, ,	ng additior (₹ 1588 cro		nt under 'Cons	struction	Works' of
	चूंकि अनुदान के इसी ह	भाग में बचतें	उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान	As sa	vings is av	ailable in the s	same section of	the Gra	nt, a token

supplementary is sought.

मांगा जाता है।

पूर्वीत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये) (See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capita	I Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	2205.74	327.	.00 2532.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	75.	.00 75.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	60.	.00 60.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2205.78	462	2.00 2667.78
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर	ति दिखाया ज	गयेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following	ng Major Heads:	
				आयोजना	आयोजन	т- जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Pla	ın
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(ख b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4552 - पूर्वीत्तर क्षेत्रों पर पूंजी	स्वीकृत:	4552 - Capital Outlay on North Eastern	Voted:	60.00	(गc)	60.00
परिव्यय		Areas				
		7 11 0 4 0				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	60.02		60.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(b)

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र जीविका परियोजना स्कीम के अनतर्गत विश्व बैंक के साथ सहायता अन्दान प्रदान करना" (₹ 30.00 करोइ)।

> अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) (i) कारबी अंगलोंग स्वायत प्रादेशिक परिषद क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज स्कीम के तहत पूंजी सृजन करने के लिए सहायता प्रदान करना (₹ 6.00 करोड़)।
 - (ii) दीमा हसाओं स्वायत प्रादेशिक परिषद स्कीम के तहत पूंजी सृजन हेत् अनुदान प्रदान करना (₹ 4.00 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (a) providing Grant-in-aid General under the scheme "North Eastern Region Livelihood Project with World Bank Assistance" (₹ 30.00 crore).

The supplementary grants are required for:

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing Grants for creation of capital assets under the scheme "Special Package for the Economic Development of the Karbi Anglong Autonomous Territorial Council Area" (₹ 6.00 crore).
- (ii) providing Grants for creation of capital assets under the scheme "Special Package for Dima Hasao Autonomous Territorial Council" (₹ 4.00 crore).

(c)

(ग) एनएलसीपीआर (केन्द्रीय) के अंर्तगत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 60.00 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। meeting additional requirement under Non Lapsable Central Pool of Resources (Central) (₹ 60.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये) (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

Demands for Grants for the	c year zo	10 20 10)				(करोड़ रुपये Rup	nees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड जोड
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
, •	स्वीकृत:		Voted:	6243.87			6243.87
पूरक अनुदान:	ŭ	SUPPLEMENTARY GRANT:					
, ,	स्वीकृत:		Voted:	2685.01			2685.01
इस समय आवश्यक रकम का	Č	Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
3	स्वीकृत:		Voted:	5402.00		•••	5402.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		14330.88			14330.88
, ,		II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्	एउय शीर्षी के अ <u>ं</u>	तर्गत दिखाया र	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for un	der the follow	ing Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	4.80	(कa)		4.80
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	300.20	(खb)	•••	300.20
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	5092.20	(गc)		5092.20
सहायता		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	4.80	(घd)		4.80
सरकारों को सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	5402.00		•••	5402.00
			नमानों में नीचे द	र्शार्ड गयी वसलिय	ों को शामिल	र नहीं किया गया है जि	न्हें व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !	3	, ,			•
		Note: The above estimates of additional require	ements do not	take into accou	int the reco	overies shown belov	w, which are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता		2215 - Water Supply and Sanitation		(-) 2.40		•••	(-) 2.40
3601 - राज्य सरकारों को		3601 - Grants-in-aid to State		(-)			(-)
सहायता		Governments		2395.20			2395.20
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की		3602 - Grants-in-aid to Union Territory		(-) 2.40			(-) 2.40
सरकारों को सहायता अनुदान		Governments					
जोड़		Total		(-) 2400.00			(-) 2400.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष के लिए स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 2.40 करोड़) और स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च पूरा करना (₹ 2.40 करोड़)।
 - ₹ 2.40 करोड़ की वस्लियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 2.40 करोड़ नकद देने होंगे।
- (a) transfer of Swachh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for expenditure under Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2.40 crore) and meeting expenditure under Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2.40 crore).

Taking into account the recoveries of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 2.40 crore, this will entail a cash outgo of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 2.40 crore.

(ख) निम्न स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय पूरा करना (i) स्वच्छ भारत अभियान (₹ 240.00 करोड़) और(ii) राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (₹ 60.20 करोड़)।

मुख्य शीर्ष 3601 के तहत ₹ 240.00 करोड़ की वसूलियों और मांग सं. 37 - राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण में उपलब्ध ₹ 60.20 करोड़ की समान बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹ 240.00 करोड़ नकद देना होगा।

- (ग) राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (₹ 2395.20 करोड़) में स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण के लिए ₹ 5092.20 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन (₹ 2155.20 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर (₹ 541.80 करोड़) का व्यय करने का व्यय पूरा करना। राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से (₹ 2395.20 करोड़) का व्यय पूरा करने और मांग सं.37 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण में की गई (₹ 541.80 करोड़), की बचत के अभ्यर्पण के बाद, इस पूरक में ₹ 2155.20 करोड़ नकद देना होगा।
- (घ) स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान जारी करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 2.40 करोड़)।
 - ₹ 2.40 करोड़ की वसूलियों को देखते हुए, इसमें ₹ 2.40 करोड़ नकद देने होंगे।

- (b) meeting expenditure in North Eastern Region under the scheme of (i) Swachh Bharat Abhiyan(₹ 240.00 crore) and (ii) National Rural Drinking Water Programme (₹ 60.20 crore).
 - Taking into account the recoveries of ₹ 240.00 crore under MH 3601 and the surrender of matching savings of ₹ 60.20 crore available in Demand No.37-Transfers to State and Union Territory Governments, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 240.00 crore.
 - meeting the expenditure of ₹ 5092.20 crore for transfer of Swachh Bharat Cess to Rashtriya Swahhata Kosh (₹ 2395.20 crore), implementing the scheme of Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2155.20 crore) and incurring the expenditure of (₹ 541.80 crore) on National Rural Drinking Water Programme. After meeting the expenditure of (₹ 2395.20 crore) from Rashtriya Swahhata Kosh and the surrender of savings of (₹ 541.80 crore) made in Demand No. 37- Transfer to State and Union Territory Governments, this Supplementary will entail cash outgo of ₹ 2155.20 crore.
 - transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2.40 crore).

Taking into account the recoveries of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 2.40 crore, this will entail a cash outgo of $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$ 2.40 crore.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

				राजस्व	(**	पूंजी पूंजी	जोड़
,		LODIOWAL ODANIT		Revenue		Capital	Total
l. मूल अन् दान :	a	I. ORIGINAL GRANT:	01	0.40			0.40
	भारित:		Charged:	0.10		•••	0.10
	स्वीकृत:		Voted:	1497.56		125.02	1622.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1497.69		125.03	1622.72
	भारित:		Charged:	0.10			0.10
	स्वीकृत:		Voted:	1497.59		125.03	1622.62
	· ·	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	व्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for under	the followin	g Major He		
				आयोजना		आयोजना-	जोड
							•
				Plan		भिन्न Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				भिन्न	•
म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		Plan		भिन्न	Total
	स्वीकृत:		Voted:		(क a)	भिन्न	•
म्ख्य शीर्ष	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted: Voted:	Plan	(कa) (खb)	भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	_	MAJOR HEAD 3403 -Oceanographic Research		Plan 0.01	` '	भिन्न Non-Plan 	Total 0.01
म्ख्य शीर्ष 3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3403 -Oceanographic Research 3425 -Other Scientific Research	Voted:	Plan 0.01 0.01	(खb)	भिन्न Non-Plan 	0.01
म्ख्य शीर्ष 3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 3455 - मौसम विज्ञान	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3403 -Oceanographic Research 3425 -Other Scientific Research 3455 -Meteorology	Voted:	0.01 0.01 0.01	(खb)	भिन्न Non-Plan 	0.01 0.01 0.01
मुख्य शीर्ष 3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 3455 - मौसम विज्ञान जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3403 -Oceanographic Research 3425 -Other Scientific Research 3455 -Meteorology Total (Revenue Section)	Voted:	0.01 0.01 0.01	(खb)	भिन्न Non-Plan 	0.01 0.01 0.01
मृष्य शीर्ष 3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 3455 - मौसम विज्ञान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3403 -Oceanographic Research 3425 -Other Scientific Research 3455 -Meteorology Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	Voted:	0.01 0.01 0.01	(खb)	भिन्न Non-Plan 	0.01 0.01 0.01
म्ख्य शीर्ष 3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 3455 - मौसम विज्ञान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 5455 - मौसम विज्ञान पर पूंजी	स्वीकृत: स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3403 -Oceanographic Research 3425 -Other Scientific Research 3455 -Meteorology Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted: Voted: Voted:	0.01 0.01 0.01 0.03	(खb) (गc)	भिन्न Non-Plan 	0.01 0.01 0.01 0.03
मुख्य शीर्ष 3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 3455 - मौसम विज्ञान जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	स्वीकृत: स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3403 -Oceanographic Research 3425 -Other Scientific Research 3455 -Meteorology Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted: Voted: Voted:	0.01 0.01 0.01 0.03	(खb) (गc)	भिन्न Non-Plan 	0.01 0.01 0.01 0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- क) (i) भारतीय नौवहन निगम को भुगतान हेतु अपूर्व स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 27 करोड़) और (ii) ओ-स्टोर्मस स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के मृजन के लिए अनुदान (₹ 6 करोड़)अतिरिक्त प्रादन करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) रीचआउट स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायता अन्दान (₹ 6 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) (i) एक्रास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 68.30 करोड़) और(ii) सेज स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अन्दान (₹ 2 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4 करोइ)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional (i) Grants-in-aid General (₹ 27 crore) under the Scheme APOORV for payment to Shipping Corporation of India and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crore) under the Scheme O-STORMS.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

- (b) providing additional Grants-in-aid General (₹ 6 crore) under the Scheme REACHOUT.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- providing additional (i) Grants-in-aid General (₹ 68.30 crore) under the Scheme ACROSS and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore) under the Scheme SAGE.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting additional expenditure under Major Works (₹ 4 crore) towards payment of pending liabilities.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 32 पर्यावरण, वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

, , ,		•	,		(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1888.81		48.79	1937.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	120.02		0.01	120.03
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementary)		2008.83		48.80	2057.63
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	ग शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun				jor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	120.00	(खb)		120.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	120.02			120.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Other Scientific	Voted:	0.01	(घd)	•••	0.01
अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय		and Environmental Research					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	120.03			120.03
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुम	ानों में नीचे दः	र्शाई गयी वसूलि	ायों को शाहि	मेल नहीं किया गया है	जिन्हें व्यय में
		से घटाकर समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requirement	ents do not t	ake into acco	ount the re	ecoveries shown b	elow, which
		are adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण		3435 - Ecology and Environment		(-) 120.00			(-) 120.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) (क) (i) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थाओं अर्थात भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद को (₹. 4.90 करोड़) और भारतीय वन प्रबंध संस्थान को (₹. 0.40 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान; (ii) भारतीय वन प्रबंध संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.50 करोड़) और (iii) वन्य प्राणी प्रभाग सुद्ढीकरण अर्थात केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और वन्य प्राणी संबंधी अपराध नियंत्रण(₹ 1.15 करोड़) अतिरिक्त राशि देना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

(a) providing additional (i) Grants-in-aid General to Forestry and Wild Life Institutions viz. Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 4.90 crore) and Indian Institute of Forest Management (₹ 0.40 crore); (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Institute of Forest Management (₹ 4.50 crore) and (iii) Grants-in-aid General to Strengthening of Wildlife Divisions viz Central Zoo Authority (₹ 2 crore) and Control of Wildlife Crime (₹ 1.15 crore).

(ख) (ख) (i) पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता (उत्कृष्टता केंद्र) को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 4.90 करोड़) और (ii) जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के तहत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए व्यवहार्य अंतराल निधियन हेतु ऊर्जा संयंत्र को 12 मेगावाट अपशिष्ट के लिए पूर्वी दिल्ली अपशिष्ट प्रक्रियान्वयन कंपनी लिमिटेड को सामान्य सहायता अन्दान, (₹ 120 करोड़)

चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 4.90 करोड़ की बचत उपलब्ध है, ₹ 120 करोड़ की शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक मांगा जाता है, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) ईएपी घटक के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को पूंजी आस्ति के सृजन हेत् अनुदान प्रदान करना (₹ 5 करोइ)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सिविल इंजीनियरिंग विंग के तहत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करना (₹ 3 करोइ)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

b) providing (i) additional Grants-in-aid Salaries to Environment Information, Education and Awareness (Centres of Excellence) (₹ 4.90 crore)and (ii) Grants-aid-general (₹ 120 crore) to East Delhi Waste Processing Company Limited for the 12 MW Waste to Energy Plant towards viability gap funding for Waste Management Facility under Climate Change Action Plan.

As savings of ₹ 4.90 crore is available within the same section of the grant, a technical supplementary is sought for the balance amount of ₹ 120 crore, which will be met from National Clean Energy Fund. This will not entail cash outgo.

- providing Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) to
 National River Conservation Plan under EAP Component
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure towards Major Works (₹ 3 crore) under Civil
 Engineering Wing for construction of office building.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये) (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपः	ये Rupeє	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11238.00	3728.80		14966.80
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	10.00			10.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		11248.05	3728.80		14976.85
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11248.02	3728.80		14976.82
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	<i>ज्य</i> शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेग	Γ:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for under	the following M	lajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		0.01	(कa)	0.01
3605 - अन्य देशों के साथ	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:		0.01	(खb)	0.01
तकनीकी और आर्थिक सहयोग		operation with Other Countries					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (i) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए दूतावासों और मिशन (₹ 276.02 करोड़) (ii) विशेष डिप्लोमेटिक व्यय (₹ 1014.00 करोड़) और (iii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (₹ 917.31 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत विदेशों को निधियां प्रदान करना (i) नेपाल को सहायता (₹ 500.00 करोड़) (ii) म्यांमार को सहायता (₹ 275.00 करोड़) (iii) अफ्रीकी देशों को सहायता (₹ 571.53 करोड़) और अफगानिस्तान को सहायता (₹ 463.67 करोड़);

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

(a) providing additional funds under (i) 'Embassies and Missions' to meet establishment related expenditure (₹ 276.02 crore), (ii) 'Special Diplomatic Expenditure' (₹ 1014.00 crore) and (iii) 'Central Passport Organisation' (₹ 917.31 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing funds to foreign countries under the schemes (i) 'Aid to Nepal' (₹ 500.00 crore), (ii) 'Aid to Myanmar' (₹ 275.00 crore), (iii) 'Aid to African Countries' (₹ 571.53 crore) and 'Aid to Afghanistan' (₹ 463.67 crore);

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

Demands for Grants for th	e vear 20	15-2016)						,
	,	,		राजस्व		पूंजी	ये Rupe	es in Crore) जोड़
l. मूल अन् दा न:		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue		Capital		Total
I. of order.	स्वीकृत:	I. ONONVIL OIVIVI.	Voted:	17774.88		5601.69		23376.57
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:	7 01.0 4.			00000		200. 0.0.
χι τι οισμιτί.	स्वीकृत:	OOI I EEMENINUU OI UUI.	Voted:	13.34				13.34
इस समय आवश्यक रकम का	र पानृता.	Supplementary Estimate of the amount	voica.	10.04		•••		10.04
•								
पूरक अनुमान:	⊤नीन-⊐ः	now required:	Voted:	0.08		485.02		485.10
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	voteu.	17788.30		6086.71		23875.01
जाड़ (मूल जार पूरक)		ll. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के 3 इय शीर्षों के 3		जायेगाः	0000.71		23075.01
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for un	der the follo	wing Ma	ijor Heads:		
				आयोजना 		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan		Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:			0.01	(ক a)	0.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:			0.01	(खb)	0.01
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 -Miscellaneous General Services	Voted:			0.01	(यह) (गट)	0.01
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत:	2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:	•••		0.01	(घd)	0.01
3054 - सड़क और प्ल	स्वीकृत:	•		0.01	(ङe)		(qu)	
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय		3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(SE)	0.04	(f \	0.01
उ४०० - अतराष्ट्राय वित्ताय संस्थाएं	स्वीकृत:	3466 -International Financial Institutions	Voted:	•••		0.01	(चf)	0.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	•••		0.01	(<u>छ</u> g)	0.01
3605 - अन्य देशों के साथ	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:			0.01	(जh)	0.01
तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Č	operation with Other Countries						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		0.07		0.08
पूंजी भाग	C	CAPITAL SECTION						
ू मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5 5465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	5465 - Investments in General Financial	Voted:			0.01	(झi)	0.01
व्यापारिक संस्थानों में निवेश		and Trading Institutions					(4)	
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वितृतीय	स्वीकृत:	5466 - Investments in International	Voted:			0.01	(퍼j)	0.01
संस्थानों में निवेश		Financial Institutions					` ','	
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	5475 - Capital Outlay on Other General	Voted:	485.00	(ਟk)			485.00
सेवाओ पर पूंजी परिव्यय		Economic Services			()			
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	485.00		0.02		485.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	485.01		0.09		485.10
	(417/().	, can (cappionally)	volca.					
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अन् घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirer adjusted in reduction of expenditure.						

(-) 862.00

(-) 862.00

REVENUE SECTION

3054 - Roads and Bridges

राजस्व भाग

3054 - सड़क और पुल

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्वर्ण स्कीम शुरू करने के लिए विज्ञापन और प्रचार प्रसार हेतु रु. 3.20 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) प्रतिभृति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) के लिए आईबीआरडी द्वारा किए गए संवितरण के संबंध में किराए, दरों और करों के लिए रु. 0.95 करोड़ और किराए पर ली गई परामर्श सेवाएं-जमा न किए गए समतुल्य रूपए के भगतान के लिए रु. 0.46 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) 'सरकारी खातों के लिए दावा न की गई प्रतिभूतियों संबंधी भुगतान ' के लिए एकम्शृत प्रावधान हेत् (रु. 0.10 करोड़) का अतिरिकृत खर्च पूरा करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) आईएफडीए संसाधनोंकी 10वीं पूर्ति के लिए13 मिलियन अमेरीकी डालर की पहली किस्त के भुगतान के कारण अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान और विनिमय में परिवर्तन के कारण 'सरकारी खातों के लिए दावा न की गई प्रतिभूतियों संबंधी भुगतान ' के लिए एकमुश्त प्रावधान हेत् (रु. 19.00 करोड़) का खर्च पूरा करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ङ) अधिक डीजल कर संग्रहण के कारण केंद्रीय सडक निधि को अंतरण् के लिए रु. 862 करोड़ और रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए रेलवे को जारी करने के लिए रु. 862 का अतिरिक्त खर्च।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (च) निम्निलिखित की जरूरत हेतु (i) अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीएफ) को अंशदान (रु. 36.26 करोड़) (ii) विशेष आहरण अधिकारों के प्रशासन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि को देय मूल्यांकन प्रभार (रु. 0.22 करोड़) (iii) दिक्षण- दिक्षण- दिक्षण अनुभव विनिमय न्यास निधि को अंशदान (एसईईटीएफ) के लिए व्यय पूरा करना (रु. 3.25 करोड़) और (iv) प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अंशदान। प्रधानमंत्री कार्यालयनेतीनिकस्तों में 200 मिलियन अमेरीकी डालर का भुगतान अनुमोदित किया है। 66.67 मिलियन अमेरीकी डालर की दूसरी किस्त वित्त वर्ष 2015- 16 में प्रभावी होनी है। (रु. 13.40 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (छ) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) एडस, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि में अंशदान (रु. 1.52 करोड़) (ii) टीकाकरण और प्रतिरक्षण (जीएवीआई) के लिए वैश्विक गठजोड को अंशदान (रु. 0.53 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement of ₹ 3.20 crore towards advertisement and publicity for the launch of Gold Schemes.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement of ₹ 0.95 crore towards Rent, Rates and Taxes and ₹ 0.46 crore towards payment of hired consultancy services-Non Deposit Rupee equivalent in respect of disbursement made by IBRD for Security Appellate Tribunal (SAT).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure requirement (₹ 0.10 crore) for lumpsum provision towards 'Payment in connection with Unclaimed Securities credited to Government Accounts'.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure for Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) on account of payment of Ist installment of US\$ 13 million to 10th Replenishment of the IFAD Resources and on account of exchange variation (₹ 19.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) additional expenditure of ₹ 862 crore for transfer to Central Road Fund on account of higher collection of diesel cess and ₹ 862 crore for release to Railways for Railway Safety Works
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - additional requirement for (i) subscription to African Development Fund (AfDF) (₹ 36.26 crore) (ii) Assessment charges payable to International Monetary Fund in regard to Administration of Special Drawing Rights (₹ 0.22 crore) (iii) meeting expenditure for 'Contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund' (SEETF) (₹ 3.25 crore) and (iv) Contributions to International Development Association (IDA). Payment of US\$ 200 Million in three installments has been approved and 2nd installment of US\$ 66.67 Million is to be effected in FY 2015-16 (₹ 13.40 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) meeting additional requirement on account of (i) Contribution to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (₹ 1.52 crore) (ii) Contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹ 0.53 crore).

(j)

(k)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ज) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निवासी प्रतिनिधि का व्यय (रु. 0.98 करोड़) (ii) विनिमय दर में परिवर्तन की वजह से वैश्विक पर्यावरण सुविधा न्यास निधि को अंशदान (रु. 1.71 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(झ) (i) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के मृजनार्थ चुकाई गई पूंजी के लिए लिए गए आकस्मिक अग्रिम(रु. 0.02 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना निधि न्यास लिमिटेड के लिए रु. 0.02 करोड़ का रिकुपमेंट।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ञ) (क) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) सामान्य पूंजी वृद्धि के (सीजीआई) का भुगतान (₹ 5.19 करोड़) (ii) सामान्य पूंजी वृद्धि के तहत 1744 अतिरिक्त शेयरों के आबंटन के लिए (विनिमय दर में परिवर्तन के लिए रु. 5.19 करोड़ + रु. 0.43 करोड़)।
 - (ख) ब्रिक्स-न्यू डेबलपमेंट बैंक को अंशदान के कारण भुगतान (₹ 70.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ट) अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल निधियन के लिए सहायता हेतु ₹ 500.00 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना। इस प्रयोजन के लिए, अनुदान के इसी भाग में रु. 15 करोड़ की बचत का उपयोग किया जाए और शेष अनुदान के राजस्व भाग से ली जाए। अत:, तकनीकी पूरक मांगा गया है। उपरोक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(h) meeting additional amount on account of (i) Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme (₹ 0.98 crore) (ii) Contributions to Global Environment Facility Trust Fund (₹ 1.71 crore) on account of exchange rate variation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

i) recoupment of contingency fund advance taken for paid up capital for creation of National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) (₹ 0.02 crore) and ₹ 0.02 crore for National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (a) meeting additional amount on account of (i) Payment of General Capital Increase (GCI) (₹ 6.27 crore) (ii) towards allotment of 1744 additional shares under General Capital Increase (₹ 5.19 crore + ₹ 0.43 crore towards exchange rate variation).
- (b) payment on account of subscription to BRICS New Development Bank (₹ 70.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional requirement of ₹ 500.00 crore on account of Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding. For this purpose, the saving of ₹ 15 crore in the same section of the Grant will be utilised and rest is to be provided from the Revenue Section of the Grant. Hence, a Technical Supplementary is sought. The above expenditure will not entail any Cash outgo.

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	15311.80		17495.00		32806.80	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	500.02		12221.20		12721.22	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
पूरक अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.03		0.06	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		15811.85		29716.23		45528.08	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के उ	भंतर्गत दिखाया	जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:							
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत:	2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:			0.01	(कa)	0.01	
2885 - उद्योग और खनिजों पर	स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and	Voted:	•••		0.01	(खb)	0.01	
अन्य व्यय		Minerals							
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:			0.01	(गc)	0.01	
सेवाएं									
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:			0.03		0.03	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
6416 - कृषि वित्तीय संस्थानों	स्वीकृत:	6416 - Loans to Agricultural Financial	Voted:			0.01	(घd)	0.01	
के लिए ऋण		Institutions							
6885 - उद्योग और खनिजों को	स्वीकृत:	6885 - Other Loans to Industries and	Voted:	0.01	(ङ e)	0.01	(चf)	0.02	
अन्य ऋण	-	Minerals							
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.01		0.02		0.03	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.05		0.06	
•	·								

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) भारत स्विस सहयोग –VI भारत स्विस परियोजना करार के तहत नाबार्ड के लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी- 'विशेष निधि' का उपयोग (₹ 5.39 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) हाऊसिंग लोन के लिए 1 प्रतिशत ब्याज माफी स्कीम के तहत लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी (₹ 85.00 करोड़), भारत सरकार और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था के तहत क्रेडिटन्सटाल्ट फर वेडराउबाउ (केएफडब्ल्यू) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को प्रदत्त ऋण शृंखला हेतु 'ब्याज विभेदक निधि' के तहत जमा किए गए आईसीआईसीआईबैंक को The supplementary grants are required for:

(a) subsidy for settlement of pending claims of NABARD under Indo Swiss Cooperation - VI Indo Swiss Project Agreement -Utilisation of 'Special Fund' (₹ 5.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

subsidy for settlement of the pending claims under 1% Interest Subvention Scheme for Housing Loans (₹ 85.00 crore), Grants-in-aid for reimbursement of funds to ICICI Bank deposited under 'Interest Differential Fund' for Lines of Credit extended to ICICI Bank by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) under the

निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य अनुदान सब्सिडी (₹ 37.74 करोड़),; और स्ट्रेस्ड एसेट्स सटेबिलाईजेशन निधि (एसएएसएफ) को निर्गमित प्रतिभूतितियों की छूट के लिए ₹ 150 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) गरीबों की मदद के लिए परामर्श समूह में भारत की सदस्यता (सीजीएपी) के लिए 100,00 अमेरीकी डालर समतुल्य अंशदान (₹ 0.62 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(घ) जम्मू- कश्मीर राज्य में लाइसेंसरिहत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरूद्वार हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ₹ 0.02 करोड़ का अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी हिस्सा प्रदान करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ङ) भारत में सूक्ष्म वित्त पोषण की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हाऊसिंग बैंक (एनएचबी) (आईडीए ऋण सं. 5283- आईएन) को विश्व बैंक की मदद हेतु प्रावधान करना (₹ 190 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(च) भारत में सूक्ष्म वित्त पोषण की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) (आईडीए ऋण सं. 4754- आईएन) को विश्व बैंक की मदद हेत् प्रावधान करना (₹ 49.82 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

bilateral credit arrangement between GOI and Germany (₹ 37.74 crore) and additional expenditure of ₹ 150 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

contribution equivalent to US\$100,000 towards India's Membership in Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) (₹ 0.62 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) providing additional Central Government's share of ₹ 0.02 crore to National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) as interest free loan for revival of Unlicensed District Central Cooperative Banks (DCCBs) in the State of Jammu and Kashmir.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) making provision towards World Bank Assistance to National Housing Bank (NHB) (IDA Credit No. 5283-IN) to improve access to microfinance in India (₹ 190 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

making provision towards World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) (IDA Credit No. 4754-IN) to improve access to microfinance in India (₹ 49.82 crore).

राज्य और संघ शासित सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupees in Cro				
				राजस्व	पूंजी	जोड़			
				Revenue	Capital	Total			
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	भारित:		Charged:	88864.52	12600.00	101464.52			
	स्वीकृत:		Voted:	35205.00		35205.00			
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
पूरक अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	2989.00		2989.00			
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		127058.52	12600.00	139658.52			
	भारित:		Charged:	88864.52	12600.00	101464.52			
	स्वीकृत:		Voted:	38194.00		38194.00			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:							
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़			
				Plan	Non-Plan	Total			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2245 - प्राकृतिक आपदा	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:		2989.00	2989.00			
राहत		Calamities							
		—————————————————————————————————————							
		Note: The above estimates of additional require	ments do not take i	nto account the re	coveries shown below,	which are			
		adjusted in reduction of expenditure.							
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
2245 1112 21112		2245 - Relief on account of Natural			(-) 1539.00	(-) 1539.00			
2245 - प्राकृतिक आपदा									

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात अदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 2989.00 करोड़);

01.04.2015 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में उपलब्ध निधियों (₹ 1539.00 करोड़) का उपयोग और अनुदान के प्रभारित (राजस्व) भाग में उपलब्ध बचतों का अभ्यर्पण (₹ 1450 करोड़)करने से उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities like hailstorm, unseasonal rain etc., from National Disaster Response Fund (NDRF) (₹ 2989.00 crore);

Utilizing funds available as on 01.04.2015 in National Disaster Response Fund (₹ 1539.00 crore) and surrender of the savings available in the Charged (Revenue) Section of the Grant (₹ 1450 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 0.02 0.02 Charged: स्वीकृत: 16081.67 106.00 16187.67 Voted: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount अन्मान: now required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 16081.70 106.00 16187.70 भारित: 0.02 0.02 Charged: स्वीकृत: 16187.68 Voted: 16081.68 106.00 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 3602 -Grants-in-aid to Union Territory सहायता अनुदान Governments यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना providing CST compensation to UTs of Delhi and Puducherry (₹ 1845.65 करोड़)। (₹ 1845.65 crore) अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये) (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये।	Rupees I	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	505.51				505.51
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	19.11				19.11
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		524.63				524.63
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for und	er the follow	wing Maj	or Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(कa)	19.10	(खb)	19.11
भाण्डागारण								

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान और विकास और संवर्धानात्मक क्रियाकलापों की स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 5.01 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) संस्थाओं और प्रशासन सुद्गृढ़ीकरण स्कीम के तहत एनआईएफटीईएम के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 9.92 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.08 करोड़) प्रदान करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए,उपर्युक्त व्यय में ₹ 19.10 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing additional Grants-in-aid-General (₹ 5.01 crore) under the scheme for Quality Assurance, R&D and Promotional Activities.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Additional Grants-in-aid-Salaries (₹ 9.92 crore) and Grants-in-aid-General (₹ 10.08 crore) for NIFTEM under the Scheme for Strengthening of Institutions and Administration.
 - Taking into account the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 19.10 crore.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये) (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

							ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	31501.32		867.35		32368.67
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	650.02		0.01		650.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	450.03		150.01		600.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		32601.37		1017.37		33618.74
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	गुख्य शीर्षों वे	न अंतर्गत दिख	या जायेग	T:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for	under the fol	lowing N	lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	300.00	(कa)	0.01	(खb)	300.01
स्वास्थ्य	0							
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	15.00	(ङe)			15.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	135.00	(चf)			135.00
		Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	450.01		0.02		450.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	150.00	(<u>ড</u> g)			150.00
स्वास्थय पर पूंजी परिव्यय		Public Health						
4211 - परिवार कल्याण पर पूंजी	स्वीकृत:	4211 - Capital Outlay on Family	Voted:	0.01	(जh)			0.01
परिव्यय		Welfare						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	150.01		•••		150.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	600.02		0.02		600.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर पुदुच्चेरी के लिए (₹ 10.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान। (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। 1. आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंज नई दिल्ली (₹ 150.00 करोड़) 2. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर पुदुच्चेरी (₹ 140.00 करोड़)।

विशेष सहायता देकर नीति आयोग द्वारा किए गए आंवटनों को ध्यान में रखते हुए ₹ 300.00 करोड़ की समतुल्य राशि मांग सं.37 से अभ्यर्पित की a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 10.00 crore) (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/Schemes: 1. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 150.00 crore) 2. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 140.00crore)

Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 300.00 crore

जाएगी, राज्य और संघ राज्य सरकारों को अन्तरण तकनीकी अनुपूरक की मांग की जाती है जिसके लिए किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को (ख) पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान; 1.वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.85 करोड़) 2. चितंरजन नेशनल केंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 0.64 करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹ 70.00 करोड़) 4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो साइसेंज बैंगलोर (₹ 9.71 करोड़) 5. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एवं हियरिंग, मैसूर (₹ 1.42 करोड़) 6. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अन्संधान संस्थान, चण्डीगढ़ (₹ 22.10 करोड़) 7. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर, प्द्चियेरी (₹ 43.00 करोड़) 8. लाला राम स्वरूप टी.बी. एंव सम्बद्ध रोग संस्थान नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़) 9. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (₹ 2.00 करोड़) (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अन्दान वेतन 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.50 करोड़) 2. चितंरजन नेशनल केंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 2.76) करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹ 200.00 करोड़) 4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अन्संधान संस्थान चण्डीगढ़ (₹ 160.00 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर पुदुच्चेरी (₹ 25.00 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

(ग) जनशक्ति की अधिप्राप्ति आपूर्ति, सेवा, सूचना शिक्षा एवं संचार (आईइसी) कार्यकलापों और अन्य स्थापना सम्बद्ध व्यय 1. गर्भ निरोधक का सामाजिक विपणन (₹ 50.00 करोड़) – गर्भ निरोधकों की आपूर्ति संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 2. परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री की निशुल्क आपूर्ति (₹ 100.00 करोड़) – निशुल्क वितरण हेतु गर्भ निरोधक सामग्री की आपूर्ति की खरीद के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 3. सूचना, शिक्षा और संचार (₹ 50.00 करोड़ - डेंगू और स्वाइन फ्लू से संबंधित चल रहे अभियान की वचनबद्धता के साथ हेपेटाइटिस बी से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के अभियान पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।

> इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

(ङ) जिले के अन्तर्गत नए मेडिकल कालिज/रेफरल हास्पीटल की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वितीय सहायता देने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनदान। (₹ 15.00 करोड़)।

नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए आबंटन को ध्यान में रखते हए,

would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

(i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.85crore) 2. Chittaranjan national Cancer Institute, Kolkata (₹ 0.64 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 70.00 crore) 4. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹ 9.71crore) 5. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 1.42crore) 6. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 22.10crore) 7. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 43.00 crore) 8. Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.08 crore) 9. Rashtriya Arogya Nidhi (₹ 2.00 Crores) (ii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.50 crore) 2. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 2.76 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 200.00 crore) 4. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 160.00 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 25.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Procurement of Manpower, Supplies, Services, Information Education & Communication (IEC) activities and other Establishment related expenditure: 1. Social Marketing of Contraceptives (₹ 50.00 Crores) – For meeting additional expenditure on supplies of contraceptives. 2. Free Supply of Family Planning Material (₹ 100.00 Crores) – For meeting additional expenditure on procurement of supplies of contraceptives for free distribution. 3. Information, Education and Communications (₹ 50.00 Crores – For meeting expenditure on Media Campaign to create awareness on Hepatitis B alongwith the commitments of the current campaign on Dengue and Swine Flu.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi (₹ 1.50crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

e) Grants for creation of Capital Assets for financial assistance to State Govts. for estatlishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals (₹ 15.00 Crores).

Taking into account the allocations made by NITI Ayog from

मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, से ₹ 15.00 करोड़ के समकक्ष धनराशि अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी अन्पूरक की मांग की गई है जिससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(च) राज्य सरकारों को वितीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जिला/रेफरल अस्पतालों से सहबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु (₹ 135.00 करोड़)। (ii) राजकीय औषध विनियामक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय औषध प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 50.00 करोड़ की बचत को देखते हुए शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए आबंटन को ध्यान में रखते हुए, मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, से ₹ 135.00 करोड़ के समकक्ष धनराशि अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी अनुपूरक की मांग की गई है जिससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(छ) निम्न को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु 1. अस्पताल के पुर्नाविकास -मशीनरी उपकरण (₹ 50.00 करोड़), प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 100.00 करोड़) पर व्यय की पूर्ति करने के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए। 2.एम्स की तरह के सुपर स्पेशितटी अस्पताल-सह-शिक्षा संस्थानों की स्थापना और मशीनरी और उपकरण की खरीद पर व्यय पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अस्पतालों (पीएमएसएसवाई) के उन्नयन के लिए (₹ 175.00 करोड़) और प्रम्ख (₹ 50.00 करोड़), 3.सीजीएचएस औषद्यालयों/अस्पतालों की स्थापना (₹ 40.74 करोड़),4. डा.राम मनोहर अस्पताल, नई दिल्ली के मशीनरी और उपकरण की खरीद पर व्यय पुरा करने हेत् (₹ 10.90.00 करोड़), 5.लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली हेतु मशीनरी और उपकरण की खरीद संबंधी व्यय पूरा करने हेत् (₹ 0.70 करोड़), 6. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के प्रमुख निर्माण कार्य संबंधी व्यय पूरा करने हेतु (₹ 37.19 करोड़) और 7.केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय पूरा करने हेत् (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 364.53 करोड़ की बचत के मद्देनजर, शेष राशि हेतु पूरक मांगा गया है। नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए आबंटन को ध्यान में रखते हुए, मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, से ₹ 150.00 करोड़ के समकक्ष धनराशि अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी अनुपूरक की मांग की गई है जिससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ज) परिवार कल्याण प्रशिषण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई के प्रमुख कार्यों पर व्यय पूरा करना (₹ 0.99 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 15.00 crore would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

Grants for Creation of Capital Assets for providing financial assistance to State Governments: Estt. of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals (₹ 135.00 Crores). (ii) Grants-in-aid General for providing financial assistance to State Government to set-up state level Drug Laboratories (₹ 50.00crore) under the Scheme of Strengthening of State Drug Regulatory System.

After taking into account savings of ₹ 50.00 crore available in the same Section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 135.00 crore would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

For providing additionality to 1. Safdarjung Hospital, New Delhi for meeting expenditure on redevelopment of hospital -Machinery Equipment (₹ 50.00 crore), major works (₹ 100.00 crore), 2. For establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (PMSSY) for meeting expenditure procurement of machinery & equipment (₹ 175.00 crore) and major works (₹ 50.00 cr), 3. Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 40.74 crore), 4. For meeting expenditure on procurement of machinery and equipment for Dr. Ram Monohar Hospital, New Delhi (₹ 10.90 crore), 5. For meeting expenditure on procurement of machinery and equipment for Lady Hardinge Medical College and Smt. S K Hospital, New Delhi(₹ 0.70 crore), 6. For meeting expenditure on major work of National Centre for Disease Control(₹ 37.19 crore) and 7. For meeting expenditure on major works of Central Drugs Standards Control Organization (₹ 50.00 crore).

After taking into account savings of ₹ 364.53 crore available in the same Section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 150.00 crore would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

meeting expenditure on major works in Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai(₹ 0.99 crore)

(h)

स्वास्थ्य अन्संधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1018.17				1018.17
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1018.20				1018.20
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुग		तर्गत दिखाय	ग जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for un	der the follo	owing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
स्वास्थ्य								
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

(c)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (₹ 164.65 करोड़) (ii) नई स्वीकृत फैलोशिप के लिए औषिध और स्वास्थ्य में अनुसंधान (₹ 1.80 करोड़) (iii) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप के संबंध में अपेक्षाएं पूरी करने के लिए महामारियों के प्रकोप की रोकथाम हेतु उपकरणों का विकास (₹ 9.00 करोड़) और (iv) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप संबंधी व्यय पूरा करने के लिए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (₹ 4.50 करोड़) (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 37.00 करोड़) और (3) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 129.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को संस्थान के प्रचालन लागत/संस्थान के तहत कार्य करने वाले केंद्रों के संबंध में अतिरिक्त जरूरतें पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 35.00 करोइ) (2) भारतीय चिकित्सा अन्संधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान(₹ 45.00 करोइ)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

 (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) अनुसंधान गतिविधियां (₹ 24.18 करोड़) (ii) The supplementary grants are required for:

(1) Grants in Aid General for meeting additional requirements under the following Schemes:(i) Indian Council of Medical Research (₹ 164.65 crore),(ii) Research in Medicine & Health for newly sanctioned fellowship (₹ 1.80 crore),(iii) Development of Tools to Prevent Outbreak of Epidemics to meet requirement on outbreak of Epidemics, Dengue, H1N1 (₹ 9.00 crore) and(iv) Management of Natural Calamities for meeting expenditure on outbreaks of Epidemics, Dengue, H1N1(₹ 4.50 crore), (2) Grants for creation of capital asset for Indian Council of Medical Research (₹ 37.00 crore). and (3) Grants in Aid Salaries for ICMR (₹ 129.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants in Aid General to Indian Council of Medical Research for meeting additional requirements on operational cost of institute/centres functioning under the Institute (₹ 35.00 crore),
 (2) Grant in Aid Salaries to Indian Council of Medical Research (₹ 45.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants in Aid General to Indian Council of Medical Research for (i)Research activities(₹ 24.18 crore), (ii) Scheme Research in

अनुसंधान गितविधियों पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिए औषधि और स्वास्थ्य में अनुसंधान स्कीम (₹ 0.20 करोड़) (iii) अनुसंधान गितविधियों पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिए चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय स्कीम (₹ 0.85 करोड़) और (iv) अनुसंधान गितविधियों पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिए प्रबंधन और आपदा स्कीम (₹ 0.50 करोड़) (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹ 18.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। Medicine & Health to meet increased expenditure on Research activities (₹ 0.20 crore), (iii) Scheme Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research to meet increased expenditure on Research activities (₹ 0.85 crore) and (iv) Scheme Management and Natural Calamities to meet increased expenditure on Research activities (₹ 0.50 crore). (2) Grants in Aid Salaries to ICMR (₹ 18.00 crore)

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये) (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		,			(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1347.00		50.00	1397.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	267.50			267.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1614.51		50.00	1664.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
							. o.a.
						Non-Plan	· otal
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan	1014
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				Non-Plan	. 014
	स्वीकृत:		Voted:	90.00	(कa)	Non-Plan 	90.00
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	90.00	(কa)		
मुख्य शीर्ष 2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	90.00	(কa) (खb)		
मुख्य शीर्ष 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य		MAJOR HEAD 2210 -Medical and Public Health			, ,		90.00
मुख्य शीर्ष 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2210 -Medical and Public Health 2552 -North Eastern Areas	Voted:	22.00	(खb)		90.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) औषि, किट्स और सामग्री के लिए वैश्विक निधि से अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां (₹ 90.00 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) घरेलू बजटीय सहायता के रूप में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायिटयों के लिए सामान्य सहायता अन्दान अपेक्षित है (₹ 22.00 करोड़)
 - (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एड्स नियंत्रण सोसायिटयों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 31.00 करोड़) चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 31.00 करोड़ की बचत उपलब्ध है, उपर्युक्त ट्यय में ₹ 22.00 करोड़ नकद होगा।
- (ग) (i) निम्निलिखित के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसायिटयों के लिए सामान्य सहायता अनुदान की आवश्यकता है (क) विश्व बैंक से ऋण के तहत (ईएपी घटक) (₹ 43.00 करोड़) और (ख) घरेलू बजटीय सहायता घटक (₹ 63.00 करोड़)
 - (ii) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायिटयों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 59.50 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 10.00 करोड़ की बचत को देखते हुए शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 49.50 करोड़ की बचत अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक में ₹ 106.00 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Additional Funds under Grant from Global Fund (EAP)for Procurement of Drug, Kits and materials(₹ 90.00 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo;

- (i) Grants in Aid General to State AIDS Control Societies is required as Domestic Budgetary Support (₹ 22.00 crore)
- (ii) Grants in Aid General to North East Region State AIDS Control Societies (₹ 31.00 crore)
 - As savings of ₹ 31.00 crore is available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail Cash Outgo of ₹ 22.00 crore.
- (i) Grants in Aid General to State AIDS Control Societies is required (a) under credit from World Bank (EAP Component) (₹ 43.00 crore) and (b) Domestic Budgetary Support component (₹ 63.00 crore)
- (ii) Grants in Aid General to States AIDS Control Society (₹ 59.50 crore).

After taking into account savings of ₹ 10.00 crore available in the same Section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. As savings of ₹ 49.50 crore available in the Capital Section of the Grant will be surrendered, the supplementary will entail Cash Outgo of ₹ 106.00 crore.

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	275.73		1349.00		1624.73
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	198.94		0.01		198.95
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		474.67		1349.01		1823.68
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for und	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	51.87	(क a)			51.87
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	144.54	(खb)	2.53	(गc)	147.07
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	196.41		2.53		198.94
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी	स्वीकृत:	4860 - Capital Outlay on Consumer	Voted:	0.01	(घd)			0.01
परिव्यय	-	Industries						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	196.42		2.53		198.95
	•							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) कचार पेपर मिल (सीपीएम), हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड की एक एक इकाई, की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु, परिवहन सब्सिडी के रूप में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 101.87 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में ₹ 50.00 करोड़ उपलब्ध है और ₹ 51.87 करोड़ की राशि अनुदान के पूंजी अनुभाग से अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ख) एफएएमई इंडिया स्कीम (₹ 144.54 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ग) 2015-16 की अविधि के लिए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिए पुनरूद्धार पैकेज के भाग के रूप में ₹ 2.53 करोड़ की गारंटी शुल्क सब्सिडी। चूंिक अनुदान के पूंजी भाग में 2.53 करोड़ की बही समायोजन बचत उपलब्ध है और कुछ नकद नहीं देना होगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (घ) नेपा लिमिटेड के लिए इसके पुनरूद्वार पैकेज के भाग के रूप में अतिरिक्त जरूरत (₹ 53.59 करोइ) पूरी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement for Cachar Paper Mill (CPM), a unit of Hindustan Paper Corporation Limited as Grant-in-aid General for NER of ₹ 101.87 crore as transport subsidy. Savings of ₹ 50.00 crore is available under the same section of the Grant and an amount of ₹ 51.87 crore would be surrendered from Capital Section of the Grant. A technical supplementary is sought.
- (b) For meeting the additional requirement for the Scheme FAME -India of ₹ 144.54 cr. An equivalent amount would be surrendered from the Capital Section of the Grant, a Technical supplementary is sought.
- (c) Guarantee fee subsidy of ₹ 2.53 crore for the period 2015-16 as part of revival package to Heavy Engineering Corporation Ltd. as book adjustment savings of ₹ 2.53 crore is available in the Capital Section of the Grant and no cash outgo is involved. A technical supplementary is sought.
- (d) Meeting the additional requirement (₹ 53.59 crore) for NEPA Limited as a part of its revival package. Taking into account the savings available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये) (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1521.57		48.43	1570.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		•••	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
·	स्वीकृत:		Voted:	195.36			195.36
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementary)		1716.95		48.43	1765.38
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर	ति दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	1.00	(कa)	•••	1.00
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	76.00	(खb)		76.00
सांख्यिकी							
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	118.36	(गc)		118.36
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	195.36			195.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राजभाषा अर्थात क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के तहत विभिन्न स्कीमों के संबंध में वेतन पर व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.13 करोड़), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (₹ 0.87 करोड़)।
 - उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।
- (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जनसंख्या रिजस्टर के कार्यान्वयन के लिए कार्यालयी व्यय (₹ 75 करोड़) (ii) वाइटल स्टैटिस्टिक सिस्टम्स के स्धार के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1 करोड़)।
 - उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।
- (ग) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत राज्य सरकारों को भुगतान के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹ 218 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में (₹ 99.64 करोड़) और पूंजी भाग में (₹ 14.20 करोड़), उपलब्ध बचतों को देखते हुए जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। उपर्युक्त व्यय में ₹ 104.16 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure on salaries in respect of various schemes under Official Language viz Regional Implementation Office (₹ 0.13 crore), Central Hindi Training Institute (₹ 0.87 crore)
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
- meeting expenditure for (i) Office Expenses for implementation of National Population Register (₹ 75 crore) (ii) Professional Services under Improvement of Vital Statistics Systems (₹ 1 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

meeting expenditure for Grants-in-aid for creation of Capital Assets, for payment to State Governments under National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance (₹ 218 crore). Taking into account the savings available in the same Section (₹ 99.64 crore) and "Capital Section (₹ 14.20 crore) of the Grant, which will be surrendered", supplementary is sought for balance amount. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 104.16 crore.

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये) (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	416.99		416.99
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	100.00		100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	196.28		196.28
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		713.27		713.27
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत वि	देखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	r under the	e following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत:	2013 -Council of Ministers	Voted:		196.28	196.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नितिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) प्रधानमंत्री के वायुयान के रखरखाव के लिए लंबित दावों का निपटान करना (₹ 144.30 करोड़); (ii) केबिनेट मंत्रियों के विदेश यात्रा खर्चों के कारण लंबित बिलों का भुगतान करना (₹ 64 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का गुप्त सेवा व्यय (₹ 1 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 13.02 करोड़ की बचत को देखते हुए इसमें ₹ 196.28 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for (i) clearing pending claims for maintenance of PM's aircraft (₹ 144.30 crore); (ii) clearing pending bills on account of Foreign Travel Expenses of Cabinet Ministers (₹ 64 crore) and (iii) secret service expenditure of National Security Council Secretariat (₹ 1 crore)

Taking into account the savings of $\stackrel{?}{\underset{?}{\sim}}$ 13.02 crore available in the same section of the grant, this will entail cash out go of $\stackrel{?}{\underset{?}{\sim}}$ 196.28 crore.

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	12.28		7.92		20.20
	स्वीकृत:		Voted:	53568.83		9015.49		62584.32
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		100.01		100.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	970.34		0.02		970.36
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		54551.46		9123.44		63674.90
	भारित:		Charged:	12.28		7.92		20.20
	स्वीकृत:		Voted:	54539.18		9115.52		63654.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ड्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया उ	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for und	er the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:	70.36	(कa)	899.98	(खb)	970.34
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4055 - पुलिस पर पूंजी	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
परिव्यय								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	70.37		899.99		970.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) निम्निलिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) वायुयान का ग्राउंड हैंडलिंग प्रभार और बीएसएफ वायु स्कंध द्वारा लंबित बिलों/देनदारियों का निपटान करने के लिए भी (₹ 55.36 करोड़), (ii) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को अनुदान प्रदान करना और एकीकृत चेक पोस्ट बनाने के लिए – पूंजी आस्ति के सृजन हेत् अनुदान (₹ 15.00 करोड़)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) वेतन (₹ 581 करोड़) (ii) राशन की लागत (₹ 760 करोड़) (iii) घरेलू यात्रा खर्च (₹ 185 करोड़) (iv) भूमि पत्तन प्राधिकरण का सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.50 करोड़) (v) भूमि पत्तन प्राधिकरण का सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 628.52 करोड़ बचत को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹ 899.98 करोड़ निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure for (i) ground handling charges of Aircraft and also for clearing pending bills/liabilities by BSF Air Wing (₹ 55.36 crore), (ii) providing Grants to Land Port Authority of India for creating Integrated Check Posts- Grants for creation of capital assets (₹ 15.00 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting expenditure for (i) Salaries (₹ 581 crore) (ii) Cost of Ration (₹ 760 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹ 185 crore) (iv) Grants-in-aid-Salary of Land Port Authority of India (₹ 0.50 crore) (v) Grants-in-aid-General of Land Port Authority of India (₹ 2 crore). Taking into account the savings of ₹ 628.52 crore available in the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 899.98 crore.

- (ग) निम्लिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) कार्यालय भवन (₹ 517.55 करोड़)
 (ii) रिहायशी भवन (₹ 430.42 करोड़) (iii) सीमा चौकी (₹ 36.27 करोड़) (iv)
 भारत –चीन सीमा निर्माण कार्य (₹ 49 करोड़) (v) भारत-पाक सीमा में
 कंटीले तार लगाना (₹ 10 करोड़) और (vi) बीएसएफ वायु स्कंध का मशीनरी
 और उपस्कर (₹ 55.87 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को
 देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) (घ) बीएसएफ द्वारा 3 एमआई 17 वी-5 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए व्यय पूरा करना (₹ 37.74 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- meeting expenditure for (i)Office Building (₹ 517.55 crore), (ii)
 Residential Building (₹ 430.42 crore), (iii) Border Out Posts
 (₹ 36.27 crore), (iv) Indo-China Border Works (₹ 49 crore),
 (v) Barbed wire fencing works in Indo-Pak Border (₹ 10 crore)
 and (vi) Machinery & Equipments of BSF Air Wing
 (₹ 55.87 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure for procurement of 3 Nos MI 17 V-5 Helicopters by BSF (₹ 37.74 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये) (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

	•	,			<u></u>	
					,	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2206.03	358.53	2564.56
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	27.92	•••	27.92
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	44.45		44.45
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2278.44	358.53	2636.97
	भारित:		Charged:	44.48		44.48
	स्वीकृत:		Voted:	2233.96	358.53	2592.49
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	निखित मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant/Appropriati	on will be accoun	ted for under t	the following Major	Heads:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
ग्रानस्त भाग		PEVENI IE SECTION				

		II. This Supplementary Grant/Appropriation v	viii be account	ieu ioi ulluel i	He following ivid	ajui i lead	15.
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	भारित:	2235 - Social Security and Welfare	Charged:		44.45	(कa)	44.45
कल्याण							
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			44.46		44.46
	भारित:		Charged:		44.45		44.45
	स्वीकृत:		Voted:	•••	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- The supplementary grant/appropriation are required for:
- (क) गोवाहाटी उच्च नयायालय के 03 दिसंबर, 2014 के आदेश के अनुपालन में अशोक पेपर मील के कर्मचारियों को देय रु. 44.45 करोड़ तक की देनदारियों का एकबारगी निपटान (रु. 44.45 करोड़)। स्वीकृत अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि घेराबंदी करार 1975 और इसके प्रोटोकाल 2011 का कार्यान्वयन (रु. 50.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (a) One Time Settlement of dues to the tune of ₹ 44.45 crore payable to employees of Ashok Paper Mill in pursuance of Guwahati High Court order Dated 3rd December, 2014 (₹ 44.45 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) implementation of the Land Boundary Agreement 1975 and its protocol 2011 between India and Bangladesh (₹ 50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आवास और शहरी गरीबी उनमूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ # और वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ # देखिये) (See page # of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page # of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व		पूजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	5634.47			5634.47
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		***	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.05			0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5634.56			5634.56
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुग		नंतर्गत दिखार	ग जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for un	der the follo	owing Ma	ijor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2216 - आवास	स्वीकृत:	2216 -Housing	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(घd)		0.01
		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(ङe)		0.01
सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.05			0.05

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम के तहत 'सब्सिडी' का प्रावधान करना (क) (₹ 180.00 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) (ख) संस्थागत विकास समावेशी अभिशासन स्कीम के अंतर्गत सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अध्ययन आदि का आयोजन करने के लिए सामान्य सहायता अन्दान जारी करना (₹ 4.79 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ग) (i) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम के तहत 'सब्सिडी' का प्रावधान (ग) (i) करना (₹ 20.00 करोड़)
 - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्कीम के तहत (ii) शहरी निर्धनों को ब्नियादी सेवाएं स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्ति के मृजन हेत्(₹ 8.00 करोड़) और एकीकृत आवास और स्लम विकास

The supplementary grants are required for:

making provision for subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme (₹ 180.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) release of Grant-in-aid General for conducting conferences, workshops, studies, etc. under the scheme of Institutional Development Inclusive Governance (₹ 4.79 crore).

- making provision for subsidy under the Credit Linked (c) (i) Subsidy Scheme (₹ 20.00 crore).
 - release of Grants for creation of capital assets under the scheme Basic Services to Urban Poor (₹ 8.00 crore) and Integrated Housing and Slum Development Project

परियोजना (₹ 2.00 करोड़) अनुदान जारी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (घ) जापानी एनसेफेलीटिस और एक्युट एनसेफेलीटिस सिंड्रोम स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए। (₹ 15.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ङ) एकीकृत आवास और स्लम विकास परियोजना स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (₹ 2.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (₹ 2.00 crore) under the scheme of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under the scheme Japanese Encephalitis and Acute Encephalitis Syndrome(₹ 15.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

release of Grants for creation of capital assets under the scheme of Integrated Housing and Slum Development Project (₹ 2.00 crore).

स्कुल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये) (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					(,	ntiş viya Kup	ees III Citie)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	69794.50			69794.50
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now					
पूरक अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		69794.53			69794.53
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for unde	er the following	ng Major H	leads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) टीएसजी (एसएसए). ईडीसीआईएल, एनयूईपीए-एनसीएसएल, एनयूईपीए-डीआईएसई जैसे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.42 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) (i) 08 राज्यों को पहली किस्त जारी करने और शेष राज्यों को दूसरी किस्त जारी करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 45.31 करोड़) और (ii) इसी स्कीम अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.12 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-Aid General under the Scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) to make payment to the Central Govt PSUs like TSG(SSA) Ed.CIL, NUEPA-NCSL, NUEPA-DISE (₹ 15.42 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-Aid General under the Scheme of Strengthening of Teacher Training Institutions for release of first installment to 8 States and second installment to the remaining States (₹ 45.31 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the same Scheme i.e. the Scheme of Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 1.12 crore).

उचचतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये) (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड रुपये Rupees in Crore)

					(4) (13 V44 Nupees III CI		
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	26855.26			26855.26
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount no	ow				
पूरक अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		***	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		26855.32			26855.32
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for unde	er the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03			0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्निलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान (₹ 13 करोड़)(ii) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹ 2 करोड़) (iii) उच्चतर शिक्षा में नि:शक्त व्यक्ति को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल ((₹ 3 करोड़)(iv) पुस्तकों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थाएं (₹ 5 करोड़); (2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के लिए पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 230.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (1) निम्निलिखित स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद (₹ 50 करोड़) और (ii) तकनीकी शिक्षा गुणवता सुधार परियोजना (₹ 20 करोड़) (2) निम्निलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय खान स्कूल धनबाद (₹ 20.00 करोड़) (iii) भारतीय प्रबंध संस्थान (₹ 80 करोड़) (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंस्थान संस्थान (₹ 50 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 75.00 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 78 करोड़)

The supplementary grants are required for:

(a) (1)Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following schemes: (i) Grants for Promotion of Indian languages" [₹ 13 Crore] (ii) National University of Education Planning and Administration(NUEPA) [₹ 2 Crore] (iii) National Initiative on inclusion of persons with disability in higher education [₹ 3 Crore] and (iv)National Book Trust/Institutions for Book Promotion [₹ 5 Crore]; (2)Grants for Creation of Capital Assets for the scheme Grants to Central Universities (₹ 230.00 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants-in-aid General for the following schemes: (i)All India Council for Technical Education (₹ 50 Crore) and (ii) Technical Education Quality Improvement Project (₹ 20.00 Crore); (2)Grants for creation of capital assets under the following schemes: (i)Indian School of Mines,Dhanbad(₹ 20 Crore), (ii) Indian Institutes of Management (₹ 80 Crore), (iii) Support to Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research(IISERs) (₹ 50 Crore), (iv) Indian

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 31.58 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 15 करोड़) भारतीय प्रबंध संस्थान (₹ 10 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Institutes of Technology (₹ 75.00 Crore) and (v) National Institutes of Technology (₹ 78 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for creation of Capital Assets under the following schemes: (i) Grants to Central Universities (₹ 31.58 Crore), (ii) National Institutes of Technology (₹ 15 Crore)and (iii) Indian Institutes of Management (₹ 10 Crore)

स्चना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये) (See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Ru		ये Rupee	ipees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	3686.11		25.00		3711.11	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	11116.78		0.01		11116.79	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
पूरक अनुमान:		now required:							
	भारित:		Charged:	73.70				73.70	
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14876.60		25.01		14901.61	
	भारित:		Charged:	73.70				73.70	
	स्वीकृत:		Voted:	14802.90		25.01		14827.91	
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	लिखित म्ख्य १	ीर्ष के अंतर्गत	दिखाया ज	गयेगा:			
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	_				r Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2220 - सूचना और प्रचार	भारित:	2220 - Information and Publicity	Charged:			73.70	(कa)	73.70	
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)			0.01	
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.01		73.70		73.71	
	भारित:		Charged:			73.70		73.70	
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण संगीत और नाटक प्रभाग के वेतन और भत्तों के बकाया भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त ₹ 73.70 करोड़ की अग्रिम की वापसी।
 - इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इतनी ही बचत अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध है।
- (ख) डीएवीपी उप-योजना स्कीम "संचार विकास के माध्यम से जन सशक्तीकरण के लिए "संचार और सूचना प्रसार विकास" के अंतर्गत ₹ 131 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (a) recoupment of an advance of ₹ 73.70 crore obtained from Contingency Fund of India towards payment of arrears of pay and allowances of Song & Drama Division arising out of Supreme Court award.
 - This will not entail cash outgo as equivalent savings are available in the Voted section of the Grant;
 - for meeting the expenditure of ₹ 131 crore under "Development Communication and Information Dissemination" for DAVP's Sub Plan Scheme "People Empowerment through Development Communication".

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

· · ·		•			(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	5522.41		46.30	5568.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		6.00	6.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Ü	Total (Original plus Supplementary)		5522.42		52.30	5574.72
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for unde	er the follow	ing Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न	जोड़ Total
				*** *** ***			•
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		*** *** ***		भिन्न	•
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		*** *** ***		भिन्न	•
• •	स्वीकृत:		Voted:	*** *** ***	(কa)	भिन्न	•
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	Voted:	Plan	(কa)	भिन्न	Total
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	Plan	(কa)	भिन्न	Total
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3601 -Grants-in-aid to State Governments CAPITAL SECTION	Voted:	Plan	(কa) (खb)	भिन्न	Total
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	-	MAJOR HEAD 3601 -Grants-in-aid to State Governments CAPITAL SECTION MAJOR HEAD		Plan 0.01	, ,	श्रिन्न Non-Plan 	Total 0.01
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी	-	MAJOR HEAD 3601 -Grants-in-aid to State Governments CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4250 - Capital Outlay on other Social		Plan 0.01	, ,	श्रिन्न Non-Plan 	Total 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कौशल विकास मिशन के तहत सामान्य घटक (₹ 13.50 करोड़) और टीएसपी (₹ 33.50 करोड़) पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता प्री करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) अवसंरचना सुविधाओं का सुद्दीकरण स्कीम और डीजीएमएस के प्रमुख कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3.00 करोड़) और डीजीएफएएसएलआई संगठन का सुद्दीकरण और फैक्ट्रियों पत्तन गोदी में सुरक्षा और स्वास्थ्य (₹ 3.00 करोड़) निर्माण कार्य के तहत अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुर्क में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional requirement as Grants for creation of Capital Assets for General component (₹ 13.50 crore) and TSP (₹ 33.50 crore) under the scheme of Skill Development Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting the additional expenditure under the schemes of 'Strengthening of Infrastructure facilities and core functions of DGMS (SOCFOD)' [₹ 3.00 core] and 'Strengthening of DGFASLI Organisation and Occupational Safety and Health in Factories Ports and docks' [₹ 3.00 core) for Major Works.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 76.00 4.00 80.00 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 5.00 5.00 जोड़ (मूल और पूरक) 9.00 Total (Original plus Supplementary) 76.00 85.00 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी स्वीकृत: 5.00 5.00 4059 - Capital Outlay on Public Works Voted:

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परिवयय

भारत अंतरराष्ट्रीय प्रजातंत्र और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम जुटाने संबंधी ₹ 5.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

यह देखने के बाद कि अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 3.71 करोड़ की बचत अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक में ₹ 1.29 करोड़ नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 5.00 crore on mobilisation advance to Central Public Works Department towards construction of India International Institute of Democracy and Election Management Campus.

After taking into account the savings of $\ref{3.71}$ crore in the Revenue Section of the Grant, this supplementary will entail a cash outgo of $\ref{1.29}$ crore.

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Revenue Total ।.विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित: 155.00 155.00 Charged: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: भारित: Charged: 13.52 13.52 जोड़ (मूल और पूरक) 168.52 Total (Original plus Supplementary) 168.52 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2014 - न्याय प्रशासन भारित: 2014 - Administration of Justice 13.52 13.52 Charged:

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

व्यावसायिक सेवाओं तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के इतिहास का पता लगाने की परियोजना का विशेष संदर्भ देते हुए वेतन शीर्ष एवं गैर वेतन शीर्ष के

अंतर्गत खर्चों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 13.52 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure on account of expenses under salary head and Non-salary head with particular reference to reimbursement to Delhi Police for Professional Services and a project namely Tracing History of Supreme Court and High Courts.(₹ 13.52 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

सूक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये) (See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2997.12		10.30		3007.42
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2997.16		10.30		3007.46
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	नुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for und	er the follow	wing Majoı	r Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) निम्न की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 297.45 करोड़) पूरी करने के लिए (i) अधिक जागरूकता कार्यक्रम/सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करने के लिए "सब्सिडियां" वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत तकनीकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवता (₹ 232.00 करोड़); (ii) सीजीईएमएसई कोष में बढ़ोतरी के लिए "अंशदान" वस्तुशीर्ष के तहत "ऋण सहायता स्कीम" (₹ 50.00 करोड़); (iii) वस्तु शीर्ष "पूंजी आस्तियों के सृजन अनुदान" के अन्तर्गत अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण,(₹ 15.00 करोड़); (iv) "सामान्य अनुदान सहायता" वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत "इंडिया इंक्लुसिव इनोवेशन फंड" (₹ 0.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) "सामान्य सहायता अनुदान" वस्तु शीर्ष के तहत "खादी अनुदान" हेतु अतिरिक्त राशि पूरी करना (₹ 11.98 करोड़)। यह लेखापरीक्षा की आपित के अनुपालन में है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) meeting the additional requirement (₹ 297.45 crore) in respect of
 (i) Quality of Technology Support Institutions & Programme under the object head "Subsidies" for conducting more awareness programme/seminars and workshop (₹ 232.00 crore);
 (ii) "Credit Support Programme" under the object head "Contribution" for enhancing the corpus of CGEMSE (₹ 50.00 crore);
 (iii) "Infrastructure Development and Capacity Building" under the object head "Grants for Creation of Capital Assets"
 (₹ 15.00 crore);
 (iv) "India Inclusive Innovation Fund" under the object head "Grants-in-Aid General"
 (₹ 0.45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting for additional amount for "Khadi Grant" (₹ 11.98 crore) is required in the object head "Grants-in-aid General". This is in compliance of Audit objection. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये) (See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Vo	ted:	3618.11	120.00	3738.11
पूरक अनुदान:	-	SUPPLEMENTARY GRANT:				
,	स्वीकृत:	Voi	ted:	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
-	स्वीकृत:	Voi	ted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementary)		3618.14	120.00	3738.14
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	ांतर्गत	ा दिखाया जायेग	π:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder t	the following !	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes, Voi	ted:	0.01	•••	0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गी और	-	Scheduled Tribes, Other Backward Classes				
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		and Minorities				
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेष्टि	तेत है:	The supplementary grant is	s requ	uired for:		
'नई मंजिल' नामक नई स्कीम (₹ 0.01 क	रोड़)।	new Scheme named 'New	Manj	il' (₹ 0.01 croı	re)	
अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों क	ो देखते हुए सां	केतिक पूरक मांगा जाता है। Taking into account the s	aving	gs available i	n the same sec	ction of the

Grant, a token supplementary is sought.

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये) (See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2708.21		95.00	2803.21
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	500.00		0.01	500.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now					
पूरक अनुमान:		required:					
3	स्वीकृत:		Voted:	1000.01			1000.01
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)		4208.22		95.01	4303.23
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शिर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जार	वेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounte				eads:	
		.,		आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3451 - सचिवालय- आर्थिक	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	0.01	(कa)		0.01
सेवाएं	· ·						
2810 - नवीन तथा	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted:	1000.00	(खb)		1000.00
नवीकरणीय ऊर्जा	C						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1000.01			1000.01
•							
			ों में नीचे दर्शाई	गयी वसुलियों क	ो शामिल नर्ह	ों किया गया है जिन्हें व	यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !		~			
		Note: The above estimates of additional requirement	ts do not take	into account	the recover	ries shown below, w	hich are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
2810 - नवीन तथा		2810 - New and Renewable Energy		(-) 1000.00			(-) 1000.00
नवीकरणीय ऊर्जा							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) धरेलू यात्रा खर्चों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों हेत् (₹ 0.03 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ख) (i) 'ग्रीड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिनुवेबल पावर' स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 400.00 करोड़)।
 - (ii) 'ग्रीड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिनुवेबल पावर' स्कीम के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी कोरीडोर के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 200.00 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) providing additional funds to Regional Offices for Domestic Travel Expenses (₹ 0.03 crore);

- (i) releasing 'Grants-in-aid General' for Solar Power under the scheme 'Grid Interactive and Distributed Renewable Power' (₹ 400.00 crore);
 - (ii) releasing 'Grants-in-aid General' for Green Energy Corridors under the scheme 'Grid Interactive and Distributed Renewable Power'(₹ 200.00 crore);

- (iii) 'ऑफ ग्रीड/ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंटरलाइडज्ड रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत' के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 153.37 करोड़)।
- (iv) 'ऑफ ग्रीड/ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंटरलाइडज्ड रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत' के लिए सब्सिडी जारी करना (₹ 246.63 करोड़)।
 - चूंकि यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा जाता है।
- (iii) releasing 'Grants-in-aid General' for Solar Power under the scheme 'Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power' (₹ 153.37 crore);
- (iv) releasing Subsidy for Solar Power under the scheme 'Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power (₹ 246.63 crore);

As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a Technical Supplementary is sought.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	7.62		2.50		10.12
	स्वीकृत:		Voted:	1023.03		120.75		1143.78
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	7.61				7.61
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1038.26		123.25		1161.51
	भारित:		Charged:	7.62		2.50		10.12
	स्वीकृत:		Voted:	1030.64		120.75		1151.39
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	नुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for und	er the follow	wing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2052 - सचिवालय-सामान्य	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:	0.01	(कa)	1.63	(खb)	1.64
सेवाएं								
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत:	2014 -Administration of Justice	Voted:			1.90	(गc)	1.90
2051 - लोक सेवा आयोग	स्वीकृत:	2051 -Public Service Commission	Voted:			0.23	(घd)	0.23
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:			1.96	(ङ e)	1.96
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:			1.88	(चf)	1.88
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		7.60		7.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार के लिए सहायता अनुदान (₹ 0.59 करोड़) (ii) ईएपी-यूएनडीपी- सरकारी प्रशासन और शासन का सुदृढ़ीकरण (₹ 0.56 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।
- (ख) (ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (₹ 1.21 करोइ) और (ii) लोकशिकायतों हेतु प्रशासनिक सुधार (₹ 0.42 करोइ)।
 - अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नही होगा।
- (ग) कंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए व्यय पूरा करना (₹ 1.90 करोड़)
 - अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for (i) Grants in aid towards "Propagation of RTI ACT" (₹ 0.59 crore) & (ii) EAP-"UNDP Strengthening of Public Administration & Governance"(₹ 0.56 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure for (i)Department of Personnel & Training (₹ 1.21 crore) and (ii) Administrative Reforms of Public Grievances (₹ 0.42 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) meeting expenditure for Central Administrative Tribunal (₹ 1.90 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (घ) कर्मचारी चयन आयोग की मजदूरी के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.23 करोड़)
 - अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्य्क्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों का व्यय पूरा करना (₹ 1.96 करोड़)।
 अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए,
 उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) निम्निलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय सूचना आयोग (f)
 (₹ 1.53 करोड़) और (ii) सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (₹ 0.35 करोड़)।
 - अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (d) meeting expenditure for wages of Staff Selection Commission ($\stackrel{?}{\scriptstyle{\sim}}$ 0.23 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (e) meeting expenditure of CBI(₹ 1.96 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - meeting expenditure for (i) Central Information Commission (₹ 1.53 crore) & (ii) Public Enterprise Selection Board (₹ 0.35 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Charged section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:	1846.85	364.78	2211.63
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRA	4 <i>NT:</i>				
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate	of the amount now				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	•••	34.00	34.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplem	entary)		1846.86	398.78	2245.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिस	ाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्ग	न दिखाया जायेग	π:	
		II. This Supplementary G	rant will be account	ed for under	the following I	Major Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ	स्वीकृत:	5475 - Capital Outlay on	Other General	Voted:	34.00		34.00
पर पूंजी परिव्यय		Economic Services					
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षि	तेत है:		The supplementa	ry grant is re	quired for:		
, ,		- 10	and the second state of				
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआ			meeting addition	•		-	
करने संबंधी अनुबंधात्मक प्रतिबद्ध व्य	ाय क ।लए	आतारक खच पूरा करना	expenditure on				of Unique
(₹ 34.00 करोड़)			Identification Auth	nority of India	(UIDAI)(₹ 34.	00 crore)	

cash outgo.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue

Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय से

कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

विध्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

	,					(करोड़ रुपये Rupees in Crore		
				राजस्व		पूंजी	जोड़	
				Revenue		Capital	Total	
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	6319.53		1952.30	8271.83	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2000.00			2000.00	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	400.01		320.22	720.23	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8719.54		2272.52	10992.06	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	य शीर्षों के अंतर	ति दिखाया जा	येगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accour	ited for under		g Major H	leads:		
				आयोजना		आयोजना-	जोड़	
				Plan		भिन्न Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non Flan		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	⊤नीकः चः	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ट ०)		0.01	
•	स्वीकृत:				(कa)			
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:	400.00	(खb)		400.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	400.01			400.01	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए	स्वीकृत:	6552 - Loans for North Eastern Areas	Voted:	69.57	(गc)		69.57	
ऋण								
6801 - वियुत परियोजनाओं	स्वीकृत:	6801 - Loans for Power Projects	Voted:	250.65	(घd)		250.65	
के लिए ऋण								
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	320.22			320.22	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	720.23			720.23	
			गानों में नीचे दर्शाई	गयी वसूलियों व	nो शामिल न	हीं किया गया है जिन्हें व	यय में से	
		घटाकर समायोजित किया जाता है !		•				
		Note: The above estimates of additional requirem	ents do not tak	e into account	the recove	eries shown below, w	hich are	
		adjusted in reduction of expenditure.						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राजस्व भाग

2801 - विद्युत

क) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 58.59 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

REVENUE SECTION

2801 - Power

The supplementary grants are required for:

(-) 200.00

 meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" (₹ 58.59 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(-) 200.00

(b)

(d)

- (ख) (i) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के लिए कार्यान्वयन स्कीम हेतु बिजली क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियों को अंतरण पीएसडीएफ से किया जाएगा (₹ 200.00 करोड़)।
 - (ii) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्कीम का कार्यान्वयन पीएसडीएफ से किया जाएगा (₹ 200.00 करोड़)।
 - (iii) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटिरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 75.32 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में ₹ 75.32 करोड़ की बचतों और ₹ 200.00 करोड़ की अतिरिक्त वसूली और प्राप्तियों के मद्देनजर, उपरोक्त वयय में ₹ 200.00 करोड़ नकद देने होंगा

(ग) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटिरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 117.17 करोड़)

> अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 41.05 करोड़ की बचत के मद्देनजर, इसे अभ्यर्पित किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग से ₹ 47.60 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद, शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है।उपर्युक्त व्यय में ₹ 28.52 करोड़ नकद देने होंगे।

- (घ) (i) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटिरेंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 150.65 करोड़);
 - (ii) (ii) राष्ट्रीय जल विद्युत कार्पोरेशन के तहत किशनगंगा एचईपी और चुटक परियोजनाओं के संबंध में निधियों की जरूरत को कई बार में पूरा करना (₹ 100.00 करोड़);

अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 200.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में ₹ 50.65 करोड़ नकद देने होंगे।

- (i) transfer of fund to the Power Sector Development Fund (PSDF) for implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity to be met from PSDF (₹ 200.00 crore);
- (ii) implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity to be met from PSDF (₹ 200.00 crore);
- (iii) meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹ 75.32 crore);

Taking into account the savings of ₹ 75.32 crore available within the same section of the Grant, additional recovery and receipts of ₹ 200.00 crore, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 200.00 crore.

c) meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹ 117.17 crore);

Taking into account, savings of ₹ 41.05 crore available in the Revenue Section of the Grant will be surrendered and after utilizing the savings of ₹ 47.60 crore within the same section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 28.52 crore.

- (i) meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network, metering and achieving the goal of "Power for all" under 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS) (₹ 150.65 crore);
 - (ii) meeting the additional requirement of funds in part in respect of the Kishanganga HEP and Chutak projects under Nantional Hydro Power Corporation (₹ 100.00 crore);

Taking into account the surrender of savings of ₹ 200.00 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 50.65 crore.

संख्या NO. 78 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Capital Revenue Total ।.विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित: 46.00 46.00 Charged: इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: भारित: Charged: 3.38 3.38 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 49.38 49.38 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ भारित: 2012 - President, Vice President/Governor, 3.38 3.38 Charged: राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक Administrator of Union Territories

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए जैसे:- (i) वेतन, (ii) अन्य प्रशासनिक खर्च,(iii) घरेलू वेतन, (iv) समयोपिर भता,(v) चिकित्सा उपचार, (vi) कार्यालय खर्च, (vii) समारोहों के खर्च, (viii) मोटर कार आदि खरीदने के लिए (ix) आई.टी. कार्यक्रम, (x) डीए, एलटीसी, (₹ 3.38 करोड़) इसमें से ₹ 1.50 करोड़ भारत के आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया, जो पूरक अनुदान पास होने पर भारत के आकस्मिकता निधि में शामिल किया जाएगा।

उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

Meeting additional expenditure viz (i) Salaries, (ii) Other Admn. Expenses, (iii) Household Salaries, (iv) OTA,(v) Medical Treatment, (vi) Office Expenses, (vii) Expenses on functions, (viii) For purchase of Motor cars etc. (ix) I.T Programme, (x) DA, LTCs, (₹ 3.38 crore) Out of which ₹ 1.50 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the Contingency Fund of India after the supplementary grant is passed.

The above expenditure will entail a cash outgo.

लोक लभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ # देखिये)

(See page # of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				map the map co	,
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:		Charged:	0.87		0.87
स्वीकृत:		Voted:	598.73		598.73
	Supplementary Estimate of the amount now	ı			
	required:				
भारित:		Charged:	0.21		0.21
	Total (Original plus Supplementary)		599.81		599.81
भारित:		Charged:	1.08		1.08
स्वीकृत:		Voted:	598.73		598.73
ŭ	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्र	ज्य शीर्ष के अंतर्गत इय शीर्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेग	Т:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				d:
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
	REVENUE SECTION				
	MAJOR HEAD				
भारित:	2011 - Parliament/State/Union Territory	Charged:		0.21	0.21
	Legislatures				
	स्वीकृतः <i>भारितः</i> भारितः स्वीकृतः	भारितः स्वीकृतः Supplementary Estimate of the amount now required: भारितः Total (Original plus Supplementary) भारितः स्वीकृतः II. इस प्रक विनियोग का हिसाब निम्नतिखित मुख् II. This Supplementary Appropriation will be	भारितः Charged: स्वीकृतः Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: भारितः Charged: Total (Original plus Supplementary) भारितः Charged: स्वीकृतः Voted: ॥. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गतः ॥. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गतः ॥. This Supplementary Appropriation will be accounted for REVENUE SECTION MAJOR HEAD भारितः 2011 - Parliament/State/Union Territory Charged:	र्मारित: आरित: आरित: अगरित: अगरित: Supplementary Estimate of the amount now required: आरित: अगरित: पotal (Original plus Supplementary) अगरित: पिकायुव: पिका	राजस्व पूंजी Revenue Capital I. ORIGINAL GRANT: भारित: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: भारित: Total (Original plus Supplementary) भारित: स्वीकृत: Union (Original plus Supplementary) भारित: Union (Original plus Supplementary) (Original plus Supplementary (Original plus Supplementary

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के घरेलू यात्रा व्ययों (₹ 0.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत्।

अनुदान के स्वीकृत खण्ड में अभ्यर्पित की हुई बचतों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। meeting additional expenditure on account of Domestic Travel Expenses of Speaker and Deputy Speaker(₹ 0.21 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
		, opionia, opiait		Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:	0	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:			10.50	10.50
	स्वीकृत:		Voted:	16560.00		62508.24	79068.24
पूरक अनुदान:	•	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	70.01		0.01	70.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount					
का पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		5528.56	5528.57
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		16630.02		68047.31	84677.33
	भारित:		Charged:			10.50	10.50
	स्वीकृत:		Voted:	16630.02		68036.81	84666.83
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	व्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for under	the following	Major He	ads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(कa)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5054 - सड़क और पुलों पर	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	5528.56	(खb)		5528.56
पूंजी परिव्यय		Bridges					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	5528.57			5528.57
			मानों में नीचे दर्शाई	गयी वसूलियों को	शामिल नहीं	i किया गया है जिन्हें व	यय में से घटाकर
		Note: The above estimates of additional requiren	nents do not tak	e into account t	ne recoveri	es shown below w	hich are
		adjusted in reduction of expenditure.	nome de not tall	o into account to			
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
् 5054 - सड़क और पुलों पर		5054 - Capital Outlay on Roads and		(-) 5528.56			(-) 5528.56
पूंजी परिव्यय		Bridges		(, ====:00			() ====
",		3					

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "अनुसंधान और विकास" के तहत अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) (i) केन्द्रीय सड़क निधि को पेट्रोल व डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त सड़क उपकर का अंतरण (₹ 5528.56 करोड़)।

केन्द्रीय सड़क निधि से अतिरिक्त वस्तियों के मद्देनजर, इस प्रक अनुदान में नकद नहीं देना होगा। The supplementary grants are required for:

(a) other administrative expenses under "Research and Development" (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) transfer of additional road cess levied on petrol and diesel to Central Road Fund(₹ 5528.56 crore).

Taking into account the additional recoveries from Central Road Fund, this supplementary grant will not entail cash outgo.

- (ii) विजयवाड़ा के रांची सड़क में वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान स्वीकृत दो नए निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 150.00 करोड़)।
- (iii) वामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत स्वीकृत नए निर्माण कार्य(₹ 120.00 करोड़)।
- (iv) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम (₹ 180.00 करोड़।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, इस पूरक अनुदान में नकद नहीं देना होगा।

- (ii) release of additional funds for two new works sanctioned during the current financial year in Vijaywada - Ranchi Road. (₹ 150.00 crore).
- (iii) new works sanctioned under Tribal Area Sub Plan in LeftWing Extremism affected areas (₹ 120.00 crore).
- (iv) Externally Aided Schemes (₹ 180.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये) (See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Ri	upees in Crore)
			राजस्व		पूंजी	जोड़
			Revenue		Capital	Total
	I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत:		Voted:	114047.58			114047.58
	SUPPLEMENTARY GRANT:					
स्वीकृत:		Voted:	1000.01			1000.01
	Supplementary Estimate of the amount					
	now required:					
स्वीकृत:		Voted:	11974.41			11974.41
	Total (Original plus Supplementary)		127022.00		•••	127022.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	ख़्य शीर्षों के उ	अंतर्गत दिखाया र	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for ur	nder the follow	ing Major	Heads:	
			आयोजना		आयोजना-	जोड़
			Plan		भिन्न	Total
					Non-Plan	
•						
_		Voted:		(कa)	***	300.00
•	3054 -Roads and Bridges	Voted:		(खb)		1104.22
स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	10564.19	(गc)		10564.19
	Governments					
स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	6.00	(घd)		6.00
	Governments					
स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	11974.41			11974.41
		न्मानों में नीचे	दर्शाई गयी वस्लियं	ों को शामिल	नहीं किया गया है जि	न्हें व्यय में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !					
	Note: The above estimates of additional requir	ements do no	t take into accou	nt the recov	veries shown belo	w, which are
	adjusted in reduction of expenditure.					
	REVENUE SECTION					
	3054 - Roads and Bridges		(-) 1104.22		•••	(-) 1104.22
	3601 - Grants-in-aid to State		(-) 7864.19			(-) 7864.19
	Governments					
	3602 - Grants-in-aid to Union Territory		(-) 6.00			(-) 6.00
	Governments					
	Total		(-) 8974.41			(-) 8974.41
	स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः	स्वीकृतः Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः Total (Original plus Supplementary) ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म् ॥. This Supplementary Grant will be according to the supplementary according to the supplementary according to the supplementary Governments स्वीकृतः 3601 - Grants-in-aid to Union Territory Governments स्वीकृतः Total (Supplementary) Eच्चणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपर दिए गए अध्याजक समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional require adjusted in reduction of expenditure. REVENUE SECTION 3054 - Roads and Bridges 3601 - Grants-in-aid to State Governments 3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	स्वीकृतः SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृतः Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः Voted: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नितिखित मुख्य शीर्षों के उ III. This Supplementary Grant will be accounted for un REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृतः 2552 - North Eastern Areas Voted: स्वीकृतः 3054 - Roads and Bridges Voted: Governments स्वीकृतः 3601 - Grants-in-aid to State Voted: Governments स्वीकृतः 3602 - Grants-in-aid to Union Territory Voted: Governments स्वीकृतः Total (Supplementary) Voted: िटप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do no adjusted in reduction of expenditure. REVENUE SECTION 3054 - Roads and Bridges 3601 - Grants-in-aid to State Governments 3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	Revenue I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 114047.58 SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 1000.01 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 11974.41 Total (Original plus Supplementary) 127022.00 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नितिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया उ III. This Supplementary Grant will be accounted for under the follow आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 300.00 स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges Voted: 1104.22 स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Voted: 10564.19 Governments स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Voted: 6.00 Governments स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 11974.41 Revult: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तियं घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account adjusted in reduction of expenditure. REVENUE SECTION 3054 - Roads and Bridges (-) 1104.22 3601 - Grants-in-aid to State (-) 7864.19 Governments 3602 - Grants-in-aid to State (-) 7864.19 Governments 3602 - Grants-in-aid to Union Territory (-) 6.00 Governments	Revenue 1. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 114047.58 SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 1000.01 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 11974.41 Total (Original plus Supplementary) 1. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 300.00 (क्व) स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges Voted: 1104.22 (खb) दिखोकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Voted: 10564.19 (गc) Governments स्वीकृत: 7otal (Supplementary) Revenue: अनुमानों में नीये दर्शाई गयी वस्लियों को शामिल घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoval adjusted in reduction of expenditure. REVENUE SECTION 3054 - Roads and Bridges (-) 1104.22 3601 - Grants-in-aid to State (-) 7864.19 Governments 3602 - Grants-in-aid to State (-) 7864.19 Governments 3602 - Grants-in-aid to Union Territory (-) 6.00 Governments 3602 - Grants-in-aid to Union Territory (-) 6.00 Governments	Tisted Revenueपूंजी Revenueपूंजी CapitalI. ORIGINAL GRANT:SUPPLEMENTARY GRANT:Voted: 114047.58Supplementary Estimate of the amount now required:Fallagar:Voted: 11974.41Total (Original plus Supplementary)127022.00II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: अध्येजना PlanIII. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: अध्येजना PlanREVENUE SECTION MAJOR HEADREVENUE SECTION MAJOR HEADस्वीकृत: 2552 -North Eastern AreasVoted: 300.00 (क्)स्वीकृत: 3054 -Roads and BridgesVoted: 1104.22 (खb)Governmentsस्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to StateVoted: 10564.19 (गc)Governmentsस्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory GovernmentsVoted: 11974.41Ectupit: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ज्ञपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूर्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिप्रात्त समायोजित किया जाता है Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown beloadjusted in reduction of expenditure.REVENUE SECTION3054 - Roads and Bridges 3601 - Grants-in-aid to Union Territory

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वीत्तर क्षेत्रों में अतिरिक्त जरूरत
 पूरी करना (रु. 300 करोड़)। इससे 300 करोड़ रुपए का नकद खर्च होगा।
- (ख) सीआरएफ को डीजल उपकर को अधिक संग्रहण के कारण राशि का अंतरण (रु. 1104.22 करोड़)। सीआरएफ से समान वस्लियों के मद्देनजर, उपरोक्त खर्च में कुछ भी अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement in North Eastern Areas under the scheme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna of ₹ 300 crore. This will entail a cash outgo of ₹ 300 crore.
- (b) transferring an amount of ₹ 1104.22 crore on account of higher collection of diesel cess to CRF. Taking into account the matching recoveries from CRF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (ग) डीजल उपकर के अधिक संग्रहण के कारण सीआरएफ को रु. 7864.19 करोड़ की राशि का अंतरण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर रु. 3775.71 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पूरा करना। केंद्रीय सड़क निधि से रु. 7864.19 करोड़ की अतिरिक्त वसूली और अनुदान के इसी भाग में रु. 1075.71 करोड़ उपलब्ध होने की वजह से जिसका पुनर्विनियोजन किया जाएगा, के मद्देनजर इसमें रु. 2700 करोड़ नकद देना होगा।
- (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों की रु. 6.00 करोड़ अतिरिक्त जरूरत पूरी करना। सीआरएफ से अतिरिक्त वसूली के मद्देनजर, इसमें कुछ नकद नहीं देना होगा।
- (c) transferring an amount of ₹ 7864.19 crore to CRF on account of higher collection of diesel cess and meeting additional expenditure of ₹ 3775.71 crore on the scheme PMGSY. Taking into account additional recovery of ₹ 7864.19 crore from Central Road Fund and being of ₹ 1075.71 crore available in the same section of the Grant which will be re-appropriated. This will entail cash outgo of ₹ 2700 crore.
- (d) meeting additional requirement for UTs under PMGSY for ₹ 6.00 crore. Taking into account the additional recovery from CRF, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 86 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.02		***		0.02
	स्वीकृत:		Voted:	3843.98		17.82		3861.80
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	t					
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3844.02		17.82		3861.84
	भारित:		Charged:	0.02				0.02
	स्वीकृत:		Voted:	3844.00		17.82		3861.82
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for und	er the follow	ving Majo	or Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3425 - अन्य वैज्ञानिक	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
अनुसंधान								

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अतिरिक्त (i) सहबन्ध और अनुसंधान एवं विकास मिशन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (प्रेरणा पंचाट) (₹ 27.50 करोड़), सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एस एंड टी कार्यक्रम(एस एंड टी उयमिता विकास) (₹ 13 करोड़), राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम(₹ 7 करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास सहायता के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 45 करोड़), सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एसएंडटी कार्यक्रम (एसएंडटी उद्यमिता विकास) (₹ 7 करोड़) और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹ 3 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 20 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

(a) providing additional (i) Grants-in-aid General for Alliance & R&D Mission (Inspire Awards) (₹ 27.50 crore), S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development) (₹ 13 crore), and State Science & Technology Programme (₹ 7 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets for Research & Development Support (₹ 45 crore), S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development) (₹ 7 crore) and State Science & Technology Programme (₹ 3 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) for providing additional Grants-in-aid General (₹ 20 crore) for Technology Development Board

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				(4) KIŞ KIYY KUPE	es III Civie)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:		Voted:	1625.14		1625.14
	Supplementary Estimate of the amount now	1			
	required:				
स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
	Total (Original plus Supplementary)		1625.15		1625.15
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	ग शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः		
	II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for under t	he following M	ajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
	REVENUE SECTION				
	MAJOR HEAD				
स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	•••	0.01
	स्वीकृत:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	स्वीकृत: Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: Total (Original plus Supplementary) ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ॥. This Supplementary Grant will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD	Revenue I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 0.01 Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Manager of the supplementary of the supplem	राजस्व पूंजी Revenue Capital I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 1625.14 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 0.01 Total (Original plus Supplementary) 1625.15 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना Plan भिन्न Non-Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i)स्वायतशासी अनुसंधान और विकास संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)पूंजी आस्ति सृजन के लिए अनुदान (₹ 45.17 करोड़) सहायता अनुदान वेतन (₹ 15 करोड़)(ii)मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)(iii) अनुसंधान और विकास के लिए सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30 करोड़)(iv)उत्कृष्ठता और नवोन्मेष हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़)(v)जैव-प्रौद्योगिकी सृविधाओं के लिए हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of (i) Grants-in-aid General (₹ 10 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 45.17 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 15 crore) to Autonomous R& D Institutions; (ii) Grants-in-aid General (₹ 20 crore) towards Human Resource Development; (iii) Grants-in-aid General (₹ 30 crore) towards Assistance for Research & Development; (iv) Grants-in-aid General (₹ 5 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) towards Centre for Excellence and Innovation and (v) Grants-in-aid General (₹ 5 crore) for Biotech facilities.

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये Rupees in		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1393.71		386.08		1779.79
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			3.01		3.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	40.25		0.02		40.27
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1433.96		389.11		1823.07
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के :	अंतर्गत दिखा	या जायेगा	Γ:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for ui	nder the foll	lowing M	lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			40.23	(खb)	40.23
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत:	3051 -Ports and Light Houses	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		40.24		40.25
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and Light	Voted:	0.01	(घd)			0.01
पूंजी परिव्यय		Houses						
7051 - बंदरगाह और प्रकाशगृहों के	स्वीकृत:	7051 - Loans for Ports and Light	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
लिए ऋण	-	Houses						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02		•••		0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		40.24		40.27
	·							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थता के लिए विधिक फर्म को शेष का भुगतान (वस्तु शीर्ष 28 - ₹ 6.53 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लि. के कर्मचारियों को संविधिक देनदारियों का भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.45 करोड़)।
 - (ii) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लि. के कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 70.26 करोड़)।

अन्दान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर और

The supplementary grants are required for:

(a) balance payment to law firm for International Arbitration (Object Head 28 - ₹ 6.53 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grant-in-aid General for payment of statutory dues to the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Ltd. (₹ 12.45 crore).
 - (ii) Grant-in-aid General for implementation of improved Voluntary Retirement Scheme for the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Ltd. (₹ 70.26 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the

अनुदान के उसी भाग में बचतों के उपयोग करने के बाद तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) सागरमाला परियोजना की अतिरिक्त मांग पूरी करना (वस्तु शीर्ष 13 ₹ 0.20 करोइ, वस्तु शीर्ष 14 ₹ 0.60 करोइ, वस्तु शीर्ष 20 ₹ 0.25 करोइ, वस्तु शीर्ष 28 ₹ 48.00 करोइ, वस्तु शीर्ष 50- ₹ 0.25 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में अवतरण सुविधा और घाटों के प्रमुख निर्माण कार्यों हेतु (₹ 22.48 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट को जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के शेष जारी करना (₹ 5.87 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, a technical supplementary is sought which will not entail any additional cash outgo.

c) meeting the additional requirement for Sagarmala Project (Object Head 13 - ₹ 0.20 crore, Object Head 14 - ₹ 0.60 crore, Object Head 20 - ₹ 0.25 crore, Object Head 28 - ₹ 48.00 crore, Object Head 50-₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) major works of construction of landing facilities and jetties in Andaman Lakshadweep Harbour Works (₹ 22.48 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) release of balance Japan International Cooperation $\text{Agency(JICA) loan to Visakhapatnam Port Trust } (\ref{total.eq} 5.87 \text{ crore}).$

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये) (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(ক	रोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	6062.58		462.24	6524.82
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	-	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
S	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		6062.61		462.24	6524.85
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य :	शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted				or Head:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(क a)		0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward Classes					
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		and Minorities					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृति (₹ 10.00 करोड़) तथा (ii) अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा के लिए निधियां जारी करना (₹ 10.00 करोड़);

अनुदान के इसी खण्ड में उपबल्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। The supplementary grant is required for:

(a) releasing funds for (i) National Overseas Scholarship for Scheduled Castes (₹ 10.00 crore) and (ii) Top Class Education for Scheduled Castes (₹ 10.00 crore);

निःशक्त मामले विभाग

DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(व	रोड़ रुपये Rupee	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	601.94		35.00	636.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		601.95		35.00	636.95
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्ष के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following	ng Major	Head:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कa)		0.01
कल्याण							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) राष्ट्रीय पुर्नवास विज्ञान और अशक्त अध्ययन विश्व-विद्यालय में राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण (एचआईएसएच) संस्थान के उन्नयन के लिए 'सामान्य सहायता-अनुदान' जारी करना (₹ 1.00 करोड़);

> अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

releasing 'Grants-in-aid General' for up-gradation of National Institute of Speech and Hearing (HISH) into National University of Rehabilitation Science and Disability Studies (₹ 1.00 crore);

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.60		0.40		1.00
	स्वीकृत:		Voted:	3922.69		3464.50		7387.19
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	t					
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3923.31		3464.92		7388.23
	भारित:		Charged:	0.60		0.40		1.00
	स्वीकृत:		Voted:	3922.71		3464.52		7387.23
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for und	er the follov	ving Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत:	3402 -Space Research	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5252 - उपग्रह प्रणाली पर पूंजी	स्वीकृत:	5252 - Capital Outlay on Satellite	Voted:	0.01	(गc)			0.01
परिव्यय		System						
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर	स्वीकृत:	5402 - Capital Outlay on Space	Voted:	0.01	(घd)			0.01
पूंजी परिव्यय		Research						
	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02				0.02
जोड़ (पूंजी भाग)	(417/11.							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) सामान्य सहायता अनुदान के लिए सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के अंतर्गतअतिरिक्त व्यय पूरा करना (रु. 42.47 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (ख) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के लिए (रु. 3.26 करोड़) और फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए (रु. 3.85 करोड़) हेतु सहायता अनुदान वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) इनसैट-4 उपग्रह (रु. 3.93 करोड़), जीसैट-16 उपग्रह (रु. 4.12 करोड़) और जीसैट-19 उपग्रह (रु.2.39 करोड़) के तहत मशीनरी और उपस्कर का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

- meeting additional expenditure under Semi-conductor Laboratory towards Grants-in-aid General (₹ 42.47 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure of Grants-in-aid Salaries for Semi-conductor Laboratory (₹ 3.26 crore) and Physical Research Laboratory (₹ 3.85 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure of Machinery and Equipment Under INSAT-4 Satellites (₹ 3.93 crore), GSAT-16 Satellites (₹ 4.12 crore) and GSAT-19 Satellites (₹ 2.39 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) विक्रम साराभाई (ঘ) अंतरिक्ष केंद्र को मशीनरी और उपस्कर हेत् (रु. 42.20 करोड़) और म्ख्य निर्माण कार्य (रु. 15 करोड़); (ii) मृख्य निर्माण कार्य हेत् पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल को (रु. 3.28 करोड़); (iii) म्ख्य निर्माण कार्य हेत् इसरो सैटेलाइट केंद्र को (रु 20 करोड़); (iv) मुख्य निर्माण कार्य के लिए इलेक्ट्रोऑप्टिक लेबोरेटरी (रु. 2.45 करोड़); (v) मशीनरी और उपस्कर के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को (रु. 18.05 करोड़); (vi) मुख्य निर्माण कार्य के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास को (रु. 15.54 करोड़); (vii) म्ख्य निर्माण कार्य के लिए इसरो प्रोपल्सन कम्प्लेक्स को (रु. 14.70 करोड़); (viii) अंतरिक्ष अन्प्रयोग केंद्र हेत् मशीनरी और उपस्कर (रु. 37.29 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (रु. 1 करोड़); (ix) विकास और शिक्षा संचार यूनिट हेत् मशीनरी उपस्कर (रु. 0.45 करोड़); (x) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य (रु. 6.02 करोड़); (xi) आपदा प्रबंधन सहायता हेत् मशीनरी और उपस्कर (रु. 9.43 करोड़) और (xii) चंद्रयान-1 और 2 हेत् मशीनरी और उपस्कर (रु. 7.30 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) meeting additional expenditure of (i) Vikram Sarabhai Space Centre towards Machinery and Equipment (₹ 42.20 crore) and Major Works (₹ 15 crore); (ii) Polar Satellite Launch Vehicle-Continuation(PSLV-C) towards Major Works (₹ 3.28 crore); (iii) ISRO Satellite Centre towards Major Works (₹ 20 crore); (iv) Laboratory for Electro Optics System towards Major Works (₹ 2.45 crore); (v) Satish Dhawan Space Centre towards Machinery and Equipment (₹ 18.05 crore) (vi) Semi Cryogenic Engine Development towards Major Works (₹ 15.54 crore); (vii) ISRO Propulsion Complex towards Major Works (₹ 14.70 crore); (viii) Machinery and Equipment towards Space Applications Centre (₹ 37.29 crore) & Major Works (₹ 1 crore); (ix) Machinery Equipment towards Development & Educational Communication Unit (₹ 0.45 crore); (x) Major Works towards National Remote Sensing Centre(₹ 6.02 crore); (xi) Machinery and Equipment towards Disaster Management Support (₹ 9.43 and (xii) Machinery and Equipment towards Chandrayaan-1&2 (₹ 7.30 crore)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	4816.72		10.15	4826.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		•••	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4816.75		10.15	4826.90
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षी के .	अंतर्गत दिखा	या जायेग	Γ:	
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for u	nder the fol	lowing M	lajor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(खb)	•••	0.01
		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(गc)	•••	0.01
सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03			0.03
	•						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत आयोजना स्कीम "सांख्यिकीय सुद्दीकरण के लिए सहायता" के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।(₹ 23.62 करोड़)।

> अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 10.25 crore)के अंतर्गत आयोजना स्कीम "क्षमता विकास" में पूर्वोत्तर क्षेत्र को अनुदान जारी करने की आवश्यकता को प्रा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
 - (ii) सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत आयोजना स्कीम "सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता" के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।(₹ 40.31 करोड़)।
 - अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।
- (ग) सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत आयोजना स्कीम "सांख्यिकीय सुद्दीकरण के लिए सहायता" के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।(₹ 5.94 करोड़)।
 - अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

 (a) meeting additional requirement under the Plan Scheme
 'Support for Statistical Strengthening' under Grants-in-aid-General (₹ 23.62 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) meeting requirement of release of grants to NER region in the Plan Scheme 'Capacity Development' under Grants-in-aid-General (₹ 10.25 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (ii) meeting additional requirement under the Plan Scheme 'Support for 'Statistical Strengthening' under Grants-inaid-General (₹ 40.31 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) for meeting additional requirement under the Plan Scheme 'Support for Statistical Strengthening' under Grants-in-aid-General (₹ 5.94 crore).

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये) (See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

Domando for Granto for the	, your 20	10 20 10)				(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4136.10		138.70		4274.80
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	259.61				259.61
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4395.74		138.70		4534.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for und		wing Majo			
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(खb)	259.59	(गc)	259.60
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		259.59		259.61

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत (₹ 6.66 करोड़) सामान्य सहायता अन्दान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए। (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम के अन्तर्गत (₹ 1.66 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (iii) रेशे आपूर्ति मिल गेट मूल्य स्कीम के अन्तर्गत (₹ 43.00 करोड़)के सामान्य सहायता अन्दान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। (iv) व्यापार स्विधा केन्द्र और हस्तशिल्प संग्रहालय के अन्तर्गत (₹ 0.90 करोड़)व्यावसायिक सेवाओं के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता प्री करना। (v)प्रोद्योगिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी आरम्भिक स्कीम के आर एण्ड डी प्रशिक्षण अन्तरण के अन्तर्गत (₹ 4.24 करोड़)पूंजीगत आस्तियों के सहायता अनुदान सृजन के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करना।(vi) बीज संगठन स्कीम के अन्तर्गत (₹ 0.47 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सहायता अन्दान मृजन और (₹ 0.53 करोड़) समान्य सहायता अन्दान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। इस अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अन्पूरक की मांग की जाती तहै।
- (ख) राष्ट्रीय फैशन प्रोयोगिकी संस्थान के अन्तर्गत (₹ 12.00 करोड़) की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करना। इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अन्पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) भारत कपास निगम के एमएसपी संचालन हेतु ₹ 259.59 करोड़ के अतिरिक्त नकद को पूरा करने के लिए।
 - उपरोक्त व्यय नकद खर्च से किया जाएगा।

- (i) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 6.66 crore) under National Handloom Development Programme Scheme. (ii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 1.66 crore) under Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme. (iii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 43.00 crore) under Yarn Supply/Mill Gate Price Scheme. (iv) meeting additional requirement as Professional Services (₹ 0.90 crore) under Trade Facilitation Centre and Craft Museum (v) meeting additional requirement as Grants-in-Aid creation of capital assets (₹ 4.24 crore) under R&D Training Transfer of Technology and IT Initiative Scheme. (vi) meeting additional requirement as Grantsin-Aid General (₹ 0.53 crore) and Grant-in-Aid creation of capital assets (₹ 0.47 crore) under Seed Organization Scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- neeting additional requirement as Grants-in-Aid for creation of capital assets (₹ 12.00 crore) for National Institute of Fashion Technology. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- To meet the additionality of ₹ 259.59 crore for MSP operation of Cotton Corporation of India.

The above expenditure will entail a cash outgo.

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये) (See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

वीकृत:	I. ORIGINAL GRANT:		राजस्व Revenue		पूंजी Capital	जोड़ Total
	I. ORIGINAL GRANT:		Revenue		Capital	Total
	I. ORIGINAL GRANT:					
_		Voted:	1568.02		5.05	1573.07
_	SUPPLEMENTARY GRANT:					
वीकृत:		Voted:	20.01		5.62	25.63
•	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
त्रीकृत:		Voted:	0.02			0.02
	Total (Original plus Supplementary)		1588.05		10.67	1598.72
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounte	d for under	the following	ng Major	Heads:	
			आयोजना		आयोजना-	जोड़
			Plan		भिन्न	Total
					Non-Plan	
	REVENUE SECTION					
	MAJOR HEAD					
वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	0.01	(कa)		0.01
वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)		0.01
रीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		•••	0.02
	ग्रीकृत:	required: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य ६ II. This Supplementary Grant will be accounted REVENUE SECTION MAJOR HEAD गिकृत: 3452 -Tourism गिकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	required: required: Voted: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग II. This Supplementary Grant will be accounted for under REVENUE SECTION MAJOR HEAD शिकृत: 3452 -Tourism Voted: शिकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments Voted:	required: गिकृत: Voted: 0.02 Total (Original plus Supplementary) 1588.05 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया ज II. This Supplementary Grant will be accounted for under the followir आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD गिकृत: 3452 -Tourism Voted: 0.01 गिकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments Voted: 0.01	required: Total (Original plus Supplementary) 1588.05 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD शिकृत: 3452 -Tourism Voted: 0.01 (कa) शिकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments Voted: 0.01 (खb)	required: required: Total (Original plus Supplementary) 1588.05 10.67 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना Plan Non-Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD शिकृत: 3452 -Tourism Voted: 0.01 (कa) शिकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments Voted: 0.01 (खb)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) रिहायशी अवसंरचना को प्रोत्साहन के रूप में ₹ 0.50 करोड़ की पूंजी सब्सिडी प्रदान करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) 'पर्यटन सर्किट' के लिए शीर्ष जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत (₹ 17.00 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing capital subsidy of $\stackrel{?}{ ext{$<$}}$ 0.50 crore as incentive to accommodation infrastructure;
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- For 'Tourism Circuits' under the head 'Tribal Area Sub Plan' (₹ 17.00 crore);
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पंजी जोड

				,		00 0.0.0,
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	3970.61		3970.61
	स्वीकृत:		Voted:	778.60	70.00	848.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4749.22	70.00	4819.22
	भारित:		Charged:	3970.61		3970.61
	स्वीकृत:		Voted:	778.61	70.00	848.61
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेग	т:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following l	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01		0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward				
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		Classes and Minorities				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) "अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य" स्कीम के तहत सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹ 1.00 करोड़)
- (ii) "अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य"(₹ 8.14 करोइ) के तहत अतिरिक्त मांग पूरी करना।
- (iii) गौण वन उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम (₹ 3.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) providing Grant-in-aid General under the scheme "Research Information & Mass Education, Tribal Festivals and Others" (₹ 1.00 crore).
- (ii) meeting additional demand under the scheme "Research Information & Mass Education, Tribal Festivals and Others" (₹ 8.14 crore).
- (iii) providing Grant-in-aid General under the scheme "Minimum Support Price for Minor Forest Produce" (₹ 3.00 crore).

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

					(3	करोड़ रुपये Rupe	रोड़ रुपये Rupees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी	जोड़	
				Revenue		Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.02			0.02	
	स्वीकृत:		Voted:	1377.51		403.89	1781.40	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.04	0.05	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1377.54		403.93	1781.47	
	भारित:		Charged:	0.02			0.02	
	स्वीकृत:		Voted:	1377.52		403.93	1781.45	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया र	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for unde	er the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-	जोड़	
				Plan		भिन्न	Total	
_						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism						
3452 - पर्यटन 	स्वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	0.01	(कa)		0.01	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
नागर विमानन मंत्रालय		Ministry of Civil Aviation						
5053 - नागर विमानन पर पूंजी	स्वीकृत:	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	0.01	(खb)		0.01	
परिव्यय								
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development						
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(गc)		0.01	
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(ਬd)		0.01	
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय		Sports, Art and Culture						
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(ਝe)		0.01	
पर पूंजी परिव्यय		Public Health						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.04			0.04	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.05		•••	0.05	
	-							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) दीव जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फीएस्टा डी दीव 2015 समारोह हेतु भुगतान करने के लिए विज्ञापन और प्रचार के अंतर्गत ₹ 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) पहले के बकाया कार्य के रूप में दीव हवाई अड्डे के विकास के लिए विभिन्न निर्माण कार्य करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 16.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को प्रा करने के लिए। The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional requirement of ₹ 8.00 crore under Advertising & Publicity to make payment for celebrating the Fiesta De Diu-2015 for promotion of tourism in Diu District.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting the additional requirement of ₹ 16.00 crore under Major Works for making payment to Airport Authority of India to carry out various works for development of Diu Airport as deposit work.

- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) 'बी' टाइप पुलिस क्वार्टर के निर्माण, अतिरिक्त सड़क के निर्माण और दमन जिला के क्वार्टरों के विभिन्न एककों को जोड़ते हुए तूफानी जल निकासी के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 2.56 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) दीव में कॉलेज भवन और पोलीटेक्नीक के निर्माण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) दीव में सरकारी अस्पताल के निर्माण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 5.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting the additional requirement of ₹ 2.56 crore under Major Works for construction of 'B' Type Police Quarter, construction of internal road and storm water drain connecting various units of Police Quarters of Daman District.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting the additional requirement of ₹ 5.00 crore under Major Works to carry out works for construction of College Building & Polytechnic College at Diu.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting the additional requirement of ₹ 5.10 crore under Major Works to carry out works for construction of Government Hospital at Diu.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये) (See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

Demands for Grants for	the year 2	015-2016)					
						(करोड़ रुपये Rup	nees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	66.77		115.00	181.77
	स्वीकृत:		Voted:	7448.41		9202.06	16650.47
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1000.00		1000.00	2000.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
· -	स्वीकृत:		Voted:	1200.00		0.01	1200.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		9715.18		10317.07	20032.25
	भारित:		Charged:	66.77		115.00	181.77
	स्वीकृत:		Voted:	9648.41		10202.07	19850.48
	C.	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ाख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco				Heads:	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		आयोजना	3 -,-	आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
				·		Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				TOTT IGHT	
म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	60.00	(कa)		60.00
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	988.00	(ন্দু) (खb)	•••	988.00
सहायता	रपानृता.	Governments	voica.	300.00	(GD)	•••	300.00
अहायता 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	152.00	(गc)		152.00
•	स्पाकृत.		voleu.	132.00	(*10)		132.00
सरकारों को सहायता अनुदान		Governments	Votodi	4200.00			4200.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	1200.00		•••	1200.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD	N ()	0.04	(-1)		2.24
4216 - आवास पर पूंजी	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01	(घd)		0.01
परिव्यय	•						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1200.01		•••	1200.01
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अ	नुमानों में नीचे दर्श	ई गयी वसूलियों	को शामिल	नहीं किया गया है जिन	हें व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional require	ements do not ta	ke into accour	nt the reco	veries shown below	, which are
		adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
3601 - राज्य सरकारों को		3601 - Grants-in-aid to State		(-) 524.00			(-) 524.00
सहायता		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की		3602 - Grants-in-aid to Union Territory		(-) 76.00			(-) 76.00
सरकारों को सहायता अनुदान		Governments					
जोड़		Total		(-) 600.00			(-) 600.00

(b)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत पूर्वीत्तर क्षेत्र में व्यय (₹ 60.00 करोड़)।

इसमें ₹ 60.00 करोड़ नकद देने होंगे।

- (ख) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 524.00 करोड़)।
 - (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अन्दान की वृद्धि (₹ 464.00 करोड़)।

₹ 524.00 करोड़ वस्लियों के मद्देनजर, इसमें ₹ 464.00 करोड़ नकद देने होंगे।

- (ग) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 76.00 करोड़)।
 - (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 76.00 करोड़)

₹ 76.00 करोड़ वसूलियों के मद्देनजर, इसमें ₹ 76.00 करोड़ नकद देना होगा।

- (घ) (i) केबी ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण (₹ 1.00 करोड़)।
 - (ii) गाचीबावली, हैदराबाद में होलीडेहोम का निर्माण (₹ 1.00 करोड़)।
 - (iii) डीघा, पटना में सामान्य पूल रियाहशी आवास का निर्माण (₹ 5.00 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है। The supplementary grants are required for:

(a) expenditure in North East Region under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹ 60.00 crore).

This will entail a cash outgo of ₹ 60.00 crore.

- (i) transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)
 (₹ 524.00 crore).
- (ii) augmentation of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission(Urban) (₹ 464.00 crore).

Taking into account the recoveries of ₹ 524.00 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 464.00 crore.

- (i) transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)
 (₹ 76.00 crore).
 - (ii) augmentation of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission(Urban) (₹ 76.00 crore).

Taking into account the recoveries of \ref{table} 76.00 crore, this will entail a cash outgo of \ref{table} 76.00 crore.

- (i) construction of residential quarters at KB Block, Salt LakeCity, Kolkata(₹ 1.00 crore).
 - (ii) construction of Holiday Home at Gachibawli, Hyderabad(₹ 1.00 crore).
 - (iii) construction of General Pool Residential Accommodation at Digha, Patna (₹ 5.00 crore).

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये) (See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(कराइ रुपय Ru _l	pees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित		Charged:	0.80	1.00	1.80
स्वीकृतः		Voted:	1591.28	749.76	2341.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृतः		Voted:	17.65	0.01	17.66
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
भारित		Charged:	11.04		11.04
स्वीकृतः		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1620.77	750.78	2371.55
भारित		Charged:	11.84	1.00	12.84
स्वीकृतः		Voted:	1608.93	749.78	2358.71

II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न	जोड़ Total
			. idii	Non-Plan	· Ottal
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2059 - लोक निर्माण कार्य भारित	2059 - Public Works	Charged:		11.04	(कa) 11.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर स्वीकृत	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	0.01	(खb)	0.01
पूंजी परिव्यय					
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.01	11.04	11.05
भारित	:	Charged:		11.04	11.04
स्वीकृत	:	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) माननीय उच्च न्यायालय के निदेश अनुसार मै. ईस्ट इंडिया होटल लि. को भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम को वापस करना (₹ 6.15 करोड़)।
 - (ii) लंबित मध्यस्थता पंचाट का भुगतान करना (₹ 4.89 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) रायपुर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, पिरसर के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के चारों ओर घेरा का निर्माण करना। (₹ 1.00 करोड़)।
 - (ii) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष 2 और 3 का पुन: प्रतिरूपण करना। (₹ 4.00 करोड़)।
 - (iii) केन्द्रीय सरकार का लेखा कार्यालय, आईएनए, नई दिल्ली का आंतरिक साज-सज्जा। (₹ 8.90 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) (i) recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India for making payment to M/s. East India Hotel Ltd. as per directions of Hon'ble High Court(₹ 6.15 crore).
 - (ii) payments of pending arbitration awards (₹ 4.89 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought which will not entail any additional cash outgo.

- (b) (i) construction of boundary wall around Field Training Center, Geological Survey of India Training Institute Campus, Raipur (₹ 1.00 crore).
 - (ii) remodelling of conference hall 2 and 3 in Vigyan Bhawan, New Delhi (₹ 4.00 crore).
 - (iii) interior furnishing of Office of Controller General of Accounts, INA, New Delhi (₹ 8.90 crore).

लेखन सामग्री और म्द्रण

STATIONERY AND PRINTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 135 देखिये)

(See page 135 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 256.69 1.00 257.69 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अन्मान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 256.70 1.00 257.70 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2058 - लेखन सामग्री और म्द्रण 0.01 0.01 स्वीकृत: 2058 -Stationery and Printing Voted: यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary grant is required for: प्रशिक्षुओं की छात्रवृद्धि दर बढ़ाने से लागत में ह्ई वृद्धि को पूरा करना (₹ 1.20 करोड़) meeting the increased expenditure due to enhancement in the stipend rate of apprentices (₹ 1.20 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 136 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये) (See page 136 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 72 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़	ह रुपये Rupe	es in Crore			
				राजस्व Revenue		पूंजी Capital	जोड़ Total			
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
, •	भारित:		Charged:			1.10	1.10			
	स्वीकृत:		Voted:	6235.21		144.72	6379.93			
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		60.25	60.28			
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount								
प्रक अनुमान:		now required:								
	भारित:		Charged:	1.95			1.95			
	स्वीकृत:		Voted:	2800.01			2800.01			
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		9037.20		206.07	9243.27			
	भारित:		Charged:	1.95		1.10	3.05			
	स्वीकृत:		Voted:	9035.25		204.97	9240.22			
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:								
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	will be accoun	ted for unde	er the following	ng Major He	eads:			
				आयोजना	31	ायोजना-	जोड़			
				Plan		भिन्न	Total			
		DEL/EN/LE DECEMBE			N	on-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
	•									
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01			
2700 - वृहत सिंचाई	स्वीकृत:	2700 -Major Irrigation	Voted:	300.00	(खb)		300.00			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत: <i>भारित:</i>	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services	Voted: Charged:	300.00 <i>1.95</i>	(खb) (गc)		300.00 1.95			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	2700 -Major Irrigation	Voted:	300.00	(खb)		300.00			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: <i>भारित:</i>	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: Charged:	300.00 <i>1.95</i> 2500.00	(खb) (गc)	 	300.00 1.95 2500.00			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृतः <i>भारितः</i> स्वीकृतः	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services	Voted: Charged: Voted:	300.00 1.95 2500.00 2801.96	(खb) (गc)	 	300.00 1.95 2500.00 2801.96			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: <i>भारित:</i> स्वीकृत: <i>भारित:</i>	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: Charged: Voted:	300.00 1.95 2500.00 2801.96 1.95	(खb) (गc)		300.00 1.95 2500.00 2801.96 1.95			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृतः <i>भारितः</i> स्वीकृतः	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: Charged: Voted:	300.00 1.95 2500.00 2801.96	(खb) (गc)	 	300.00 1.95 2500.00 2801.96			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को सहायता जोड़ (पूरक)	स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services 3601 -Grants-in-aid to State Governments Total (Supplementary)	Voted: Charged: Voted:	300.00 1.95 2500.00 2801.96 1.95 2800.01	(खb) (गc) (घd)		300.00 1.95 2500.00 2801.96 1.95			
2700 - वृहंत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को सहायता जोड़ (पूरक)	स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services 3601 -Grants-in-aid to State Governments Total (Supplementary) The supple	Voted: Charged: Voted: Charged: Voted:	300.00 1.95 2500.00 2801.96 1.95 2800.01	(खb) (गc) (ঘd) on are requir	 	300.00 1.92 2500.00 2801.9 6 1.92 2800.01			
2700 - वृहत सिंचाई 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 3601 - राज्य सरकारों को सहायता जोड़ (पूरक) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित है	स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः भारितः स्वीकृतः स्वीकृतः	2700 -Major Irrigation 3075 - Other Transport Services 3601 -Grants-in-aid to State Governments Total (Supplementary) The supple	Voted: Charged: Voted: Charged: Voted:	300.00 1.95 2500.00 2801.96 1.95 2800.01	(खb) (गc) (घd) on are require	 red for:	300.00 1.95 2500.00 2801.96 1.95 2800.01			

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत सहायता के शर्तों में पोलवारम सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त आबंटन (₹ 300.00 करोड़)
 - उपरोक्त व्यय में निवल नकद देना होगा।
- (ग) मध्यस्थता देने के संबंध में ₹ 2.00 (प्रभारित भाग में ₹ 1.95 करोड़ + स्वीकृत भाग में (₹ 0.05 करोड़)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- additional allocation for Polavaram Irrigation Project in terms of support under Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 (₹ 300.00 crore);
 - The above expenditure will entail a net cash outgo.
 - additional allocation of ₹ 2.00 crore (₹ 1.95 crore in Charged Section + ₹ 0.05 crore in Voted Section) in connection with arbitration award;

(d)

अनुदान के स्वीकृत भाग में रु. 1.95 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, और अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.05 करोड़ का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

(घ) (घ) निम्नलिखित के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आबंटन (i) विधित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (₹ 1500.00 करोड़) (ii) विधित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीएफएमपी) के तहत सरयू नगर राष्ट्रीय परियोजना (₹ 500.00 करोड़); और (iii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'सीएडीएण्डडब्ल्यूएम' के तहत (₹ 500.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान प्रदान करना।

उपर्य्क्त व्यय में ₹ 2500.00 करोड़ निवल नगद व्यय होगा।

Taking into account the surrender of savings of ₹ 1.95 crore available in the Voted Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 0.05 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

additional allocation for Grants-in-aid for creation of Capital Assets' under (i) 'Accelerated Irrigation Benefit Programme' (₹ 1500.00 crore), (ii) Saryu Nahar National Project(₹ 500.00 crore) under the scheme 'Accelerated Irrigation Benefit Programme National Project (AIBPNP) and (iii) providing 'Grants-in-aid for creation of Capital Assets' of ₹ 500.00 crore under 'CAD&WM' component of Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojna (PMKSY);

The above expenditure will entail a net cash outgo of $\ref{2500}$ crore.

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 137 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये) (See page 137 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

	•	,					ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी ०		जोड़ र-४-१
		LODIOWAL ODANT		Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	10382.40				10382.40
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4000.03				4000.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	3548.02				3548.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		17930.45				17930.45
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखाया	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for ur	nder the follo	wing Maj	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
कल्याण								
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	355.00	(गc)			355.00
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	3193.00	(ਬd)			3193.00
सहायता		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	3548.01		0.01		3548.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित हेतु सहायता अनुदान (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के तहत 500 स्थानों के चाइल्ड लाईन इंडिया फाउन्डेशन (₹ 37.77 करोइ) (ii) प्रियदर्शिनी स्कीम के तहत नाबार्ड (₹ 2.08 करोइ) और (iii) देख-रेख और संरक्षण के जरुरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम (₹ 4.00 करोइ)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांगा जाता है।

(ख) (1) निम्नलिखित स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (₹ 0.12 करोड़) (ii) कार्यालयी खर्च, चिकित्सा खर्च, मरम्मत और रख-रखाव महंगाई राहत और सेवा निवृत्त होने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग को (₹ 0.18 करोड़) (2) निम्नलिखित स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) (₹ 0.90 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹ 0.35 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) Grants in Aid General to (i) Childline India Foundation(CIF) for 500 locations under Integrated Child Protection Scheme(ICPS) (₹ 37.77crore), (ii) NABARD under the Scheme Priyadarshini (₹ 2.08 crores) and (iii) Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 4.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants in Aid General under the Scheme (i) Central Adoption Resource Authority(CARA) for payment of Gratuity and Leave Encashment (₹ 0.12 crores) and (ii) National Commission for Women(NCW) due to increase in expenditure in Office Expenses, Medical Expenses, Repair and Maintenance, Dearness Relief and increase in number of retirees (₹ 0.18 crore). (2) Grants in Aid Salary under the Scheme(i) Central Adoption Resource Authority(CARA) (₹ 0.90 crore) and (ii) National Commission for Women(NCW)(₹ 0.35 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांगा जाता है।

(ग) एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 355.00 करोड़)।

> नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए गए आवंटन को देखते हुए मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण से उतनी ही राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक मांगा जाता है, जिसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(घ) संशोधित लागत हिस्सेदारी अनुपात के कारण एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3193.00 करोइ)।

> नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए गए आवंटन को देखते हुए मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण से उतनी ही राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक मांगा जाता है, जिसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid General under Integrated Child Development Scheme(ICDS)(₹ 355.00 crore).

Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought, which will not entail any Cash Outgo.

(d) Grants-in-Aid General under Integrated Child Development Scheme(ICDS) due to revised cost sharing ratio (₹ 3193.00 crore).

Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought, which will not entail any Cash Outgo.

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 138 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये) (See page 138 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1540.23	0.90	1541.13
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.05		0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1540.29	0.90	1541.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	रू अंतर्गत (दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	r under th	e following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत पुन: अभिमुखीकरण अनुसंधान केन्द्र के लिए (₹ 3.50 करोड़), वेतन (₹ 1.35 करोड़), समयोपिर भता (₹ 0.01करोड़), यात्रा खर्च (₹ 0.40 करोड़) और कार्यालयी खर्च (₹ 0.80 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान। (ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary grant is required for:

(i) Grants in Aid General for Reorientation Research Centre (₹ 3.50 crore), Salary (₹ 1.35 crore), OTA (₹ 0.01 crore), Travel Expenses (₹ 0.40 crore) and Office Expenses (₹ 0.80 crore)under National Service Scheme. (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Urban Sports Infrastructure Scheme(₹ 20.00 crore).